

UPFD010050402014



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"
पी०एस०टी० सं०-0000019/2014

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

स्वदेश कुमार पुत्र मुन्शी लाल, जाति यादव, निवासी नगला सुम्मेर, थाना
घिरोर, जिला मैनपुरी।

----- अभियुक्त।

मु०अ०सं०-566/2012

धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं०,

धारा-3/4 पोक्सो एक्ट

थाना-सिरसागंज, जि० फिरोजाबाद।

-: निर्णय :-

1- अभियुक्त स्वदेश कुमार के विरुद्ध थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-566/2012, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क-7 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के बलात्कार होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित नहीं करने हेतु

पी०एस०टी० सं०-19/2014, सरकार बनाम स्वदेश कुमार, मु०अ०सं०-566/2012, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद।

निर्देशित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (आर) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- वादी विवनीश कुमार की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1, दिनांक 08-10-2012 के अनुसार विवनीश कुमार पुत्र शिशुपाल सिंह, ग्राम सरसौली का मूल निवासी है। दिनांक 26-09-2012, दिन बुधवार को सुबह मेरी चचेरी बहन/ पीड़िता (आर) पुत्री जिलेदार सिंह, उम्र 14 वर्ष कस्बा अराँव में अपने कपड़े सिलवाने गयी थी। जब वह शाम तक घर वापस नहीं आयी तो मैं अराँव उसे देखने गया तो वहाँ पर बताया कि तुम्हारी बहन/पीड़िता (आर), स्वदेश पुत्र मुंशीलाल, निवासी नगला सुम्मेर, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी, सोनी पत्नी शशीकान्त, निवासी सरसौली, मुंशीलाल पुत्र निवाजी लाल, हरकेश पुत्र मुंशीलाल, निवासीगण नगला सुम्मेर व रत्नेश पत्नी इन्द्रपाल, निवासी सरसौली के साथ टेम्पो में शिकोहाबाद की तरफ जा रही थी। आज तक पीड़िता (आर) का कोई पता नहीं चला है। अतः रिपोर्ट लिखकर कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4- वादी विवनीश कुमार की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद में दिनांक 08-10-2012 को 18:45 बजे मु०अ०सं०-566/2012, अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं०, अभियुक्त स्वदेश, सोनी, मुंशीलाल, रत्नेश, हरकेश के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-9 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-10 में किया गया।

5- मामले की विवेचना श्री रामऔतार सिंह, उ०नि० द्वारा की गयी। विवेचक ने वादी, पीड़िता (आर) एवं घटना से सम्बन्धित अन्य गवाहों के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 बनाया। पीड़िता (आर) का चिकित्सीय परीक्षण तथा बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया, जिसके आधार पर मामले में धारा-376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। इसके बाद विवेचक का स्थानान्तरण हो गया। इसके बाद विवेचना दिनेश कुमार सिंह, उ०नि० एवं अमोल कुमार शर्मा, उप निरीक्षक तथा गौरव सवरवाल द्वारा की गयी, जिन्होंने दौरान विवेचना सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित कर विवेचना के पश्चात नामजद अभियुक्तगण सोनी, मुंशीलाल, रत्नेश व हरकेश की नामजदगी गलत पाये जाने के कारण केवल अभियुक्त स्वदेश के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रदर्श क-7 न्यायालय में प्रेषित किया।

6- अभियुक्त स्वदेश कुमार को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके अभियुक्त स्वदेश कुमार के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01-08-2014 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

7- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	विवनीश कुमार (वादी)	लिखित तहरीर प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (आर)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 व सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-3
पी०डब्लू०-3	डा० जूही वाष्णोय	पीड़िता (आर) की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-4 एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-5
पी०डब्लू०-4	डा० शशीकांत गुप्ता	पीड़िता (आर) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5 एवं आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-6 व एक्सरे प्लेट्स वस्तु प्रदर्श-1, 2
पी०डब्लू०-5	गौरव सवरवाल (चतुर्थ विवेचक)	आरोप पत्र प्रदर्श -7
पी०डब्लू०-6	अमोल कुमार शर्मा (तृतीय विवेचक)	--
पी०डब्लू०-7	रामौतार सिंह (प्रथम विवेचक)	नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-8
पी०डब्लू०-8	रामलखन	--
पी०डब्लू०-9	मधुरेन्द्र	--
पी०डब्लू०-10	प्रवेन्द्र	--
पी०डब्लू०-11	दिनेश कुमार सिंह (द्वितीय विवेचक)	--
पी०डब्लू०-12	एच०सी० दीपक मिश्रा	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-9 एवं जी०डी० कायमी मु० प्रदर्श क-10

8- पी०डब्लू०-1 वादी विवनीश कुमार ने कहा कि दिनांक 26-09-2012, दिन बुधवार को सुबह मेरी चचेरी बहन/पीड़िता (आर), उम्र 14 वर्ष पुत्री जिलेदार सिंह अरांव में अपने कपड़े सिलवाने गयी थी। जब वह शाम तक वापस नहीं आयी तो मैं अरांव उसे देखने गया तो वहाँ पर टेलर राजेश कुमार ने बताया कि तुम्हारी बहन/पीड़िता (आर) को स्वदेश पुत्र मुन्शी लाल, निवासी नगला सुम्मेर, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी व सोनी पत्नी शशीकान्त, निवासी सरसौली, मुंशीलाल पुत्र निवाजीलाल व हरकेश पुत्र मुंशीलाल, निवासी नगला सुम्मेर तथा रत्नेश पत्नी इन्द्रपाल, निवासी सरसौली टेम्पो में बैठा कर शिकोहाबाद ले जा रहे थे। मैंने इस घटना की रिपोर्ट स्वयं लिखकर दिनांक 08-10-2012 को रिपोर्टिंग चौकी, अरांव, थाना सिरसागंज में दी थी, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि दिनांक 06-12-2012 को न्यायालय के आदेश से मेरी चचेरी बहन/पीड़िता (आर) मेरे चाचा जिलेदार सिंह की सुपुर्दगी में दी गयी थी। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है।

9- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर) ने कहा कि घटना दिनांक 26-09-2012 सुबह की है। घटना के समय मेरी उम्र 16 वर्ष थी। मैं अपने कपड़े सिलवाने के लिए अरांव गयी थी तो मुझे सोनी, रत्नेश, स्वदेश, मुंशी लाल व हरकेश मिले थे। स्वदेश को मैं जानती थी तथा उससे मेरी फोन से बातचीत होती थी। स्वदेश और मेरे बीच मुलाकात हुई और प्रेम संबंध बढ़ गया। मुझे स्वदेश ने फोन करके बुलाया था। मैं घर से शिकोहाबाद आई और स्वदेश के साथ सूरत चली गयी थी। हम दोनों लोग एक किराये के कमरे में रहते थे। सूरत में स्वदेश ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे और मेरे साथ बहला फुसला कर आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली थी। मेरा घटना के संबंध में पुलिस ने बयान लिया था। मजिस्ट्रेट साहब के सामने पुलिस ने बयान कराया था। साक्षी को बयान धारा-164 दं०प्र०सं० खोल कर दिखाया तो उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा यह भी कहा कि स्वदेश के साथ सूरत में ढाई महीने तक रही थी। पुलिस ने मुझे टेलर रमेश चन्द्र, सोनी आदि लोगों के समक्ष मेरे पिता स्व० जिलेदार सिंह के सुपुर्द किया था, जिसका सुपुर्दगीनामा लिखा गया था, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में अपने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 व सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-3 को साबित किया है।

10- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

मैं एक जगह फोन लगा रही थी। गलती से स्वदेश के नम्बर पर फोन लग गया था। उसके बाद मेरा स्वदेश से परिचय हो गया। फिर बराबर फोन से बातचीत होने लगी। बीच में हम लोग आपस में मुलाकात की। दोनों के बीच प्रेम भाव बढ़ गया। एक दिन घर पर फोन पर बात करते हुए विवनीश ने देख लिया। यह मेरे ताऊ का लड़का है। उसने हमें मारा पीटा। हमारे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। मैं इससे परेशान हो गयी, तब मैंने स्वदेश को फोन किया कि हमें यहाँ से ले चलो। मैं घर से निकल कर शिकोहाबाद आयी। करीब दो-ढाई माह पूर्व मैं स्वदेश के साथ सूरत चली गई थी, वहाँ पर स्वदेश हलवाई का काम करते हैं। दोनों लोग वहाँ किराये पर रहते थे। करीब दो-ढाई माह दोनों लोग सूरत में रहे। मेरे ताऊ का लड़का विवनीश कुमार ने झूठी रिपोर्ट लिखायी। पुलिस वाले हमारे ससुराल वालों को तंग व परेशान करने लगे। मैं तथा स्वदेश आपस में शादी कर लिए हैं। सूरत में हम लोग पति-पत्नी की तरह रहते थे तथा दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी होते थे। मेरी राजी से स्वदेश मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था। स्वदेश मेरा पति है। उसी के साथ रहना चाहती हूँ। जब मेरी उम्र 10 वर्ष थी, तभी मेरी माँ का देहान्त हो चुका है।

11- पी०डब्लू०-3 डा० जूही वाष्ण्य ने कहा कि दिनांक 04-01-2013 को मैं महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मैंने पीड़िता (आर) पुत्री जिलेदार सिंह, निवासी सरसौली, थाना सिरसागंज, फिरोजाबाद, जिसे महिला कां० स्नेहलता पाल व कां० श्रवण कुमार, थाना सिरसागंज द्वारा लाया गया था। पीड़िता के साथ उसके भाई विवनीश कुमार आये थे, जिन्होंने डाक्टरी परीक्षण कराने की सहमति दी थी, का बाह्य व आन्तरिक चिकित्सीय परीक्षण किया था।

बाह्य परीक्षण -

पीड़िता का कद 5 फुट, 1 इंच था। बजन 44 कि०ग्रा० था। उसके दांत 13/14 तथा कदकाठी सामान्य था। पीड़िता के बगल एवं गुप्तांग में बाल उपस्थित और उसके स्तन विकसित थे। पीड़िता के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था।

आन्तरिक परीक्षण -

पीड़िता के गुप्तांग पर चोट का कोई निशान नहीं था। उसकी झिल्ली पुरानी टूटी हुई थी। उसकी योनि में दो उंगली आसान से जा रही थीं। उसका गर्भाशय खाली था। पीड़िता को अपनी आखिरी माहवारी की तिथि याद नहीं थी। वेजाइनल स्मीयर स्लाइड बनाकर पैथोलॉजी जांच हेतु भेजा गया। गर्भाशय का अल्ट्रासाउण्ड करवाने की सलाह दी गई। उम्र के परीक्षण के लिए सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद के पास सन्दर्भित किया गया। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि पूरक रिपोर्ट मेरे द्वारा दिनांक 11-01-2013 को तैयार की गयी, जिसमें अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट संख्या - 1/13 दिनांक 07-01-2013 के अनुसार गर्भाशय सामान्य था। उसमें कोई गर्भ नहीं था। पैथोलॉजी रिपोर्ट संख्या -272/2013 के अनुसार वेजाइनल स्मीयर स्लाइट रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाये गये। डाक्टर की राय में बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करती हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में पीड़िता (आर) की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-4 व पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

12- पी०डब्लू०-4 डा० शशीकान्त गुप्ता ने कहा कि दिनांक 04-12-2012 को मैं जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने पीड़िता (आर) पुत्री श्री जिलेदार, निवासी गांव सरसौली, थाना सिरसागंज, फिरोजाबाद का एक्सरे परीक्षण किया था, जिसे महिला थाना की पुलिस कर्मी रेनू चौहान लेकर आयी थी और सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद ने एक्सरे हेतु मुझे सन्दर्भित किया था। मैंने चार भागों के एक्सरे किये थे। दांयी कोहनी के जोड़ की सभी हड्डियों के सिरे अपनी-अपनी हड्डी से जुड़ चुके थे। दांयी कलाई के जोड़, इलियाक हड्डी व कॉलर बोर के मध्य भाग की हड्डियों के सिरे अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े नहीं थे। एक्सरे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि दिनांक 05-12-2012 को पीड़िता (आर) का आयु निर्धारण सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा किया गया, जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग **17 वर्ष** निर्धारित की गयी थी। पीड़िता का आयु प्रमाणपत्र पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर सी०एम०ओ० के हस्ताक्षर हैं, मैं उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। पीड़िता की एक्सरे प्लेट्स तैयार की गई थीं, जो पत्रावली पर मौजूद हैं। इस साक्षी ने पीड़िता (आर) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5 व पीड़िता की आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-6, एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1, 2 को साबित किया है।

13- पी०डब्लू०-5 गौरव सवरवाल, निरीक्षक/चतुर्थ विवेचक द्वारा विवेचना संबंधी बयान देते हुए कहा है कि दिनांक 06-10-2013 को मैं थाना सिरसागंज की चौकी अरांव में चौकी प्रभारी के पद पर तैनात था। मु०अ०सं०-566/2012, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की विवेचना क्षेत्राधिकारी, शिकोहाबाद द्वारा मुझ उप निरीक्षक को सुपुर्द की गयी। मैंने विवेचना ग्रहण करके पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन किया। अभियुक्त स्वदेश के विरुद्ध धारा-82 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही का आदेश प्राप्त कर अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया। पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम/नाबालिग पाये जाने पर धारा-376 भा०दं०सं० एवं धारा-3 क/4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण करने के उपरान्त उसका बयान अंकित किया तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त स्वदेश के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3 क/4 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। आरोपपत्र पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में आरोप पत्र प्रदर्श क-7 को साबित किया है।

14- पी०डब्लू०-6 अमोल कुमार शर्मा, उप निरीक्षक/तृतीय विवेचक ने विवेचना संबंधी बयान देते हुए कहा है कि दिनांक 01-06-2013 को मैं थाना सिरसागंज की चौकी अरांव पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं०-566/2012, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम बनाम स्वदेश की विवेचना उप निरीक्षक दिनेश कुमार के स्थानान्तरण के उपरान्त मुझ उप निरीक्षक को प्राप्त हुई थी। मैंने विवेचना ग्रहण कर पूर्व किता पर्चों का अवलोकन किया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी तथा धारा-82/83 दं०प्र०सं० जारी कराने हेतु न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की। इसके उपरान्त मेरा स्थानान्तरण हो गया था।

15- पी०डब्लू०-7 रामौतार सिंह, से०नि० उप निरीक्षक/प्रथम विवेचक ने विवेचना सम्बन्धी बयान देते हुए कहा है कि दिनांक 08-10-2012 को मैं थाना सिरसागंज पर बतौर उप निरीक्षक के पद पर चौकी अरांव में नियुक्त था। दिनांक 08-10-2012 को मु०अ०सं०-566/2012, धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम स्वदेश कुमार मेरी मौजूदगी में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मुझ उप निरीक्षक द्वारा संपादित की गयी। मैंने दौरान विवेचना वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहों के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण

कर नक्शा नजरी बनाया, जो पत्रावली पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। पीड़िता का बयान अंकित कर उसका चिकित्सीय परीक्षण व बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में धारा-376 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त स्वदेश के घर पर दबिश दी गयी, नहीं मिला। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 को साबित किया है।

16- पी०डब्लू०-8 रामलखन ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 26-09-2012 को समय करीब 10:00 बजे सुबह की बात है। मैं कस्बा अरांव में खाद लेने गया था, तभी मैंने नगला नरैनी के राजेश टेलर की दुकान के सामने पीड़िता (आर) पुत्री जिलेदार सिंह, निवासी सरसौली, थाना सिरसागंज को स्वदेश पुत्र मुंशीलाल, निवासी नगला सुम्मेर, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी के साथ जाते हुए देखा था। उस समय पीड़िता (आर) की उम्र 14 वर्ष थी। स्वदेश, पीड़िता (आर) को टेम्पो में बैठा कर शिकोहाबाद की तरफ ले जाते देखा था। मुझसे पुलिस ने पीड़िता (आर) के चले जाने के बाद पूछताछ की थी।

17- पी०डब्लू०-9 मधुरेन्द्र ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 26-09-2012 को समय करीब 10:00 बजे दिन की बात है। मैं अपने गांव से स्प्रे की मशीन लेने के लिए कस्बा अरांव आया था, तभी मैंने देखा कि स्वदेश पुत्र मुंशीलाल, निवासी नगला सुम्मेर, थाना घिरोर, मैनपुरी अपने साथ पीड़िता (आर) पुत्री जिलेदार, निवासी सरसौली मेरे सामने शिकोहाबाद जाने के लिए टेम्पो में बैठे थे। मैंने पीड़िता (आर) से पूछा कि कहां जा रही हो तो पीड़िता (आर) ने कहा कि कपड़े सिलवाने के लिए शिकोहाबाद जा रही हूँ। यह घटना मैंने अपनी आँखों से देखी थी। इस घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था, तब मैंने पुलिस को घटना के संबंध में बताया था।

18- पी०डब्लू०-10 प्रवेन्द्र ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 26-09-2012 को मैं अपने गांव से कस्बा शिकोहाबाद बाजार करने सामान लेने आया था। जब सामान लेकर वापस मैनपुरी चौराहे पर आया तो देखा कि टेम्पो से पीड़िता (आर) पुत्री जिलेदार, उम्र 14 साल व स्वदेश पुत्र मुंशीलाल, निवासी नगला सुम्मेर, थाना घिरोर, मैनपुरी को एक साथ नीचे उतरते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा था। मैं गांव वापस आया तो मुझे पता चला कि स्वदेश, पीड़िता (आर) को भगा कर ले गया है। इस घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

19- पी०डब्लू०-11 दिनेश कुमार सिंह, निरीक्षक/द्वितीय विवेचक ने विवेचना संबंधी बयान देते हुए कहा कि दिनांक 17-03-2013 को मैं थाना सिरसागंज की चौकी अरांव में चौकी प्रभारी के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं०-566/2012, धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम स्वदेश आदि की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। उस दिन पर्चा नं०-17 में मेरे द्वारा पूर्व किता केस डायरी का अवलोकन किया गया। नामित अभियुक्तगण की तलाश हेतु दबिश दी गयी, दस्तयाव नहीं हुए। अभियुक्त स्वदेश की तलाशी हेतु दबिश दी गयी, दस्तयाव नहीं हुआ।

20- पी०डब्लू०-12 एच०सी० दीपक मिश्रा ने कहा है कि दिनांक 08-10-2012 को मैं चौकी अरांव, थाना सिरसागंज पर बतौर कां० क्लर्क के पद पर था। उस दिन वादी मुकदमा विवनीश कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-566/2012, धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम स्वदेश पुत्र मुंशीलाल, निवासी नगला सुम्मेर, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी आदि के विरुद्ध समय 18:45 बजे पंजीकृत किया था, जिसका खुलासा जी०डी० संख्या-21, समय करीब 18:45 बजे दिनांक 08-10-2012 को किया गया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शक -9 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्शक -10 को साबित किया है।

21- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

22- अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा -313 दं०प्र०सं० दिनांक 15-04-2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया तथा गवाहान द्वारा गलत फहमी के कारण गलत बयान देते हुए गलत प्रपत्र साबित करना कहा। मुकदमा झूठा चलना कहा तथा विशेष कथन में कहा कि मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।

23- अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देना कहा, परन्तु सफाई में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया।

24- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र राजपूत, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

25- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

26- धारा-363 भारतीय दण्ड संहिता - व्यपहरण के लिए दण्ड - जो कोई व्यक्ति, विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का

व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

27- धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना - जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुमाने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

28- धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता - बलात्संग के लिए दण्ड - (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

29- धारा-3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 - प्रवेशन लैंगिक हमला - कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है यदि वह -

- (क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
- (ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

- (ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
- (घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

30- धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड –

(1) जो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं (दिनांक 16-08-2019 से पूर्व सजा सात वर्ष अधिनियम क्रमांक-25, सन 2019 धारा-3(क) पोक्सो एक्ट सात वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष प्रतिस्थापित) होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

31- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

32- पी०डब्लू०-1 वादी विवनीश कुमार ने तहरीर प्रदर्श क-1 और धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में अपनी चचेरी बहन/पीड़िता (आर) की उम्र 14 वर्ष अंकित कराई है। वादी ने जिरह के पृष्ठ संख्या-3 के प्रथम पैरा में कहा कि पीड़िता (आर) कक्षा-5 तक सरसौली प्राथमिक विद्यालय में पढ़ी है। मुझे पता नहीं है कि पीड़िता (आर) ने किस सन् में पढ़ाई शुरू की थी तथा किस सन् में पढ़ाई बन्द कर दी। पीड़िता (आर) ने कक्षा-5 किस सन् में पास किया, मुझे जानकारी नहीं है। जिरह के पृष्ठा संख्या-6 के मध्य में कहा कि तहरीर मैंने दिनांक 08-10-2012 को दी थी। तहरीर में मैंने पीड़िता (आर) की उम्र 14 वर्ष चाचा जिलेदार सिंह

से पूछकर लिखवाई थी।

33- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर) ने केस डायरी के पर्चा सं०-8, दिनांकित 03-12-2012, धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में अपनी उम्र 19 साल अंकित कराई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में पीड़िता (आर) ने अपनी उम्र 19 वर्ष अंकित कराई है और कहा कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, केवल नाम लिखना जानती है। पीड़िता (आर) ने न्यायालय में पी०डब्लू०-2 के रूप में बयान देते समय अपनी उम्र 26 वर्ष अंकित कराई है। घटना दिनांक 26-09-2012 सुबह की है। घटना के समय मेरी उम्र 16 वर्ष थी। मुख्य परीक्षा में कहा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय में गई थी, वहाँ जाकर कार्यवाही की थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि रिट किस संबंध में है। पत्रावली में दाखिल फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या-16257/2012, आदेश दिनांक 08-11-2012 में पीड़िता (आर) ने स्वयं को वयस्क बताते हुए अपना शपथपत्र माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है। जिरह के पृष्ठ सं०-4 की प्रथम पंक्ति में कहा कि मैं सरकारी स्कूल में कक्षा-5 तक पढ़ी हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कक्षा-5 किस सन् में किया है। मैं अन्दाज से भी नहीं बता सकती।

34- पी०डब्लू०-4 डा० शशीकान्त गुप्त ने पीड़िता (आर) का एकसरे दिनांक 04-12-2012 को जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में पुलिस कर्मी रेनु चौहान द्वारा साथ लाने पर किया। चार भागों में एकसरे किए थे। दांयी कोहनी की सभी हड्डियों के जोड़ आपस में जुड़ चुके थे। दांयी कलाई, इलियक हड्डी और एकसरे कॉलर बोन में तीनों हड्डियों के सिरे अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े नहीं थे। एकसरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5 है। दिनांक 05-12-2012 को पीड़िता (आर) की आयु का निर्धारण सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा किया गया, जिसमें पीड़िता (आर) की उम्र लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गई। प्रमाणपत्र प्रदर्श क-6 पत्रावलित है। साक्षी ने जिरह में कहा कि आयु निर्धारण सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा किया गया था। पैनल द्वारा निर्धारण नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पैनल जरूरी नहीं है, स्वयं सी०एम०ओ० साहब सक्षम हैं। माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश आयु निर्धारण के संबंध में अपनी रिपोर्ट में सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद ने नहीं लिखा है। सी०एम०ओ० साहब ने जो आयु निर्धारित की है, उसमें एक वर्ष ऊपर-नीचे हो सकता है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा एकसरे रिपोर्ट तैयार न की गई हो। यह कहना सही है कि एकसरे सहायक द्वारा किए जाते हैं।

35- पी०डब्लू०-5 विवेचक गौरव सवरवाल, उ०नि० ने कहा कि केस डायरी के पर्चा संख्या-34 में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम पाये जाने/ नाबालिग पाये जाने पर धारा-3 क/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई। साक्षी ने जिरह में कहा कि पीड़िता के बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में उसने अपनी उम्र 19 वर्ष बताई थी। बयान धारा-164 दं०प्र०सं० के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पीड़िता बिना पढ़ी लिखी थी। मेरे से, पूर्व विवेचक ने माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का परीक्षण कराये जाने के संबंध में अभिलेखों का अवलोकन किया था, जिसके अनुसार पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष है। न्यायालय में उम्र के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी का बयान, का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया, जिसका उन्होंने सत्यापन नहीं किया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत की गयी थी, उसका सत्यापन भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

36- पी०डब्लू०-6 अनिल कुमार शर्मा, विवेचक ने जिरह में कहा कि मैंने इस मुकदमे से संबंधित किसी भी गवाह का बयान नहीं लिया, क्योंकि साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्व विवेचक द्वारा की जा चुकी थी।

37- पी०डब्लू०-7 राम अवतार सिंह, विवेचक ने लगभग पूर्ण विवेचना करते हुए केस डायरी में पर्चा संख्या-1 लगायत पर्चा संख्या-16 किता किए हैं। पर्चा संख्या-12 में पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु तलब किया। जिरह के पृष्ठ संख्या-3 की अन्तिम पंक्ति में कहा कि एफ०एस०एल० को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गयी थी, क्योंकि चिकित्सीय परीक्षण में डाक्टर को एफ०एस०एल० के लिए कोई प्रपत्र नहीं दिया था। पीड़िता का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० लिया था, जिसमें उसने अपनी उम्र 19 वर्ष बताई थी। पीड़िता ने धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में भी अपनी उम्र 19 वर्ष बताई थी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं सी०जे०एम० महोदय के आदेशानुसार पीड़िता मुझे सुपुर्द की गयी और मैंने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिन डाक्टरों द्वारा पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण किया, उन डाक्टरों के मैंने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित नहीं किये। दौरान विवेचना मुझे जानकारी मिली कि घटना से पूर्व पीड़िता के पिता की मृत्यु हो चुकी थी।

38- पी०डब्लू०-8 राम लखन, जो घटना दिनांक 26-09-2012 को सुबह 10:00 बजे कस्बा अरांव में खाद लेने गया था, उसने घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष बताई है। जिरह में कहा कि पीड़िता के पैदा होने की जानकारी मुझे नहीं है, उसकी उम्र की जानकारी है। पीड़िता 14 वर्ष की थी। पीड़िता के 14 वर्ष उम्र वाली बात मुझे गांव

वालों ने बताई थी। साक्षी ने उन गांव वालों का नाम अपने बयान में नहीं लिया है, जिन्होंने पीड़िता की उम्र 14 वर्ष होना इस साक्षी को बताई थी। साक्षी ने आगे कहा कि पीड़िता प्राथमिक विद्यालय, सरसौली में पढ़ने जाती थी। घटना के समय पीड़िता किस कक्षा में पढ़ती थी, मुझे नहीं मालूम। पीड़िता का प्रवेश कब कराया था, मुझे नहीं मालूम। गांव में स्कूल है, इसलिए अनुमान से बताया कि वह पढ़ती होगी। मैंने छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा था। **यह कहना गलत है कि पीड़िता वादी नाबालिग हो, अर्थात् साक्षी ने पीड़िता को वयस्क होना कहा है।**

39- पी०डब्लू०-9 मधुरेन्द्र ने पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में कोई कथन नहीं किया है।

40- पी०डब्लू०-10 प्रवेन्द्र ने कहा कि घटना दिनांक 26-09-2012 को जब वह सामान लेने शिकोहाबाद जा रहा था, तो उसने घटना के समय पीड़िता (आर) की उम्र 16 वर्ष बताई है। जिरह के पृष्ठ सं०-2 के मध्य में कहा कि दरोगा जी को मैंने पीड़िता की उम्र बताई थी। मेरे बयान में नहीं लिखी है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। पीड़िता मेरे परिवार की नहीं है। पीड़िता गांव के स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल वालों ने मुझे पीड़िता की उम्र नहीं बताई थी। पीड़िता (आर) के परिवार वालों ने भी पीड़िता (आर) की उम्र मुझे नहीं बताई थी। यह कहना गलत है कि मैं विवनीश के कहने पर पीड़िता की उम्र 14 साल बता रहा हूं और विवनीश के कहने पर ही दरोगा जी को बयान दिया हो। इस साक्षी ने स्वीकार किया कि पीड़िता उसके परिवार की नहीं है और उसे वादी व स्कूल वालों ने पीड़िता की उम्र नहीं बताई थी, तब उसे किस श्रोत के माध्यम से पीड़िता की उम्र 14 वर्ष होने की जानकारी हुई, इसका खुलासा अपने सम्पूर्ण बयान में नहीं किया है। साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय है।

41- पत्रावली में दाखिल परिवार रजिस्टर की नकल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें पीड़िता (आर) का नाम अंकित नहीं है, बल्कि उसके पिता जिलेदार सिंह का नाम अंकित है, जबकि पीड़िता (आर) इसी परिवार की सदस्य है। पीड़िता (आर) का कक्षा-5 का प्राथमिक विद्यालय, सरसौली द्वारा जारी प्रस्थान प्रमाणपत्र दिनांक 30-07-2005 की छायाप्रति दाखिल है, जिसमें पीड़िता (आर) की जन्मतिथि 15-09-1995 अंकित है। पीड़िता (आर) का प्राथमिक विद्यालय, सरसौली में प्रवेश प्रमाणपत्र दिनांक 29-09-2001 में उसकी जन्मतिथि 15-09-1995 अंकित है। प्रवेश पंजिका, प्राथमिक विद्यालय, सरसौली में क्रम संख्या-2849 पर पीड़िता (आर) के नाम के आगे जन्मतिथि 15-09-1995 अंकित है। उपरोक्त सभी अभिलेख मात्र

छाया प्रतियां हैं, असल व प्रमाणित प्रति नहीं हैं। पीड़िता के पिता द्वारा सूची 23 ब से परिवार रजिस्टर की नकल दाखिल की है, जिसमें पीड़िता (आर) पुत्री श्री जिलेदार सिंह की जन्मतिथि 08-03-1993 अंकित है। इससे घटना दिनांक 26-09-2012 को पीड़िता की आयु 19 वर्ष, 06 माह, 18 दिन की पूर्ण बालिग थी। अभियोजन साक्ष्य अविश्वसनीय है। आर्य समाज, कृष्ण नगर, प्रयाग द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र दाखिल किया है, जिस पर अभियुक्त स्वदेश कुमार एवं पीड़िता (आर) की फोटो चस्पा है, जिसमें पीड़िता (आर) की उम्र 19 वर्ष अंकित है। उक्त प्रमाणपत्र के अनुसार दोनों ने आपसी सहमति से दिनांक 30-10-2012 को अपराह्न 01:00 बजे सन्तोष कुमार शास्त्री से अपना विवाह सम्पन्न कराया है।

42- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी ने पीड़िता (आर) की उम्र 14 वर्ष अंकित कराई है, जबकि पीड़िता (आर) ने अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 19 वर्ष अंकित करायी है। पीड़िता (आर) के पिता ने प्राथमिक विद्यालय, सरसौली, जहाँ पीड़िता कक्षा-5 पढ़ी थी, के अभिलेख पत्रावली में दाखिल किए हैं, जिसमें पीड़िता (आर) की जन्मतिथि 15-09-1995 अंकित है। पीड़िता के पिता जिलेदार द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल दाखिल की गयी है, जिसमें पीड़िता (आर) की जन्मतिथि 08-03-1993 अंकित है। शैक्षिक प्रपत्र होने के बावजूद विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना /लापरवाही करके उनका सत्यापन संबंधित विद्यालय से नहीं कराया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार में पीड़िता (आर) का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल में कराया है। प्रदर्शक -6 सी०एम०ओ० की आख्यानुसार पीड़िता (आर) की उम्र घटना के समय 17 वर्ष थी।

43- पीड़िता (आर) की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू है जिसके अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

44- आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 (2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया

होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

45- स्वेता गुलाटी और अन्य बनाम दिल्ली राज्य, निर्णीत दिनांक 08-08-2018, दिल्ली उच्च न्यायालय में अवधारित किया गया है कि - The settled principle is that the ossification test is not conclusive of age determination. It is settled that it is difficult to determine the exact age of the person concerned on the basis of ossification test or other tests. The Supreme Court, in several decisions, has taken judicial notice of the fact that the margin of error in age ascertained by radiological examination is two years on either side.²

46- रजक मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, निर्णीत दिनांक 23-08-2018 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि - While it is correct that the age determined on the basis of a radiological examination may not an accurate determination and sufficient margin either way has to be allowed, yet the totality of the facts stated above read with the report of the radiological examination leaves room for ample doubt with regard to the correct age of the prosecutrix. **The benefit of the aforesaid doubt, naturally, must go in favour of the accused.**

47- अजय पाल और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य 2018 (2) जे०आई०सी० 743 इलाहाबाद में अवधारित किया गया है कि यदि साक्ष्य के आधार पर दो मत होना संभव हैं तो न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष वाले मत पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाता है। पीड़िता की उम्र के बारे में तीन तर्क हैं। प्रथम 17 वर्ष, द्वितीय 17 वर्ष, 11 दिन एवं तृतीय 19 वर्ष, 06 माह, 18 दिन। उपरोक्त स्थिति

में पीड़िता (आर) आहत साक्षी, जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, स्वयं को घटना के समय 19 वर्ष का होना कहा है, जिसके अनुसार वह घटना के समय बालिग थी।

48- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता (आर) की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा। शैक्षिक अभिलेखों के अभाव में चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी विवनीश कुमार एवं अन्य साक्षियों ने घटना के समय पीड़िता (आर) की उम्र लगभग 14 वर्ष बताई है। पीड़िता (आर) की आयु शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार घटना दिनांक 26-09-2012 को 17 वर्ष, 11 दिन थी। चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार पीड़िता (आर) की आयु, सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा 17 वर्ष निर्धारित की गयी है। इसके विपरीत पीड़िता (आर) के पिता जिलेदार ने पीड़िता (आर) की उम्र की बावत परिवार रजिस्टर की नकल पत्रावली में दाखिल किया है, जिसमें पीड़िता (आर) की जन्मतिथि 08-03-1993 अंकित है। इसके अनुसार घटना दिनांक 26-09-2012 को पीड़िता (आर) की उम्र 19 वर्ष, 06 माह, 18 दिन होती है। पीड़िता की आयु के संबंध में अभियोजन ने परस्पर विरोधाभासी साक्ष्य पत्रावलित की है। पीड़िता (आर) के बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० व न्यायालय में दिये बयान के अनुसार घटना के समय वह 19 वर्ष की थी।

49- उपरोक्त से यह साबित होता है कि पीड़िता (आर) घटना दिनांक 26-09-2012 को पूर्णतः बालिग थी। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं।

50- तहरीर वादी प्रदर्श क-1 विवनीश ने घटना दिनांक 26-09-2012 की रिपोर्ट थाना सिरसागंज में दिनांक 08-10-2012 को इस बावत पंजीकृत कराई कि उसकी चचेरी बहन पीड़िता (आर), उम्र 14 वर्ष, अपने कपड़े सिलवाने कस्बा अरांव गयी थी। जब शाम तक वापस नहीं आई तो उसे देखने अरांव गया, वहां पर बताया कि तुम्हारी बहन को स्वदेश, सोनी, मुंशीलाल, हरिकेश और रत्नेश टेम्पो में बैठा कर शिकाहाबाद की तरफ ले गये हैं। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-9 लिखाने तक पीड़िता (आर) का कोई पता नहीं चल सका। प्रदर्श क-3 सुपुर्दगीनामा पीड़िता (आर) दिनांक 06-12-2012 को उसके पिता जिलेदार सिंह की सुपुर्दगी में साक्षी रमेश चन्द्र व सुनील कुमार की उपस्थिति में दिया गया।

51- वादी विवनीश ने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान एवं न्यायालय में दिये सशपथ बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन

किया और कहा कि जब शाम तक उसकी बहन वापस नहीं आई तो वह उसे अरांव देखने गया। अरांव में टेलर राजेश कुमार ने बताया कि तुम्हारी बहन को स्वदेश, सोनी, मुंशीलाल, हरिकेश व रत्नेश टेम्पो में बैठा कर शिकोहाबाद ले गये हैं। साक्षी ने जिरह में कहा कि घटना दिनांक 26-09-2012 से 28-10-2012 तक मैं गाँव में ही रहा। मेरे गांव में कोई दर्जी नहीं है। पीड़िता (आर) सुबह 10:00 बजे घर से कपड़े सिलवाने अरांव अकेली गयी थी। दिनांक 26-09-2012 से पहले पीड़िता (आर) की माँ का स्वर्गवास हो चुका था, किस सन् में हुआ, नहीं पता। 7-8 साल हो गये। पीड़िता (आर) के घर से जाने का समय तहरीर में नहीं लिखा है, आज पहली बार बता रहा हूँ। घटना वाले दिन शाम को 4-5 बजे तक इन्तजार किया था। जब मैं कस्बा अरांव में पीड़िता (आर) को देखने गया तो मुझे **राजेश टेलर ने बताया** कि स्वदेश, रत्नेश, सोनी, हरिकेश व मुंशीलाल, टेलर के साथ थे। पीड़िता (आर) मुझे बता कर नहीं गयी थी कि वह कपड़े सिलवाने जा रही है। **मुझे राम नारायण** ने सुबह 10:00 बजे बताया था कि पीड़िता (आर) कपड़े सिलवाने गयी है। राम नारायण, पीड़िता (आर) का पडोसी है। पीड़िता (आर) व राम नारायण के मकान के बीच में मेरा मकान है। स्वदेश, हरिकेश, मुंशीलाल घिरोर मैनपुरी के रहने वाले हैं। राजेश टेलर की दुकान अरांव में शिकोहाबाद-मैनपुरी रोड़ पर है। अरांव व घिरोर में लगभग 12-13 कि०मी० का अन्तर है। राजेश ने यह बताया था कि स्वदेश, रत्नेश, हरिकेश, सोनी व मुंशीलाल टेम्पो में बैठकर शिकोहाबाद जा रहे थे। यह लोग राजेश के पास ही शिकोहाबाद के लिए बैठे थे। स्वदेश, मुंशीलाल, हरिकेश, पीड़िता (आर) के पहुंचने से आधा घण्टा पहले से राजेश की दुकान पर खड़े थे। पीड़िता (आर), राजेश के पास मिलने कितने बजे पहुंची थी, मुझे नहीं मालूम। पीड़िता (आर) ने सूट दिया था। सूट सिलकर राजेश ने नहीं दिया था, बाद में मुझे दिया था। राजेश के पास पीड़िता (आर) **लगभग एक-डेढ़ घण्टे रूकी थी।** पीड़िता (आर) इसके पहले **राजेश के पास कपड़े सिलवाने कभी नहीं गई** थी। पहली बार गयी थी। फिर पहली बार कपड़े की नाप देने में डेढ़ घण्टा कैसे लगा दिया था, इस प्रश्न पर अभियोजन निरुत्तर है।

52- दिनांक 26-09-2012 को राजेश द्वारा बताने के बाद हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखाई, दूढ़ते रहे थे। एफ०आई०आर० में दूढ़ने वाली बात नहीं लिखी है। राजेश के अलावा इन लोगों के बारे में मुझे मधुरेन्द्र, प्रवेन्द्र, रामलखन उर्फ राम नारायण ने दो दिन बाद बताया था। इन लोगों के नाम मैंने एफ०आई०आर० में नहीं लिखे थे। बताने से पहले तहरीर दिनांक 08-10-2012 को दे दी थी, इसलिए इनके नाम तहरीर

में नहीं लिखे थे। पीड़िता (आर) के पिता काफी वृद्ध 55 वर्ष के हैं, इसलिए एफ०आई०आर० लिखाने मेरे साथ नहीं गये थे। मैं एफ०आई०आर० करने अकेले चौकी अरांव 12:00 बजे गया था। मैं थाने नहीं गया था। मुकदमा लिखाने के बाद भी थाने नहीं गया। मैंने दिनांक 08-10-2012 के 4-5 दिन पहले घटना के बारे में दरोगा जी को मौखिक बता दिया था। तहरीर दुकान पर बैठकर स्वयं लिखकर चौकी अरांव में दिनांक 08-10-2012 को दी थी।

53- पीड़िता (आर) से मेरी मुलाकात अचानक दो माह बाद दिनांक 06-12-2012 को हुई, जब वह न्यायालय में बयान के लिए आई थी। मेरे अलावा चाचा जिलेदार सिंह थे। मुझे नहीं मालूम कि पीड़िता (आर) व स्वदेश को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? स्वदेश को मैंने न्यायालय में पहली बार देखा था। वह दूसरे गाँव व जिले का है। मैंने राजेश, प्रवेन्द्र एवं मधुरेन्द्र के बताये अनुसार स्वदेश के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी। इन्होंने पीड़िता (आर) को गाँव पिण्डसरा में दिनांक 26-09-2012 को देखा था। प्रवेन्द्र और मधुरेन्द्र ऑटो से आ रहे थे, यह लोग जा रहे थे, उस समय पीड़िता (आर) के साथ सोनी व रत्नेश थे। मैंने पीड़िता (आर) के साथ मारपीट नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मैंने पीड़िता (आर) के साथ मारपीट की हो तथा उसी मारपीट की बदनामी के कारण यह झूठा मुकदमा लिखा दिया हो और मेरा जिलेदार से मनमुटाव हो, इसी कारण मैंने यह झूठी एफ०आई०आर० की हो।

54- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर) ने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं किया है और कहा कि मेरी उम्र 19 वर्ष है। मेरा मुल्जिमान के घर में आना जाना था। स्वदेश, सोनी के यहाँ आते जाते थे। इसी कारण मैं स्वदेश के प्रेम में आ गयी और एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसी बीच मेरे घर वालों को इस प्रेम की जानकारी हो गयी तो वह लोग मुझ पर नजर रखने लगे। मैंने रत्नेश व सोनी से बात करके सोनी के घर पर स्वदेश व हरिकेश को बुलवाया था। मैं चुपके से सोनी के घर आ गई। कपडे सिलवाने के बहाने पहले अरांव आई, फिर हम लोग अरांव से टेम्पो में बैठकर शिकोहाबाद चले गये। शिकोहाबाद में स्वदेश के पिता मुंशीलाल मिले, फिर हम लोग सूरत, गुजरात चले गये। मैंने व स्वदेश ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट की थी, जिस पर उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त होने पर आज मैं न्यायालय आई हूँ। इस बीच स्वदेश से मेरी रजामन्दी से कई बार शारीरिक संबंध स्थापित हुए। मेरे साथ स्वदेश ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की।

55- पीड़िता (आर) ने अपने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में पूर्व कथन का समर्थन करते हुए कहा कि मैं 19 वर्ष की हूँ, पढ़ी लिखी

नहीं हूँ। मैं एक जगह फोन लगा रही थी, गलती से स्वदेश के नम्बर पर फोन लग गया। उसके बाद स्वदेश से परिचय हो गया, फिर बराबर फोन से बातचीत होने लगी, आपस में मुलाकत होने से प्रेमभाव बढ़ गया। एक दिन घर पर फोन पर बात करते हुए विवनीश ने देख लिया, यह मेरे ताऊ का लड़का है, उसने मुझे मारापीटा। थप्पड़ मार दिया, हमारे ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर जलाने का प्रयास किया। मैं इससे परेशान हो गई, तब मैंने स्वदेश को फोन किया कि हमें यहाँ से ले चलो। मैंने घर से अकेले निकल कर शिकोहाबाद आई। करीब दो-ढाई माह पूर्व मैं स्वदेश के साथ सूरत चली गई थी, वहाँ पर स्वदेश हलवाई का काम करते थे। दोनों लोग वहाँ किराये पर रहते थे। मेरे ताऊ के लड़के विवनीश कुमार ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई। स्वदेश और मैं आपस में शादी कर लिए हैं। सूरत में पति-पत्नी की तरह रहते थे। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी मेरी राजी से होते थे। स्वदेश मेरे संग कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था।

56- पीड़िता (आर) ने न्यायालय में सशपथ बयान से पूर्व कथन का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे स्वदेश और पुलिस दोनों ने धमका दिया था। तारीख, महीना, सन् मुझे याद नहीं है। जब सूरत से लेकर आये थे, तब धमकाया था। सूरत से मैं सीधे इलाहाबाद गयी थी और आर्य समाज मन्दिर में शादी की थी। वह शादी मेरी इच्छा से नहीं हुई थी, जबरन कराई गई थी। यह कहना गलत है कि मैंने अपने माँ व भाई के खिलाफ कोई रिट की हो। मेरे परिवारीजन मुझे मिट्टी का तेल डालकर जान से मार देंगे।

57- साक्षी ने जिरह में कहा कि मैंने सोनी, रत्नेश व हरिकेश को जानने वाली बात धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में नहीं बताई, आज न्यायालय में पहली बार बता रही हूँ। मेरे माँ-बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मेरी शादी को लगभग 9-10 वर्ष हो चुके हैं। मैं गाँव से भारवल तक पैदल आई थी। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बताया था कि मुझे धमका दिया है। हरिकेश, रत्नेश यह लोग अरांव छोड़ कर चले गये थे। मैं, स्वदेश के साथ अकेले गयी थी और स्वदेश के साथ ढाई महीने रही थी। यह कहना गलत है कि आज अपने ताऊ के लड़के विवनेश व परिवारीजन के दबाव में बयान दे रही हूँ।

58- पी०डब्लू०-3 डा० जूही वाष्णेय ने पीड़िता (आर) का बाह्य व आन्तरिक चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 04-01-2013 को किया था। पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। आन्तरिक परीक्षण में पीड़िता के गुप्तांग पर चोट का निशान नहीं था, उसकी झिल्ली पुरानी टूटी हुई थी। उसकी यौनि में दो उंगली आराम से जा रही थीं। उसका गर्भाशय Bulky था। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय

सामान्य और उसमें कोई गर्भ नहीं था। वेजाइनल स्मीयर स्लाईड रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। डाक्टर की राय के अनुसार बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। साक्षी ने जिरह में कहा कि मजरूबी चिट्ठी पर पीड़िता (आर) व उसके भाई विवनीश का नाम नहीं लिखा था। यह कहना गलत है कि मैंने पीड़िता (आर) के भाई विवनीश के कहने पर रिपोर्ट तैयार की हो।

59- पी०डब्लू०-5 विवेचक गौरव सवरवाल ने केस डायरी में पर्चा संख्या-28 लगायत पर्चा संख्या-36 किता करते हुए पूर्व विवेचक की विवेचनानुसार केवल अभियुक्त स्वदेश के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र प्रदर्शक-7 न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी ने जिरह में कहा कि जिन गवाहों के पूर्व विवेचक ने बयान लिये थे, उन गवाहों के पुनः बयान मैंने नहीं लिए। मैंने किसी गवाह का बयान नहीं लिया। यह कहना गलत है कि मैंने विवेचना सही तरह से न की हो और पूर्व विवेचक द्वारा की गई विवेचना का अवलोकन किए बिना आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया हो।

60- पी०डब्लू०-6 अमोल शर्मा, विवेचक ने पर्चा संख्या-22 लगायत पर्चा संख्या-27 किता किये। उसके उपरान्त इनका स्थानान्तरण हो गया। इस साक्षी ने भी किसी गवाह का बयान अंकित नहीं किया है। जिरह के पृष्ठ संख्या-2 के प्रथम पैरा के अन्त में कहा कि पूर्व विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए सोनी, मुंशीलाल, रत्नेश व हरिकेश की नामजदगी झूठी पायी गयी। यह कहना गलत है कि मैंने मुकदमे की विवेचना में कोई कार्यवाही न की हो और थाने पर बैठकर कार्यवाही पूर्ण कर दी हो।

61- पी०डब्लू०-7 प्रथम विवेचक राम अवतार सिंह ने केस डायरी के पर्चा संख्या-1 लगायत पर्चा संख्या-16 किता करते हुए जिरह में कहा कि नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर बनाई थी। वादी ने यह नहीं बताया था कि नक्शा नजरी का स्थान किसने दिखाया था, क्योंकि पीड़िता बाजार करने चली गई थी। तहरीर में वादी ने अरांव जाने वाली बात बताई थी, लेकिन उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। चिकित्सीय परीक्षण में डाक्टर ने एफ०एस०एल० के लिए कोई प्रपत्र नहीं दिया था। जिरह के पृष्ठ संख्या-7 के मध्य में कहा कि **विवेचना के दौरान मुझे यह जानकारी नहीं हुई थी कि स्वदेश द्वारा कभी पीड़िता को डराया व धमकाया हो।** धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता के साथ स्वेच्छा से जाना बताया है। दौरान विवेचना पीड़िता की बरामदगी नहीं हो सकी। पीड़िता स्वयं सी०जे०एम० न्यायालय में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से उपस्थित आयी थी। उसके उपरान्त मेरा स्थानान्तरण हो गया।

यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर बैठकर बिना मौका मुआइना किए नक्शा नजरी तैयार किया हो।

62- पी०डब्लू०-8 रामलखन को स्वतंत्र गवाह बताया गया है, जिसने पीड़िता (आर) को जाते हुए देखा है। साक्षी ने जिरह में कहा कि पीड़िता (आर) मेरे गाँव की नहीं है और ना ही मेरी रिश्तेदार है। घर भी आसपास नहीं है। इसके घर भी आना जाना नहीं है। स्वदेश से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, केवल गाँव में आते जाते देखा था। जब मैं खाद लेकर आ रहा था, तभी मैंने टेलर की दुकान के सामने पीड़िता (आर) व स्वदेश को देखा था। मुझे नहीं मालूम कि राजेश टेलर की दुकान में कितने आदमी काम करते हैं। मैं सरसौली गाँव का रहने वाला हूँ और विवनीश मेरे गाँव का है। यह कहना गलत है कि विवनीश के कहने पर मुझे पुलिस ने गवाह बनाया हो और मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि पीड़िता (आर) व स्वदेश को राजेश टेलर की दुकान के पास न देखा हो।

63- पी०डब्लू०-9 मधुरेन्द्र स्वतंत्र साक्षी ने घटना 26-09-2012 को स्वदेश और पीड़िता (आर) को टेम्पो में बैठकर जाते देखा हो। साक्षी ने जिरह में कहा कि पीड़िता (आर) अरांव में टेम्पो में बैठी थी, जो शिकोहाबाद की ओर जा रहा था। उस टेम्पो में कितने आदमी-औरत बैठे थे, मुझे ध्यान नहीं है। पीड़िता (आर) किस रंग का सूट पहने थी, ध्यान नहीं है। पूछा तो उसने कहा कि कपडे सिलवाने शिकोहाबाद जा रही हूँ। उसके बाद मेरी मुलाकात पीड़िता (आर) से एक-डेढ महीने बाद हुई थी। उसी दिन शाम को मैंने विवनीश को बताया था कि मैंने पीड़िता (आर) को टेम्पो में बैठे हुए अरांव में देखा था। स्वदेश को मैंने गाँव में देखा था। स्वदेश की मेरे यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है। गाँव में किसके घर आते थे, मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि विवनीश ने मेरा नाम गवाही हेतु ना लिखाया हो और मैं विवनीश के कहने पर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

64- पी०डब्लू०-10 प्रवेन्द्र स्वतंत्र साक्षी ने कहा कि मैंने शिकोहाबाद बाजार में पीड़िता (आर) के साथ स्वदेश आदि को टेम्पो से उतरते हुए अपनी आँखों से देखा। बाद में पता चला कि स्वदेश, पीड़िता (आर) को भगा ले गया है। जिरह में कहा कि रत्नेश और सोनी मुझे टेम्पो में नहीं मिली थीं। मैंने पीड़िता (आर) को 11:00 बजे टेम्पो से उतरते हुए देखा था। वह सलवार, सूट पहने थी और भी सवारी टेम्पो से उतर रही थीं। घटना से पहले स्वदेश को मैंने 2-3 बार गाँव में देखा था, किसके यहाँ देखा था, नहीं मालूम। पीड़िता (आर) मेरे परिवार की नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने विवनीश के कहने से ही दरोगा जी को बयान दिया हो और मैंने कोई घटना न देखी हो और झूठी गवाही दे रहा हूँ।

65- पी०डब्लू०-11 विवेचक दिनेश कुमार सिंह ने केस डायरी के पर्चा संख्या-17 लगायत 21 किता करते हुए जिरह में कहा कि मैंने किसी और का बयान नहीं लिया। यह कहना गलत है कि विवेचना मैंने थाने पर बैठ कर की हो।

66- पी०डब्लू०-12 कां० क्लर्क दीपक मिश्रा ने अपनी साक्ष्य से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-9 और जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-10 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। इस साक्षी को तथ्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

67- प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

68- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

69- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के

बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

70- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

71- पीड़िता (आर), जो सम्पूर्ण घटनाक्रम की अपहृता और आहत साक्षी है, ने अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० और न्यायालय में दिये बयान में स्वीकार किया है कि अचानक उसका फोन गलती से स्वदेश को मिल गया। उसके बाद बातचीत होने से प्रेमभाव बढ़ गया और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। घर वालों को जब इसका पता चला तो सबने मेरे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। मेरे तारु के लड़के विवनीश ने हमें बात करते हुए देख लिया और हमें मारापीटा, थप्पड़ मारे और हमारे ऊ मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। इससे तंग आकर मैंने स्वदेश से कहा कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। पीड़िता (आर) स्वयं अकेले अरांव होते हुए शिकोहाबाद गयी और वहाँ से सूरत, गुजरात गयी, वहाँ दो-ढाई महीने स्वदेश के साथ पति-पत्नी के रूप में रही। चूंकि पीड़िता को बालिग घोषित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पीड़िता (आर) अपना अच्छा बुरा समझने और स्वतंत्र सहमति देने के लिए विधि की नजर में पूर्णतः सक्षम है। पीड़िता (आर) ने स्वीकार किया कि उसके साथ उसकी सहमति से ही स्वदेश ने संबंध बनाये। पीड़िता (आर) ने अपने बयानों में स्पष्ट कहा कि स्वदेश ने उसके साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की। अभियोजन पक्ष, अभियुक्त स्वदेश के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त स्वदेश अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

72- बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया कि वादी विवनीश ने एफ०आई०आर० अत्यन्त विलम्ब से, सोच समझ कर एवं विधिक सलाह लेकर पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध झूठे एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई है जिनमें चार अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाते हुए विवेचक द्वारा उनका नाम विवेचना में निकल

दिया है। तहरीर प्रदर्श क-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 26-09-2012, दिन बुधवार सुबह की है, जबकि वादी के स्वयं कथनानुसार उसने थाना सिरसागंज में तहरीर दिनांक 08-10-2012 को प्रस्तुत की थी। वादी ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसने तहरीर देने से पहले घटना के बारे में थानाध्यक्ष को सूचना दे दी थी, परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई सूचना मौजूद नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि घटना की जानकारी दरोगा जी को थी। वादी ने मधुरेन्द्र, प्रवेन्द्र और राम नारायण द्वारा घटना के दो दिन बाद पीडिता (आर) को अभियुक्तगण द्वारा ले जाना बताया गया है, उसके बावजूद मधुरेन्द्र, प्रवेन्द्र और राम नारायण का नाम तहरीर में वादी ने अंकित नहीं किया है। इस बिन्दु पर वादी मौन है। वादी विवनीश स्वयं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, उसने उपरोक्त गवाहों के कथन के आधार पर रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। वादी व तथ्य के अन्य गवाहों ने यह कहा कि पीडिता (आर) के गुम हो जाने पर वह उसे तलाश करते रहे, परन्तु पीडिता (आर) को तलाश करने का कथन तहरीर में वादी ने अंकित नहीं किया है, जो कि विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण हो सकता था। साक्षी मधुरेन्द्र व प्रवेन्द्र तथा राम नारायण ने अपने बयान में पीडिता की शिक्षा व आयु के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि पीडिता (आर) किस कक्षा और स्कूल में पढती थी और उसकी सही उम्र क्या थी? यह साक्षीगण वादी के गांव के ही मूल निवासी और हितबद्ध साक्षी हैं। वादी ने पीडिता (आर) के पिता जिलेदार सिंह की उम्र 55 वर्ष, काफी वृद्ध होना कहा है और इसीलिए रिपोर्ट दर्ज कराने वादी के साथ थाने पर नहीं गये थे। वादी ने पीडिता (आर) के पिता जिलेदार सिंह को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादी घटना दिनांक 26-09-2012 की एफ०आई०आर० दिनांक 08-10-2012 को लगभग 12 दिन विलम्ब से थाने में दर्ज कराने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण प्रदर्शित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पक्ष का उक्त तर्क सन्धार्य है और विश्वसनीय है।

73- बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया कि अभियुक्त स्वदेश द्वारा पीडिता (आर) के साथ जबरदस्ती नहीं की गयी है और ना ही बलात्कार किया गया है। इस तथ्य को अभियोजन, अभियुक्त के विपरीत साबित करने में असफल रहे हैं, क्योंकि पीडिता ने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० व न्यायालय में दिये बयान में कहा कि अभियुक्त स्वदेश ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, वह 19 वर्ष की बालिग है और जो भी संबंध बने हैं, उसकी सहमति से बने हैं। इस संबंध में निम्न विधि व्यवस्थाएं लागू होती हैं -

रूप किशोर बनाम उ०प्र० राज्य 2015(2) जे०आई०सी० 607 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, राजू यादव उर्फ मुकेश बनाम उ०प्र० राज्य 2014(2) जे०आई०सी० 682 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुन्ना उर्फ शम्भूनाथ 2015(1) जे०आई०सी० 383 (सुप्रीम कोर्ट), जैराम बाथम बनाम उ०प्र० राज्य 2021(3) जे०आई०सी० 346 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राम प्रसाद और खुशीराम बनाम उ०प्र० राज्य 2018(3) जे०आई०सी० 806 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने पीडिता की सहमति के प्रश्न की व्याख्या की है और मामला सहमति के आधार पर अभियुक्त के साथ जाना बताया है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत प्रकरण में लागू होती हैं, क्योंकि प्रस्तुत मामला सहमति का है। पीडिता ने अपने बयान में कहा कि स्वदेश से गलती से फोन मिल गया और उसके बाद उससे बातचीत होने लगी और प्रेमभाव बढ़ गया और मुलाकाते भी होने लगीं। भाई विवनीश ने बात करते हुए देखा तो उसे मारापीटा और मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया तो उसने स्वदेश से कहा कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। फिर वह स्वयं अकेले अरांव होते हुए शिकोहाबाद गयी और वहाँ से सूरत, गुजरात गयी, वहाँ दो-ढाई महीने स्वदेश के साथ पति-पत्नी के रूप में रही। उनके मध्य जो भी संबंध बने वह आपसी सहमति/रजामन्दी से बने, जो विधि अनुसार दोनों पक्षों के बालिग होने के कारण विधि मान्य हैं।

74- बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया कि अभियोजन ने मुख्य चश्मदीद साक्षी राजेश टेलर को भी परीक्षित नहीं कराया है, जिनके आधार पर सम्पूर्ण घटना वादी विवनीश से मिलकर रची गयी थी। वादी व तथ्य के अन्य साक्षियों के बयान में आया कि पीडिता (आर) कपड़े सिलवाने के लिए अरांव राजेश टेलर के यहाँ पहली बार गयी थी और वहाँ एक-डेढ़ घण्टा रुकी। राजेश टेलर के यहाँ अभियुक्तगण आये थे और वहीं से पीडिता (आर) को अपने साथ टेम्पो में बैठा कर ले जाना कहा गया है। प्रस्तुत मामले में राजेश टेलर अहम चश्मदीद एवं विश्वसनीय साक्षी थे, जिनको परीक्षित न कराकर अभियोजन ने त्रुटि कारित की है। अतः अभियुक्त का तर्क सन्धार्य है।

75- बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया कि प्रस्तुत मामले में चार विवेचकों ने त्रुटिपूर्ण विवेचना की है। पीडिता (आर) की शिक्षा संबंधी प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित विद्यालय से नहीं कराया और विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य आदि को न्यायालय में अभिलेख के साथ तलब करके

पत्रावली में दाखिल पीडिता (आर) से संबंधित शैक्षिक प्रपत्रों को प्रमाणित नहीं कराया है। पीडिता (आर) की आयु के संबंध में युक्तियुक्त विवेचना नहीं की है। विवेचना के दौरान चारों विवेचकों में से कोई भी विवेचक अभियुक्त स्वदेश को गिरफ्तार करने और पीडिता (आर) को बरामद करने में असफल रहा है। पीडिता (आर) और अभियुक्त स्वदेश स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। पीडिता (आर) के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला/बलात्कार जैसा गम्भीर अपराध होने के उपरान्त भी अपराध से संबंधित सामग्री को एफ०एस०एल०/डी०एन०ए० टेस्ट के लिए नहीं भेजा। डाक्टर द्वारा पीडिता (आर) के साथ लैंगिक हमला किए जाने के संबंध में कोई राय नहीं दी गयी है और पीडिता की हायमन झिल्ली पुरानी टूटी होना कहा है। विवेचकों द्वारा घटना स्थल का सही मूल्यांकन सम्पुष्ट नहीं किया है एवं मौके पर स्थित परिदृश्य को अपने नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं किया है, जो विवेचकों द्वारा विवेचना में की गयी लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अतः अभियुक्त का उक्त तर्क सन्धार्य है।

76- धारा-114 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार यदि किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया गया है और वह स्त्री अपनी साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी तो वहाँ न्यायालय यह अवधारित करेगा कि उस स्त्री ने सम्मति नहीं दी थी। प्रस्तुत प्रकरण पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित है। पीडिता (आर) (उम्र लगभग 18 वर्ष) बालिग है, इसलिए पोक्सो अधिनियम के उपबंध प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होते हैं। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त स्वदेश ने बालिग पीडिता (आर) के साथ उसे बहला फुसला कर, उसकी सहमति के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं किया है, बल्कि अभियुक्त स्वदेश ने पीडिता (आर) के साथ बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला पीडिता (आर) की रजामन्दी/सहमति से किया है।

77- पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त स्वदेश कुमार के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त स्वदेश कुमार अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम से दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त स्वदेश कुमार को आरोप अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामों एवं बन्धपत्र

निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त स्वदेश कुमार धारा -437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक: 25-05-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 25-05-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"
UPFD010056182016



पी०एस०टी० सं०-0001826/2016

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

राम किशन पुत्र बेबी प्रसाद, निवासी निजामी बस्ती, कस्बा व थाना
टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

----- अभियुक्त।

मु०अ०सं०-324/2016

धारा-363, 366, 376, 385, 406,

506, 120 बी भा०दं०सं० एवं

धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम

थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

ए व म्

UPFD010085602017



पी०एस०टी० सं०-0002609/2017

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

दीपक शर्मा पुत्र बेबी प्रसाद, निवासी निजामी बस्ती, कस्बा व थाना
टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

----- अभियुक्त।

मु०अ०सं०-324/2016

धारा-366, 506, 120 बी भा.दं.सं.

थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

पी०एस०टी० सं०-1826/2016, मु०अ०सं०-324/2016, राज्य बनाम रामकिशन, धारा-363, 366,
376, 385, 406, 506, 120B भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट एवं पी०एस०टी० सं०-2609/2017,
राज्य बनाम दीपक शर्मा, धारा-366, 506, 120B भा०दं०सं०, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

-: निर्णय :-

1- थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद द्वारा मुकदमा अपराध सं०-324/2016 में अभियुक्तगण राम किशन एवं (अभियुक्त विशाल, जिसकी पत्रावली अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, आदेश दिनांक 03-04-2019 के अनुपालन में किशोर न्याय बोर्ड भेजी जा चुकी है), के विरुद्ध धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम तथा अभियुक्त दीपक शर्मा के विरुद्ध धारा-366, 506, 120 बी भा०दं०सं०, के अन्तर्गत न्यायालय में अलग-अलग आरोप-पत्र क्रमशः प्रदर्श क-31 व प्रदर्श क-32 प्रस्तुत करने पर अभियुक्तगण राम किशन एवं दीपक शर्मा का एक साथ विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के साथ बलात्कार होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित करने से निषेधित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (पी) नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- अभियोजन ने प्रार्थनापत्र 19 ब दिनांक 15-11-2017 को उपरोक्त दोनों पत्रावलियाँ एक ही अपराध संख्या व घटना से सम्बन्धित होने के कारण दोनों को समेकित करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर, स्वीकार करते हुए उक्त दोनों पत्रावलियों को समेकित किया। पी०एस०टी० संख्या - 1826/2016, सरकार बनाम राम किशन आदि को अग्रणी पत्रावली तथा पी०एस०टी० संख्या-2609/2017, राज्य बनाम दीपक शर्मा, अन्तर्गत धारा-366, 506, 120 बी भा०दं०सं० को द्वितीय पत्रावली, बनाते हुए समस्त कार्यवाही अग्रणी पत्रावली में सम्पादित की गई। सुविधा की दृष्टि से दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक साथ, एक ही

निर्णय/आदेश से किया जा रहा है।

4- वादी शिव कुमार की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1, दिनांक 03-04-2016 के अनुसार घटना दिनांक 30-03-2016 को वादी की नाबालिग 17 वर्षीय पुत्री/पीड़िता (पी) घर से लगभग 10:00 बजे दिन में सब्जी लेने बाजार गयी थी। काफी देर शाम तक जब पीड़िता (पी) घर वापस नहीं आयी तो वादी ने अपने परिवारीजन व संबंधीगण एवं रिश्तेदारों के साथ जानकारी कर काफी तलाश की। तब पता चला कि पीड़िता (पी) को विशाल बहला फुसला कर भगा ले गया है।

5- सतीश ने वादी को बताया कि दिनांक 30-03-2016 को उसने वादी की पुत्री/पीड़िता (पी) को टूण्डला पुल के पास विशाल के साथ खड़े देखा था। पूछा तो बताया कि पीड़िता (पी) की रिश्तेदारी में कोई दुर्घटना हो गयी है, वहाँ लेकर जा रहे हैं। वादी ने विशाल के माता-पिता कविता व राम किशन तथा उसके परिवारीजन दीपक, गौरव पुत्रगण बेबी प्रसाद व राहुल पुत्र जगमोहन तथा श्रीमती आशा शर्मा पत्नी सुदीप आदि से बात की तो विशाल के बारे में सन्तोषजनक जानकारी नहीं दी। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

6- वादी शिव कुमार की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 पर थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में मु०अ०सं०-324/2016, धारा-363, 366 भा०दं०सं०, अभियुक्त विशाल के विरुद्ध हैड कां० भोला नाथ ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-33 अंकित की, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी सं०-49 प्रदर्श क-34 में किया।

7- विवेचक रंजीत सिंह, उप निरीक्षक ने दौरान विवेचना गवाहों के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-12 बनाया। पीड़िता को बरामद कर नक्शा नजरी बरामदगी स्थल प्रदर्श क-26 बनाया। जिसे अपनी साक्ष्य से साबित किया है। पीड़िता के आयु संबंधी प्रपत्र एवं घटना से संबंधित साक्ष्य संकलित किये। पीड़िता का बयान धारा-161 एवं धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित किये। मेडीकल कराया और विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त राम किशन शर्मा एवं अभियुक्त विशाल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में आरोपपत्र प्रदर्श क-31 दाखिल किया।

8- अग्रिम विवेचना ओमपाल सिंह, उप निरीक्षक ने करते हुए, विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक शर्मा के विरुद्ध धारा-366, 506, 120 बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रदर्शक-32 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

9- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके अभियुक्त राम किशन के विरुद्ध दिनांक 24-11-2016 को अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम तथा अभियुक्त दीपक शर्मा के विरुद्ध दिनांक 15-11-2017 को अन्तर्गत धारा-366, 506, 120 बी भा०दं०सं०, में अलग-अलग आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण उपरोक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

10- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	शिव कुमार (वादी)	तहरीर प्रदर्शक-1 व पीड़िता (पी) के शैक्षिक प्रपत्र प्रदर्शक-2 ता 4
पी०डब्लू०-2	सतीश कुमार (चक्षुदर्शी साक्षी)	--
पी०डब्लू०-3	पीड़िता (पी) (अपहृता/आहत)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-5
पी०डब्लू०-4	डा० जूही वाष्णेय (विशेषज्ञ)	पीड़िता (पी) की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्शक-6 व पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्शक-7
पी०डब्लू०-5	डा० नसीम अहमद (विशेषज्ञ)	पीड़िता (पी) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्शक-8 एवं आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्शक-9
पी०डब्लू०-6	रणजीत सिंह, निरीक्षक (प्रथम विवेचक)	पीड़िता (पी) का हाईस्कूल अंकपत्र प्रदर्शक-10, तलाश प्रारूप प्रदर्शक-11, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्शक-12, मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० प्रार्थनापत्र प्रदर्शक-13, रामकिशन, दीपक, गौरव,

पी०एस०टी० सं०-1826/2016, मु०अ०सं०-324/2016, राज्य बनाम रामकिशन, धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120B भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट एवं पी०एस०टी० सं०-2609/2017, राज्य बनाम दीपक शर्मा, धारा-366, 506, 120B भा०दं०सं०, थाना टूणडला, जिला फिरोजाबाद।

		राहुल को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-14 लगायत 17 एवं अनुस्मारक नोटिस अन्तर्गत धारा-91/160 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-18 ता 21, मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-22, पीड़िता का स्कूल पहचान-पत्र व आधार कार्ड क्रमशः प्रदर्श क-23 व 24, पीड़िता की फर्द बरामदगी प्रदर्श क-25, बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-26, जी०डी० नं०-21 प्रदर्श क-27, फर्द सुपुर्दगीनामा पीड़िता प्रदर्श क-28, गिर्राज सिंह को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-29 एवं अनुस्मारक नोटिस धारा-91/160 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-30 व अभियुक्तगण रामकिशन व विशाल के विरुद्ध प्रेषित आरोपपत्र प्रदर्श क-31
पी०डब्लू०-7	ओमपाल सिंह (द्वितीय विवेचक)	आरोप पत्र अभियुक्त दीपक शर्मा प्रदर्श क-32
पी०डब्लू०-8	हैड कां० भोला नाथ	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-33 व जी०डी० मुकदमा कायमी सं०-49 प्रदर्श क-34

11- पी०डब्लू०-1 वादी शिव कुमार ने कहा कि घटना दिनांक 30-03-2016 को मेरी नाबालिग पुत्री/पीड़िता (पी) घर से करीब 10:00 बजे दिन सब्जी लेने बाजार गयी थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई तो मैंने व मेरे परिवार वालों ने तलाश की, तभी कच्चा टूण्डला के सतीश पुत्र रामबाबू ने मुझे बताया कि उसने दिनांक 30-03-2016 को मेरी बेटा/पीड़िता (पी) को अभियुक्त विशाल के साथ टूण्डला हाइवे पुल के पास खड़ा देखा है। जब सतीश ने विशाल से पूछा कहा जा रहे हो तो उसने बहाना बनाते हुए कहा कि पीड़िता (पी) की रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गयी है, वहाँ जा रहे हैं। इस तरह विशाल मेरी

बेटी/पीड़िता (पी) को अपने साथ भगा ले गया।

12- मैंने विशाल के माता-पिता श्रीमती कविता व राम किशन एवं विशाल की बुआ आशा शर्मा व गौरव, दीपक, राहुल से विशाल के बारे में पूछताछ की तो इन लोगों ने सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया था, क्योंकि इन लोगों का भी मेरी बेटी/पीड़िता (पी) को भगाने में सहयोग था तथा इन सबकी साजिश थी। जब काफी तलाश करने पर बेटी/पीड़िता (पी) नहीं मिली तो मैंने घटना की तहरीर बृजेश कुमार से लिखा कर उस पर हस्ताक्षर करके थाना टूण्डला पर दी थी, जिस पर मुकदमा कायम हुआ, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि मेरी बेटी/पीड़िता (पी) घटना के करीब दो महीने बाद बरामद हुई थी।

13- पुलिस ने मेरी बेटी/पीड़िता (पी) का बयान कराया था तथा प्रक्रिया पूरी करने के बाद मेरी बेटी/पीड़िता (पी) को मेरे सुपुर्द कर दिया था तथा फर्द बरामदगी प्रदर्शक-25 व फर्द सुपुर्दगी प्रदर्शक-28 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। दौरान विवेचना मैंने दरोगा जी को अपनी बेटी/पीड़िता (पी) के शिक्षा सम्बन्धी कागजात दिये थे जो पत्रावली पर मौजूद हैं। उक्त कागज मैंने प्रधानाचार्य से प्रमाणित कराके तथा अपने हस्ताक्षर करके दरोगा जी को दिये थे। पुलिस ने मेरी सहमति से मेरी बेटी/पीड़िता (पी) का डाक्टरी परीक्षण कराया था। मेरी बेटी/पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 22-01-1999 है। वादी ने अपने सशपथ बयान में तहरीर प्रदर्शक-1 एवं पीड़िता (पी) के शिक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों प्रदर्शक-2 लगायत 4 को साबित किया है।

14- **पी०डब्लू०-2 सतीश कुमार, चश्मदीद साक्षी** ने कहा कि घटना दिनांक 30-03-2016 को मैं फिरोजाबाद में सामान लेने के लिए टूण्डला से आया था। टूण्डला चौराहे पर पुल के नीचे टायलेट से कुछ ही दूरी पर पीड़िता (पी) व विशाल को खड़े हुए देखा था। मैंने पीड़िता (पी) व विशाल से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ कैसे खड़े हो तो विशाल ने बताया कि पीड़िता (पी) की रिश्तेदारी में गमी हो गयी है, खबर आयी है। पीड़िता (पी) की मम्मी ने मुझे पीड़िता (पी) के साथ भेजा है। यह जानकारी करके मैं अपने घर चला आया। दो-तीन दिन बाद मैं पीड़िता (पी) के मौहल्ले से निकल कर जा रहा था तो मैंने चर्चा सुनी थी कि पीड़िता (पी) को विशाल भगा ले गया है। उसके भगाने में उसके माता-पिता ने सहयोग किया है, तो मैंने यह बात पीड़िता (पी) के पिता को बतायी थी। इस घटना के बावत सभी बातें मैंने विवेचक को

अपने बयान में बताई थीं।

15- पी०डब्लू०-3 पीड़िता (पी) ने कहा कि दिनांक 30-03-2016 को समय करीब 09:30 बजे सुबह मैं अपने घर से सब्जी लेने व अपने कागजों की फोटो स्टेट कराने बाजार गयी थी। रास्ते में मुझे विशाल मिला। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गयी है, तुम्हारे पापा का फोन आया है। उसने कहा कि जल्दी चलो। वह मुझे टूण्डला चौराहे पर लाया, वहाँ पर सतीश अंकल पुल के नीचे खड़े थे, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, फिर विशाल ने बताया कि रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गयी है। यह बात बता कर वहाँ से चल दिये। फिर हम आगरा गये। उसने मुझे वहाँ ले जाकर कुछ सुंघा कर बेहोश कर दिया था। फिर मुझे अपने आप में होश आया तब मैं हैदराबाद थी।

16- विशाल ने बताया कि मैं अपने पिता राम किशन व चाचा दीपक को बता कर तुम्हे यहाँ लेकर आया हूँ। फिर विशाल ने मुझे एक कमरे में रखा। वहाँ उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। हैदराबाद में विशाल ने मुझे करीब डेढ़ महीने रखा था। घटना के समय मेरी उम्र 17 वर्ष थी। उसने मेरे आधार कार्ड में जन्मतिथि में फेरबदल कराया था। फिर वह मुझे इलाहाबाद लेकर गया। मुझे उसने गिराज वकील के हवाले कर दिया था। उस वकील ने मुझे धमका कर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। वकील ने कहा था कि अगर किसी से बताया तो तुम्हारे भाईयों को जेल भेज देंगे।

17- दिनांक 28 मई दोपहर साढ़े बारह बजे मैं और वकील गिराज, रोड पर भोजनालय पर थे, वहाँ पर मेरे पापा व पुलिस आये और मुझे वहाँ से लेकर टूण्डला थाने में आये। मेरा बयान मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ हुआ था। बयान धारा-164 दं०प्र०सं० खोल कर दिखाया व पढाया तो साक्षी ने कहा कि इस पर लगा फोटो मेरा है और मेरे इस पर हस्ताक्षर हैं। मैं अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूँ। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान से अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

18- पी०डब्लू०-3 पीड़िता (पी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

दिनांक 30-03-2016 को सुबह 09:30 बजे सब्जी लेने व अपने कागज की फोटो स्टेट कराने बाजार गई थी, वहाँ विशाल मिला। उसने कहा तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई दुर्घटना हो गयी है। यह कह कर मुझे

हैदराबाद ले गया, वहां उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बलात्कार का मतलब जानती हूँ। मेरे सोने के कान के कुण्डल भी बेच दिया। डेढ़ माह मुझे वहीं रखा, फिर इलाहाबाद में रखा। इलाहाबाद में वकील गिराज, दीपक व विशाल ने धमकी देकर मुझसे कुछ कागज पर दस्तखत करवाए और धमकी दी कि किसी को बताया तो तुम्हें जेल करा देंगे व फांसी करा देंगे। दिनांक 28-05-2016 को पुलिस व मेरे पापा ने मुझे इलाहाबाद में आकर बचाया।

19- पी०डब्लू०-4 डा० जूही वाष्ण्य ने दिनांक 29-05-2016 को शाम 06:40 बजे पीड़िता (पी) पुत्री शिव कुमार, निवासी हरी नगर, कच्चा टूण्डला, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद का डाक्टरी परीक्षण किया। पीड़िता (पी) को महिला होमगार्ड 1534 हेमलता, थाना टूण्डला द्वारा लाया गया था। पीड़िता (पी) के साथ उसके पिता शिव कुमार आये थे, जिन्होंने डाक्टरी परीक्षण करने की सहमति दी।

बाह्य परीक्षण -

पीड़िता (पी) पूर्ण चेतन अवस्था में थी। उसका कद 60.3 इंच एवं वजन 38 किलोग्राम था। पीड़िता (पी) के बगल एवं गुप्तांग में बाल उपस्थित थे। उसका स्तन अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। पीड़िता (पी) ने घटना के बाद स्नान ले लिया था एवं कपड़े बदल लिए थे। पीड़िता (पी) के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था।

आन्तरिक परीक्षण -

पीड़िता (पी) के अनुसार उसकी आखिरी माहवारी 29-04-2016 को आयी थी। उसकी झिल्ली पुरानी टूटी हुई थी एवं गुप्तांग पर चोट का कोई निशान नहीं था। पीड़िता के गुप्तांग से कोई खून या डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। वेजाइनल स्लाइड बनाकर जांच हेतु भेजा गया। उम्र के निर्धारण के लिए सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद के पास सन्दर्भित किया गया। गर्भाशय का अल्ट्रासाउण्ड कराने की सलाह दी गयी। पेशाब की जांच गर्भ के लिए एवं एकसरे उम्र के लिए करवाने की सलाह दी गयी। प्राथमिक रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

20- डा० जूही ने कहा कि पीड़िता (पी) की पूरक रिपोर्ट मेरे द्वारा दिनांक 01-06-2016 को तैयार की गयी, जिसमें अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट दिनांक 03-05-2016 के अनुसार गर्भाशय सामान्य था।

पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार वेजाइनल स्मीयर स्लाइड में कोई शुक्राणु नहीं पाये गये एवं पेशाब की जांच गर्भ के लिए नगेटिव थी। रिपोर्ट के आधार पर सैक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं होती है। मेरे द्वारा जो पूरक रिपोर्ट तैयार की गयी, वह मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में पीड़िता (पी) की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-6 व पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-7 को साबित किया है।

21- पी०डब्लू०-5 डा० नसीम अहमद ने दिनांक 30-05-2016 को पीड़िता (पी) की एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट तैयार की। एक्सरे में पीड़िता (पी) की कोहनी, घुटना व कलाई की सभी एपीफाइसिस जुड़ी हुई थीं। कूल्हे की हड्डी व क्लेविकल की एपीफाइसिस जुड़ी हुई नहीं थी। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट – बच्चेदानी खाली थी। रिपोर्ट मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में लिखी गयी है, जो पत्रावली पर मौजूद है। एक्सरे रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। सी०एम०ओ० की अध्यक्षता वाले बोर्ड में, मैं भी सदस्य था। आयु प्रमाणपत्र पर लिखी हुई रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिसमें पीड़िता (पी) की उम्र लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी थी। इस साक्षी ने पीड़िता (पी) की एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श क-8 व पीड़िता (पी) की आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-9 को साबित किया है।

22- पी०डब्लू०-6 रणजीत सिंह, निरीक्षक ने कहा कि दिनांक 30-03-2016 को घटित घटना के सम्बन्ध में दिनांक 03-04-2016 को 21:15 बजे श्री शिव कुमार पुत्र माधौ सिंह, निवासी हरी नगर, संजय मार्ग, कस्बा व थाना टूण्डला, फिरोजाबाद द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री/पीड़िता (पी) को सब्जी लेकर बाजार से न लौटने के सम्बन्ध में तथा दिनांक 30-03-2016 को नाबालिग पीड़िता (पी) को विशाल के साथ टूण्डला पुल के पास सतीश द्वारा देखे जाने के सम्बन्ध में तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या-324/2016, अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम विशाल पुत्र राम किशन, निवासी निजामी बस्ती, थाना टूण्डला, फिरोजाबाद के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझे आवंटित की गयी थी।

23- तहरीर में विशाल के परिवारीजन माता कविता, पिता राम किशन, दीपक, गौरव, राहुल व बुआ श्रीमती आशा शर्मा आदि के द्वारा विशाल के बारे में सन्तोषजनक जानकारी न देना अंकित था। दिनांक

04-04-2016 को मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण कर वादी एवं अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये। पीड़िता (पी) का हाईस्कूल अंकपत्र लेकर अवलोकन कर जन्मतिथि 22-01-1999 अंकित पायी थी, जो पत्रावली में दाखिल है, जिसके अनुसार घटना दिनांक 30-03-2016 को पीड़िता (पी) की आयु 18 वर्ष से कम थी।

24- पीड़िता (पी) की तलाश हेतु दिया गया प्रारूप पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। घटना से सम्बन्धित अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। वादी शिव कुमार द्वारा बताये गये मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० पत्रावली पर दाखिल है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

25- दिनांक 08-04-2016 को विशाल के परिजनों रामकिशन, दीपक, गौरव, राहुल को विवेचना में सहयोग हेतु अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० नोटिस एवं अनुस्मारक नोटिस अन्तर्गत धारा-91/160 दं०प्र०सं० जारी किये, जो पत्रावली पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं। विशाल की माता कविता शर्मा, उसके मामा नरेन्द्र शर्मा तथा दीपक शर्मा की सी०डी०आर० रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पतारसी जारी रखी गयी, जो पत्रावली पर दाखिल है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

26- अभियुक्त विशाल की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया, नहीं मिला। पीड़िता (पी) का स्कूल पहचान-पत्र व आधार कार्ड प्राप्त कर पत्रावली में दाखिल किये। दिनांक 28-05-2016 को पीड़िता (पी) को बरामद कर उसकी फर्द व बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये तथा जिसका इन्द्राज जी०डी० नं०-21 में किया। पीड़िता (पी) का बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा पीड़िता (पी) का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया।

27- फर्द सुपुर्दगी तैयार कर पीड़िता (पी) को उसके पिता शिव कुमार की सुपुर्दगी में दिया। गिराज सिंह को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० एवं अनुस्मारक नोटिस अन्तर्गत धारा-91/160 जारी किये तथा सह-अभियुक्तगण दीपक, कविता, गिराज, टिन्चू उर्फ देवेन्द्र शर्मा आदि के विरुद्ध पूरक विवेचना प्रचलित रखते हुए, अभियुक्त रामकिशन व विशाल के विरुद्ध, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 385, 120 बी, 406, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम न्यायालय

प्रेषित किया।

28- विवेचक ने पीड़िता (पी) का हाईस्कूल अंकपत्र प्रदर्शक-10, तलाश हेतु प्रारूप प्रदर्शक-11, नक्शा नजरी प्रदर्शक-12, मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० प्रपत्र प्रदर्शक-13, रामकिशन, दीपक, गौरव, राहुल को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-14 लगायत 17 एवं अनुस्मारक नोटिस अन्तर्गत धारा-91/160 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-18 लगायत 21, सी०डी०आर० रिपोर्ट प्रदर्शक-22, पीड़िता (पी) का स्कूल पहचान-पत्र व आधार कार्ड क्रमशः प्रदर्शक-23 व 24, पीड़िता (पी) की बरामदगदी फर्द प्रदर्शक-25, बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्शक-26, जी०डी० नं०-21 प्रदर्शक-27, फर्द सुपुर्दगीनामा पीड़िता (पी) प्रदर्शक-28, गिराज सिंह को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-29 एवं अनुस्मारक नोटिस अन्तर्गत धारा-91/160 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-30 व अभियुक्त रामकिशन व विशाल के विरुद्ध प्रेषित आरोपपत्र प्रदर्शक-31 को साबित किया है।

29- पी०डब्लू०-7 ओमपाल सिंह, उप निरीक्षक ने कहा कि थाना हाजा पर पूर्व से पंजीकृत मु०अ०सं०-324/2016, धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120 बी भा०दं०सं० बनाम विशाल आदि की विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री रणजीत सिंह द्वारा की जा रही थी। उनके द्वारा अभियुक्त विशाल व रामकिशन के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रदर्शक-31 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उनके स्थानान्तरण के बाद दिनांक 14-06-2017 को एस०एच०ओ० टूण्डला के आदेशानुसार मुकदमा उपरोक्त की पार्ट पी० आई विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक, एडवोकेट गिराज सिंह व श्रीमती कविता शर्मा के विरुद्ध विवेचना मुझ विवेचक द्वारा सम्पादित की गयी।

30- पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकाश में आये उक्त अभियुक्तगण को तलाश किया, नहीं मिले। दौरान विवेचना यह पाया गया कि अभियुक्तगण श्रीमती कविता, टिन्चू का प्रस्तुत मामले से कोई लेना देना नहीं है। गवाहों के बयान अंकित किये, जिसमें अभियुक्त गिराज सिंह, एडवोकेट की नामजदगी गलत पायी गयी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केवल अभियुक्त दीपक शर्मा के विरुद्ध अपराध धारा -366, 506, 120 बी भा०दं०सं० का होना पाया गया, जिसके विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय दाखिल किया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान

में अभियुक्त दीपक शर्मा के विरुद्ध प्रेषित आरोप-पत्र प्रदर्श क-32 को साबित किया है।

31- पी०डब्लू०-8 हैड कां० भोलानाथ ने कहा कि दिनांक 03-04-2016 को मैं थाना टूण्डला पर बतौर सी०सी० तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा शिव कुमार की लिखित तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या-324/2016, धारा-363, 366 भा०द०सं० बनाम विशाल पंजीकृत किया था, जिस पर एच०सी०पी० हरविलास के हस्ताक्षर व थाना की मोहर लगी है, जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ। उक्त मुकदमा का खुलासा जी०डी० संख्या-49, समय करीब 21:15 बजे दिनांक 03-04-2016 को किया था। इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-33 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-34 को साबित किया है।

32- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

33- अभियुक्तगण राम किशन शर्मा व दीपक शर्मा ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं०, दिनांक 15-03-2023 में अभियोजन घटना को गलत बताया। गवाहन द्वारा गलत बयान देना व कोई घटना न होना कहा। पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान पुलिस के दबाव में देना कहा। विवेचकों द्वारा विवेचना गलत करके गलत आरोप-पत्र प्रेषित करना कहा तथा मुकदमे को बल देने के लिए असत्य व गलत अभिलेख एकत्रित करके गलत प्रमाणित करना कहा। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा चलना बताते हुए कहा कि उन्होंने अभियोजित घटना के तहत कोई अपराध नहीं किया है।

34- अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान में सफाई साक्ष्य देना कहा, परन्तु सफाई में कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

35- पीड़िता (पी) के अधिवक्ता श्री कायम सिंह सिकरवार, एडवोकेट ने निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं दाखिल की हैं, जिनका सम्यक् अवलोकन किया।

1. दीपक बनाम हरियाणा राज्य, 2015(2) जे०आई०सी० 1 (सुप्रीम कोर्ट)।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार उर्फ सनी, 2017 (98) ए०सी०सी० 645 (सुप्रीम कोर्ट)।
3. सचिन कुमार सिंह राहा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2019 (108) ए०सी०सी० 1000 (सुप्रीम कोर्ट)।

4. काशीनाथ सिंह उर्फ कालू सिंह बनाम झारखण्ड राज्य, 2023 (3) जे०आई०सी० 530 (सुप्रीम कोर्ट)।

36- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा पीड़िता (पी) के विद्वान अधिवक्ता श्री कायम सिंह सिकरवार एवं अभियुक्तगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

37- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

38- धारा-363 भारतीय दण्ड संहिता - व्यपहरण के लिए दण्ड - जो कोई व्यक्ति, विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

39- धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना - जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुमाने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभिप्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

40- बलात्संग की परिभाषा, दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा-9 द्वारा धारा-375 के स्थान पर प्रतिस्थापित की गयी है जो दिनांक 03-02-2013 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी है। नवीन धारा-375 भा०दं०सं० निम्न प्रकार है -

बलात्संग - मनुष्य "बलात्संग" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह व्यक्ति -

(क) अपने लिंग को, किसी सीमा तक, स्त्री की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के ऐसे किसी अंग को, जो लिंग नहीं है, स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(ग) स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्तसाधन करता है, जिससे कि ऐसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेशन कारित किया जाये या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(घ) अपने मुख को स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

ऐसा निम्न लिखित सात विवरणों में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों के अधीन किया जाता है -

प्रथम - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा - उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्रास की गयी है।

चौथा - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति

नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है, क्योंकि वह विश्वास करती है कि वह एक ऐसा पुरुष है, जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पाँचवाँ - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्त या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ का सेवन कराये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति एवं परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवाँ - उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवाँ - जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, 'योनि' (Vagina) में बृहद् भगोष्ठ (Labia Majora) भी शामिल हैं।

स्पष्टीकरण 2-सम्मति से ऐसा स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, भावभंगिमाओं या मौखिक या गैर-मौखिक संसूचना के किसी भी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कार्य में भागीदारी करने की रजामन्दी संसूचित करती है :

परन्तु यह कि वह स्त्री, जो शारीरिक रूप से लैंगिक प्रवेशन का प्रतिरोध नहीं करती, केवल इसी तथ्य के कारण वह लैंगिक क्रिया-कलाप में सम्मति देने वाली नहीं मानी जाएगी।

अपवाद 1-किसी चिकित्सा प्रक्रिया या अन्तःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा।

अपवाद 2-किसी पुरुष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है, जब पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

धारा-376 भा०दं०सं०, बलात्कार के अपराध से संबंधित है। किसी व्यक्ति को तब कहा जाता है कि उसने बलात्कार किया है, जब वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक स्त्री की योनि में घुसाता है। उसका लिंग योनि में कितना अन्दर गया है, महत्वहीन है। किसी व्यक्ति द्वारा थोड़ा सा भी लिंग को स्त्री की योनि में प्रवेश कराना, बलात्कार कहा जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि (a) धारा-375 यह कहती है कि किसी पुरुष द्वारा अपने लिंग को किसी सीमा तक स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में डालना या घुसाना बलात्कार है, चाहे कोई पुरुष लिंग योनि में डालता है अथवा स्त्री द्वारा ऐसा कराता है, ऐसा करना बलात्कार कहलायेगा। यहाँ तक कि एक स्त्री भी मनुष्य के लिंग को अपनी योनि में डाल सकती है। खण्ड (क) लिंग को योनि में डालने या घुसाने से संबंधित है।

धारा-375 का खण्ड (ख) यह कहता है कि मनुष्य द्वारा लिंग के अतिरिक्त भी किसी वस्तु या शरीर का कोई अंग किसी सीमा तक योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसाना या डालना या स्त्री से डलवाना, जो लिंग नहीं है, बलात्कार कहलाता है। धारा-375 के खण्ड (ग) के अनुसार यदि कोई मनुष्य, महिला के शरीर के किसी भाग को इस प्रकार हस्तसाधन करता है, जिससे कि उसका लिंग स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या स्त्री से ऐसा अपने शरीर या किसी व्यक्ति के शरीर के साथ कराता है।

धारा-375 के खण्ड (घ) के अनुसार यदि कोई पुरुष स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना मुंह लगाता/चाटता है तो इसे भी बलात्कार कहा जाता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला से ऐसा कार्य कराता है या वह स्वयं करता है या अन्य व्यक्ति से कराता है, तो उसे भी बलात्कार कहते हैं। कोई भी काम जो धारा-375 भा०दं०सं० के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अन्दर आता है, उसे धारा में वर्णित सात प्रकार की परिस्थितियों में होना चाहिए। परन्तु ऐसा जुमाना पीड़िता/पीड़ित के चिकित्सीय खर्चा और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए। इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुमाने का भुगतान पीड़िता को किया जायेगा।

41- धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता - बलात्संग के लिए दण्ड - (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी (अधिनियम संख्या-22 वर्ष 2018 की धारा-4 द्वारा "सात वर्ष" के स्थान पर "दस वर्ष" दिनांक 21-04-2018 से किया गया है), किन्तु जो **आजीवन कारावास तक** की हो सकेगी और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई -

(क) पुलिस अधिकारी होते हुये -

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा, या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा, या

(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में स्त्री से बलात्संग करेगा, या

- (ग) सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में परिनियुक्त है, ऐसे क्षेत्र में बलात्संग करेगा, या
- (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का अथवा स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का प्रबन्धन वर्ग या कर्मचारीवृन्द होते हुए, ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्थान के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या
- (ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्धन वर्ग या कर्मचारीवृन्द होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या
- (च) स्त्री का संबंधी, संरक्षक या अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए ऐसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या
- (छ) साम्प्रदायिक या अलगाववाद हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा, या
- (ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा,
- (झ) 2[* * *]
- (ञ) उस स्त्री से बलात्संग करेगा, जो सम्मति देने में असमर्थ है,
- (ट) किसी स्त्री के नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में रहते हुए, ऐसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

- (ठ) मानसिक या शारीरिक निर्योग्यता से पीड़ित स्त्री से बलात्संग करेगा, या
- (ड) बलात्संग करते समय स्त्री को घोर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्वृषित करेगा या जीवन को संकटापन्न करेगा, या
- (ढ) उसी स्त्री से बार-बार बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि उस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

- (क) 'सशस्त्र बल' से नौसेना, सैन्य एवं वायुसैन्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अर्द्धसैनिक बलों एवं किसी सहायक बलों को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, शामिल करके तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य शामिल है।
- (ख) 'अस्पताल' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है, जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।
- (ग) 'पुलिस अधिकारी' का वही अर्थ होगा, जैसा कि पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के अधीन पद 'पुलिस' को समनुदेशित है।
- (घ) 'स्त्रियों या बालकों की संस्था' से स्त्रियों या बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह या विधवाओं का गृह या किसी अन्य नाम से पुकारे जाने वाली संस्था।

1[(3) जो कोई सोलह वर्ष की कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीडित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीडिता को किया जाएगा।]

42- धारा-385 भारतीय दण्ड संहिता - उद्घापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना - जो कोई उद्घापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

43- धारा-406 भारतीय दण्ड संहिता - आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड - जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

44- धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता – आपराधिक अभिन्नास के लिए दण्ड – जो कोई आपराधिक अभिन्नास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

45- धारा-120 बी भारतीय दण्ड संहिता – आपराधिक षडयंत्र का दण्ड – (1)

जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध को करने के आपराधिक षडयंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

46- धारा-3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 – प्रवेशन लैंगिक हमला – कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है यदि वह –

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

47- धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड –

(1) जो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं (दिनांक 16-08-2019 से पूर्व सजा सात वर्ष अधिनियम क्रमांक-25, सन 2019 धारा-3(क) पोक्सो एक्ट सात वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष प्रतिस्थापित) होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) – जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

-: निष्कर्ष :-

48- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण रामकिशन व दीपक शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

49- प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण रामकिशन व दीपक शर्मा की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के दृष्टिगत किया जाना है।

50- प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

51- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

52- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

53- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं और उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त अपनी साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

54- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी शिव कुमार की तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना टूण्डला में अभियुक्त विशाल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-33 दर्ज की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० कायमी मुकदमा संख्या-49, प्रदर्श क-34 में अंकित है। विवेचक रणजीत सिंह, उ०नि० द्वारा केस डायरी में पर्चा संख्या -1 लगायत 28 किता करते हुए संयुक्त रूप से अभियुक्त राम किशन शर्मा एवं विशाल शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-31, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, न्यायालय प्रेषित किया। दीपक शर्मा, गिराज, कविता शर्मा, टिन्चू उर्फ देवेन्द्र आदि के विरुद्ध पूरक विवेचना प्रचलित रखी रही।

55- विवेचक रणजीत सिंह ने दीपक शर्मा, गिराज, कविता शर्मा, टिन्चू उर्फ देवेन्द्र आदि के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए पूरक केस डायरी का पर्चा सं० -1 लगायत 7, दिनांक 04-07-2016 लगायत 12-09-2016 किता किये। अग्रिम विवेचना ओम पाल सिंह, उ०नि० ने पूरक केस डायरी में पर्चा सं० -8, दिनांकित 14-06-2017 लगायत पर्चा सं०-18, दिनांकित 05-09-2017 से विवेचना पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण कविता शर्मा, टिन्चू उर्फ देवेन्द्र शर्मा एवं गिराज सिंह, एडवोकेट, हाईकोर्ट के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने पर उनको प्रकाश में लाया जाना गलत पाया।

56- अभियुक्त दीपक शर्मा द्वारा नाबालिग पीड़िता (पी) का अपहरण करके पीड़िता (पी) को विशाल के साथ शादी करने के लिए विवश करने हेतु आपराधिक षड्यंत्र रचकर, अपराध कारित करने में सहयोग करने पर धारा-506, 366, 120 बी भा०दं०सं० में अभियुक्त दीपक शर्मा का चालान करके आरोप पत्र प्रदर्श क -32 न्यायालय दाखिल किया। यहाँ पर यह उल्लिखित किया जाना समीचीन होगा कि

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण राम किशन शर्मा एवं दीपक शर्मा का विचारण किया जा रहा है।

57- माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य 2009 (66) ACC 682 सु०को० में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं धारा-164 द०प्र०सं० के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हो, तो यह अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाता है। धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है और न ही इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

58- धारा-161 द०प्र०सं० एवं धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों का उपयोग केवल कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों को खण्डित करने एवं सम्पोषित करने के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था नबी बनाम उ०प्र० राज्य-1999 (2) क्राइस 272 में यह अवधारित किया है कि धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों को सारवान साक्ष्य के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कथन का प्रयोग मात्र धारा 145 व धारा 157 साक्ष्य विधि के अन्तर्गत साक्षी के कथन को सम्पुष्ट करने एवं उसके कथन को खण्डित करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

-: आयु निर्धारण :-

59- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम - 2000 की धारा-2(घ) में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

60- विधि व्यवस्था जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 263, गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631, ईरा द्वारा मंजुला कृपेन्दडोर्फ बनाम राज्य (दिल्ली एन०सी०टी० सरकार) और अन्य, 2017 (15) एस०सी०सी० 13, चमन खाँ बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, मनु/उ०प्र०/2952/2019, के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बालक की आयु का निर्धारण घटना के समय प्रचलित पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

61- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम -2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

62- पी०डब्लू०-1 वादी शिव कुमार ने तहरीर प्रदर्श क-1 एवं बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अपनी नाबालिग पुत्री/पीड़िता (पी) की उम्र 17 वर्ष बताई है तथा न्यायालय में दिये सशपथ बयान में पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 22-01-1999 बताई है। जिरह में कहा कि घटना के समय मेरी बेटी की उम्र 17 वर्ष थी। वादी ने पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि से संबंधित कक्षा-7, 8 व 9 के परीक्षाफल वर्ष 2010 लगायत 2013, पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 22-01-1999 को क्रमशः प्रदर्श क-2 लगायत 4 से साबित किया है।

63- पी०डब्लू०-3 पीड़िता (पी) ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में घटना दिनांक 30-03-2016 को अपनी उम्र नहीं बताई है, अपितु अपनी जन्मतिथि 22-01-1999 बताई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र/जन्मतिथि नहीं बताई है। पीड़िता (पी) ने जिरह दिनांक 04-12-2019 को अपनी उम्र 20 वर्ष और घटना के समय अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है और कहा कि विशाल ने मेरे आधार कार्ड में जन्मतिथि में फेरबदल कराई थी। अभियुक्तगण ने पीड़िता (पी) से उसकी आयु/जन्मतिथि के संबंध में और कोई प्रश्न नहीं किया है।

64- पी०डब्लू०-5 डा० नसीम अहमद, रेडियोलॉजिस्ट ने पीड़िता (पी) की आयु निर्धारण की बावत् एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट तैयार की, जिसमें एक्सरे कोहनी, एक्सरे घुटना, एक्सरे कलाई, तीनों की एपीफाइसिस जुड़ी हुई थी। एक्सरे कूल्हे की हड्डी, एक्सरे हसली की हड्डी, इन दोनों की एपीफाइसिस जुड़ी हुई नहीं थीं। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क -8 एवं सी०एम०ओ० द्वारा जारी आयु निर्धारण

प्रमाणपत्र प्रदर्श क-9 डाला, जिसमें पीड़िता (पी) की उम्र लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी है। डाक्टर नसीम ने जिरह में कहा कि एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र में एक-डेढ़ साल ज्यादा या कम हो सकती है। मैं नहीं बता सकता कि पीड़िता की उम्र 17 साल से ज्यादा हो सकती है या नहीं। साक्षी ने अभियुक्तगण के इस सुझाव से इन्कार किया कि मैंने उम्र से संबंधित एक्सरे रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारी व वादी से मिलकर तैयार की हो।

65- पी०डब्लू०-6 रणजीत सिंह, उ०नि०/विवेचक ने वादी से पीड़िता (पी) की जन्मतिथि संबंधी हाईस्कूल की मार्कशीट प्राप्त की, जिसमें पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 22-01-1999 अंकित पायी। पीड़िता (पी) का हाईस्कूल अंकपत्र पर वादी का हस्ताक्षर सहित कागज संख्या-11 ब/33, प्रदर्श क-10 के रूप में शामिल है। अपराध दिनांक 30-03-2016 को पीड़िता (पी) की आयु 17 वर्ष, 02 माह, 08 दिन, यानि 18 वर्ष से कम नाबालिग थी।

66- उम्र प्रमाणिकता हेतु वादी से कक्षा-7, 8, 9 के अंकपत्र, पहचान-पत्र कक्षा-10 लिए, जो पत्रावली में दाखिल हैं, जिन पर पूर्व में प्रदर्श क-2 लगायत क-4 डाले जा चुके हैं। पीड़िता (पी) का राजकीय बालिका इण्टर कालेज, टूण्डला, फिरोजाबाद का परिचय-पत्र को प्रदर्श क-23 एवं आधार कार्ड को प्रदर्श क-24 के रूप में साबित किया है। विद्यालय के परिचय-पत्र एवं आवेदन आधार कार्ड पर पीड़िता की जन्मतिथि 22-01-1999 अंकित है। चिकित्सीय प्रपत्रों में पीड़िता (पी) की उम्र 17 वर्ष पाई गई।

67- अभियुक्तगण राम किशन शर्मा और दीपक शर्मा ने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक को गलत होना, वादी शिव कुमार द्वारा बताई घटना गलत, गलत बयान, गलत रिपोर्ट और गलत कागज प्रमाणित करना कहा है। साक्षी सतीश कुमार द्वारा गलत बयान देना कहा। पीड़िता (पी) द्वारा गलत बयान देना कहा, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान पुलिस के दबाव में देना कहा।

68- डा० जूही के बयान के बारे में कुछ नहीं कहा। डा० नसीम द्वारा गलत कागजात तैयार कर प्रमाणित करना कहा। रणजीत सिंह, विवेचक द्वारा गलत विवेचना करके, गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है। मुकदमे को बल देने के लिए असत्य व गलत अभिलेख एकत्रित करके, गलत प्रमाणित किए हैं। द्वितीय विवेचक ओम पाल सिंह ने गलत

विवेचना करके गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है। साक्षी कां० भोलानाथ ने कागजात गलत तैयार करके, गलत प्रमाणित किए हैं। सभी साक्षियों ने गलत गवाही दी है और झूठा मुकदमा चला है। सफाई साक्ष्य देना कहा, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विशेष कथन में कहा कि हमने अभियोजित घटना के तहत कोई अपराध नहीं किया है।

69- पीड़िता (पी) की आयु का निर्धारण **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** लागू है जिसके अन्तर्गत **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016** बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

70- आयु निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

71- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण/अस्थि जाँच के आधार पर नाबालिग पीड़िता की आयु का निर्धारण किया जाना अन्तिम आधार है। उक्त उपबन्ध में पीड़िता की आयु निर्धारण के लिए प्रथम विश्वसनीय आधार पीड़िता की शैक्षिक प्रपत्रों में अंकित जन्मतिथि और उसकी अनुपस्थिति में निगम, नगर- पालिका प्राधिकारी या नगर पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र, उपरोक्त की अनुपस्थिति में

चिकित्सीय परीक्षण और अस्थि जाँच के आधार पर पीड़िता की आयु का निर्धारण किया जा सकता है।

72- उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 30-03-2016 को पीड़िता (पी) की आयु शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि दिनांक 22-01-1999 के अनुसार 17 वर्ष, 02 माह, 08 दिन होती है, जबकि चिकित्सीय परीक्षण एवं सी०एम०ओ० द्वारा गठित बोर्ड के अनुसार पीड़िता (पी) की आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं मोदी ज्यूरिस्पूडेन्स के अनुसार दो वर्ष का अन्तराल हो सकता है।

73- वादी शिव कुमार ने पीड़िता (पी) की उम्र तहरीर व अपने बयानों में 17 वर्ष बताई है। पीड़िता (पी) ने भी बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अपनी जन्मतिथि 22-01-1999 और न्यायालय में जिरह के दौरान घटना के समय अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है। पीड़िता (पी) की घटना के समय आयु, चिकित्सीय परीक्षण से लगभग 17 वर्ष निर्धारित की है, जिसमें दो वर्ष की घटोत्तरी-बढ़ोत्तरी हो सकती है, जो कि पत्रावली में दाखिल, शैक्षिक साक्ष्य के विपरीत है।

74- शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार पीड़िता (पी), राजकीय बालिका इण्टर कालेज, टूण्डला में कक्षा-9 तक पढ़ी है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 22-01-1999 अंकित है। पीड़िता (पी) की जन्मतिथि को वादी और विवेचक ने अपनी साक्ष्य से सम्पुष्ट किया है। अभियुक्तगण राम किशन व दीपक ने पीड़िता (पी) के शैक्षिक अभिलेख प्रदर्श क-2 लगायत क-4 के खण्डन में अन्य किसी स्कूल या शिक्षण संस्था का प्रमाणपत्र/अंकपत्र दाखिल नहीं किया है, जिससे पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 22-01-1999 का खण्डन हो सके।

75- पत्रावली में दाखिल पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि के संबंध में शैक्षिक एवं चिकित्सीय प्रलेखों में मतभेद है। शैक्षिक प्रपत्रों के अनुसार पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 22-01-1999 और सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा जारी आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-9 के अनुसार पीड़िता (पी) घटना दिनांक 30-03-2016 को लगभग 17 वर्ष की थी। माननीय उच्चतम एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार, चिकित्सक की राय, तथ्य के साक्षियों एवं शैक्षिक अभिलेखों पर प्रभावी नहीं होगी।

76- **विष्णु उर्फ अन्द्रया बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 (1) जुड़ीशियल क्रिमिनल पेज 281** में संप्रेक्षित सिद्धान्त है कि

चिकित्साधिकारी के विचार/साक्ष्य न्यायालय की सहायता के रूप में होते हैं। चिकित्सीय अधिकारी द्वारा दी गई साक्ष्य वास्तविक रूप में **सलाहकारी प्रकृति** की होती है, जो तथ्य के साक्षी पर प्रभावी नहीं होती है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

77- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार शैक्षिक प्रपत्रों में अंकित जन्मतिथि ही पीड़िता (पी) की वास्तविक जन्मतिथि 22-01-1999 मानी जायेगी, जिसके अनुसार पीड़िता (पी) घटना दिनांक 30-03-2016 को 17 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की पूर्णतः नाबालिग थी। नाबालिग की सहमति का, कानून की नजर में कोई अर्थ नहीं है। पीड़िता (पी) घटना के समय अपना अच्छा बुरा सोचने-समझने में सक्षम नहीं थी। उपरोक्त विवेचन एवं शैक्षिक अभिलेख के अनुसार प्रस्तुत मामले में पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 22-01-1999 के अनुसार आयु, घटना दिनांक 30-03-2016 को 17 वर्ष, 02 माह, 08 दिन (नाबालिग) निर्धारित की जाती है।

-: आरोपित अपराध का विवेचन :-

78- अभियोजन ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि वादी शिव कुमार ने घटना दिनांक 30-03-2016 को, अपनी नाबालिग पुत्री/पीड़िता (पी), उम्र करीब 17 वर्ष को राम किशन द्वारा, जब वह अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाजार गयी थी, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से, बहला फुसला कर, विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश करने के आशय से ले गया और जान से मारने की धमकी देते हुए उद्घापन करने के लिए पीड़िता (पी) को क्षति के भय में डालने और अपराधिक न्यास भंग करते हुए, पीड़िता (पी) के साथ बलात्संग/प्रवेशन लैंगिक हमला किया, जबकि अभियुक्त दीपक के विरुद्ध अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के आशय से ले जाने में आपराधिक षड्यंत्र रचना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

79- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। घटना फर्जी है। पीड़िता (पी) को अभियुक्तगण द्वारा ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा, फिर किस प्रकार उनके विरुद्ध थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। केवल अनुश्रुत

साक्षी परीक्षित कराए हैं, इसलिए अपराध साबित नहीं होते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन बाद सोच समझ कर, विधिक राय लेकर दर्ज करायी है। तहरीर लेखक बृजेश कुमार को परीक्षित नहीं कराया।

80- पीड़िता (पी) ने अपने बयान धारा-161 दं०प्रं०सं० में अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है और कक्षा-9 तक पढ़ना कहा है एवं बयान धारा-164 दं०प्रं०सं० में अपनी उम्र नहीं बताई है और अभियुक्त विशाल ने पीड़िता (पी) से कहा कि तुम्हारे पापा का फोन आया है, तुम्हारी रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गयी है। यह कहकर उसे टूण्डला से आगरा, आगरा से हैदराबाद, हैदराबाद से इलाहाबाद ले गया और वहाँ एक रूम में रखा। इसलिए पीड़िता (पी) व गवाहों के कथनों में विरोधाभास है। डाक्टर जूही वाष्णोय ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि पीड़िता के साथ बलात्कार होना नहीं पाया जाता। झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियोजन प्रकरण साबित करने में असफल रहे हैं। अभियुक्तगण रामकिशन व दीपक के विरुद्ध कोई आरोप साबित न होने पर उन्हें बाइज़त रिहा करें।

81- वादी शिव कुमार ने घटना दिनांक 30-03-2016 की तहरीर प्रदर्श क-1 थाना टूण्डला में, बृजेश कुमार से लिखवा कर दिनांक 03-04-2016 को अभियुक्त विशाल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० दर्ज कराई कि दिनांक 30-03-2016 को दिन में 10:00 बजे मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) सब्जी लेने बाजार गयी थी और जब देर शाम तक वापस नहीं आई तो मैंने अपने परिवारीजन व संबंधीगण एवं रिश्तेदारों के साथ जानकारी कर काफी तलाश किया, तब पता चला कि मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) को विशाल बहला फुसला कर भगा ले गया है।

82- वादी के पड़ोसी सतीश ने बताया कि उसने खुद टूण्डला पुल के पास, टूण्डला पर उसकी पुत्री/पीड़िता (पी) को विशाल के साथ खड़े देखा था। बात की, तो बताया कि पीड़िता (पी) की रिश्तेदारी में कोई दुर्घटना हो गयी है, वहाँ लेकर जा रहे हैं। वादी ने विशाल की माता कविता व पिता राम किशन तथा उसके परिवारीगण दीपक, गौरव पुत्रगण देवी प्रसाद व राहुल पुत्र जगमोहन तथा श्रीमती आशा पत्नी सुदीप से बात की तो उन्होंने विशाल के बारे में सन्तोषजनक जानकारी नहीं दी। उसके उपरान्त काफी तलाशने के बाद वादी ने रिपोर्ट लिखाई।

83- तहरीर में पीड़िता (पी) का हुलिया अंकित है- रंग गोरा, लम्बाई 5 फीट, चेहरा गोल अण्डाकार, बाल काले लम्बे, कानों में

झुमकी, नांक में लोंग, कपड़े हल्के नीले रंग की छींटदार डिजायन वाला सफेद सलवार सूट से मेच करता सफेद नीली छींटबार दुपट्टा, काले रंग की लेडीज चप्पल पहने है। चेहरे पर ऊपर के होठ के साइड में तिल का निशान है। काफी तलाश, प्रयास के बाद मेरी पुत्री का कोई पता नहीं चला है।

84- वादी ने विवेचक एवं न्यायालय में दिये बयान में तहरीर प्रदर्श क-1 का समर्थन करते हुए कहा कि मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) को भगाने में इन लोगों का सहयोग है। जब मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) न्यायालय से वापस मिली तो उसने बताया कि विशाल, दीपक व राम किशन मुझे आगरा, हैदराबाद व इलाहाबाद ले गये थे। दीपक व राम किशन का हैदराबाद व इलाहाबाद में विशाल के पास आना जाना था। पीड़िता (पी) को ले जाते हुए टूण्डला पुल के नीचे सतीश ने देखा था और उनसे पूछताछ की तो विशाल ने कहा कि इसके पापा का फोन आया है कि रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गयी है, इसलिए ले जा रहा हूँ।

85- मैंने अपनी पुत्री/पीड़िता (पी) की तलाश रिश्तेदारियों तथा राम किशन के यहाँ की। राम किशन, विशाल के पिता हैं। विशाल की माँ सविता व इनके घर के सहयोगी दीपक, राहुल, आशा, गौरव से सम्पर्क किया तो मुझसे कहा कि आप अभी रिपोर्ट न करें, हम देखते हैं। लड़की को ढूढ़ने के विषय में कहा था, परन्तु इन सभी ने मेरी पुत्री को तलाश कर नहीं दिया। इन सभी मुल्जिमान को इस बात की जानकारी थी और मुल्जिमान षडयंत्र के तहत विशाल मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) को गलत नीयत से भगा ले गया है। इसमें सभी मुल्जिमान का सहयोग था। मुल्जिमान ने मुझे रिपोर्ट न करने के लिए कहा था और एक दिन पहले मुझे धमकी दे रहे थे। यह तथ्य विलम्बित एफ०आई०आर० का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण है।

86- वादी ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 के द्वितीय पैरा में कहा कि कागज सं०-11 ब/32 दिनांक 31-03-2016 मेरी लिखी दस्तखती है, जो मैंने थाना टूण्डला पर दिनांक 03-04-2016 को दी थी। इसमें लिखा है कि दिनांक 30-03-2016 को 09:30 बजे मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) अपनी सहेली के घर जाने के लिए कहकर घर से गयी थी। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने पूछा कि, मैंने प्रार्थनापत्र में नहीं लिखा कि मुझे किसने बताया कि लड़की को विशाल ले गया है और सतीश ने उन्हें टूण्डला पुल के पास खड़े देखा हो। इस प्रार्थनापत्र में मैंने अपनी पुत्री का हुलिया, कपड़े आदि क्या पहने हैं, नहीं लिखा है। यह भी नहीं लिखा है

कि मैंने विशाल के घर जाकर उसके माता-पिता आदि से पूछताछ की।

87- वादी ने कहा कि गवाह सतीश मौहल्ला हरी नगर, टूण्डला के और गवाह बृजेन्द्र निजामी बस्ती, टूण्डला के हैं, जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। गवाह प्रदीप कच्चा टूण्डला के मेरे भांजे हैं। गवाह बृजेश बल्देव रोड़, टूण्डला, मेरे रिश्तेदार हैं। घटना के दिन मैं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में अपनी ड्यूटी करने फिरोजाबाद चला आया था।

88- मेरी बेटी/पीड़िता (पी) घटना के दो महीने बाद इलाहाबाद से बरामद हुई थी, तब उसने बताया था कि हम लोग विशाल के साथ हैदराबाद में रहे। हैदराबाद में विशाल के माता-पिता, परिवार वाले लोग हैदराबाद में जाकर इन लोगों को खाने-पीने की व्यवस्था करते थे और विशाल के माता-पिता व भाई हैदराबाद में कैद करके रखते थे और मुझे कहीं निकलने नहीं देते थे। यह कहते थे कि तू चिन्ता मत कर, इसी से शादी करा देंगे। यह दोनों लगभग दो माह हैदराबाद में ही रहे।

89- पी०डब्लू०-2 सतीश कुमार, चश्मदीद साक्षी ने कहा कि मैं सामान लेने टूण्डला चौराहा आया तो दिनांक 30-03-2016 को 10:15 बजे देखा कि टॉयलेट से कुछ दूरी पर पीड़िता (पी) और विशाल खड़े हुए थे। विशाल ने पूछने पर बताया कि पीड़िता (पी) की रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गयी है, गमी हो गयी है, खबर आई है। पीड़िता (पी) की मम्मी ने मुझे पीड़िता (पी) के साथ भेजा है। यह जानकारी कर मैं अपने घर चला गया। दो-तीन दिन बाद जब पीड़िता (पी) के मौहल्ले से जा रहा था तो पता चला कि पीड़िता (पी) को विशाल भगा ले गया है, उसके भगाने में उसके माता-पिता ने सहयोग किया है, तब मैंने यह बात पीड़िता (पी) के पिता को घटना के दूसरे दिन बताई थी।

90- साक्षी ने जिरह में कहा कि मैं, आर०पी०एफ० वैरक के पीछे, कच्चा टूण्डला में रहता हूँ और शिव कुमार, हरी नगर, टूण्डला में रहते हैं। मेरे घर से हरी नगर, 500-600 मीटर की दूरी पर है। मैंने इन दोनों को पुल के पास खड़े हुए देखा था, फिर वहाँ से मैं वापस अपने घर चला आया। मुझे नहीं मालूम यह दोनों वहाँ से कहाँ गये, क्या किए। मैं, शिव कुमार की लड़की को तलाश करने कभी नहीं गया और ना ही शिव कुमार की पत्नी और उसके रिश्तेदारों से कभी बात की। विशाल के घर नहीं गया और इस मामले में विशाल के माता-पिता से भी कभी बातचीत नहीं हुई।

91- मैंने दरोगा जी को तारीख 30-03-2016, शिव कुमार को दो दिन घटना की बावत बताया था। पुलिस वाले मुझे कभी घटना स्थल पर नहीं ले गये और ना ही मैंने दरोगा जी से ले चलने को कहा। मैंने दो-तीन साल पहले शिव कुमार के घर पर बिजली फिटिंग की थी, इसलिए मेरा उनसे परिचय है। जब बुलाते हैं, तब जाता हूँ।

92- पी०डब्लू०-3 पीड़िता (पी) ने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० का समर्थन करते हुए कहा कि वह घटना दिनांक 30-03-2016 को सुबह करीब 09:30-10:00 बजे अपने घर से सब्जी लेने व कागजों की फोटो स्टेट कराने के लिए बाजार गयी थी। रास्ते में विशाल मिला और उसने कहा कि तुम्हारे पापा का फोन आया है, तुम्हारी रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गयी है, इसलिए जल्दी चलो। वह मुझे टूण्डला चौराहे पर ले आया, वहाँ पहले से सतीश अंकल पुल के नीचे खड़े थे, वह हमसे पूछताछ करके चले गये थे। पीड़िता (पी) ने चश्मदीद साक्षी सतीश के बयान का समर्थन किया है।

93- इसके बाद विशाल मुझे आगरा ले गया। उस समय विशाल के पापा राम किशन व चाचा दीपक भी हमारे साथ थे। विशाल ने आगरा ले जाकर मुझे कुछ सुंघा कर बेहोश कर दिया। जब होश आया तो हैदराबाद एक कमरे में थी। उस समय हमारे साथ राम किशन व दीपक भी थे, वहाँ विशाल ने मेरे साथ बलात्कार किया था। विशाल ने मुझे डेढ़ महीने एक कमरे में रखा था। उस समय मेरी उम्र 17 वर्ष थी और मेरे आधार कार्ड की जन्मतिथि में फेरबदल कराई थी। उसके बाद विशाल मुझे इलाहाबाद लेकर आया और मुझे एक वकील के हवाले कर दिया था। उस समय भी राम किशन और दीपक मेरे साथ में थे। वकील ने मेरे हस्ताक्षर कराए थे। दिनांक 28 मई दोपहर 12:30 बजे मैं और वकील एक भोजनालय पर थे, तो पापा पुलिस के साथ आये और मुझे बरामद किया।

94- पीड़िता (पी) ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-5 पढ़-देख कर कहा कि मैंने मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बताया था कि टूण्डला पुल के नीचे, टॉयलेट के पास सतीश अंकल मिले थे और उन्होंने हमसे पूछताछ की थी या हमारी कोई बातचीत हुई हो। हम चारों टूण्डला से आगरा, आगरा से हैदराबाद, हैदराबाद से इलाहाबाद साथ गये थे और किस वाहन से गये थे, यह भी नहीं पूछा था और खुद भी नहीं बताया था। मजिस्ट्रेट साहब को यह भी नहीं बताया था कि विशाल ने मुझे कुछ सुंघा कर बेहोश कर दिया था और मेरे आधार कार्ड की

जन्मतिथि में फेरबदल कर दी थी और विशाल ने मुझे गिराज वकील के हवाले कर दिया। यह भी नहीं कहा कि 28 मई को मैं व वकील गिराज रोड़ पर भोजनालय में थे।

95- यह भी नहीं बताया कि मुझे विशाल, हैदराबाद किस साधन से ले गये और मुझे इलाहाबाद किस साधन से ले गये? मैंने विवेचक को बताया था कि विशाल मुझे कार से ले गया था। कार टूण्डला चौराहे पर खड़ी थी और विशाल मुझे वहीं से, कार से आगरा ले गया था। उसी कार से विशाल मुझे आगरा से हैदराबाद ले गया और उसी कार से विशाल मुझे इलाहाबाद लेकर आया था।

96- पी०डब्लू०-4 डा० जूही वाष्ण्य ने दिनांक 29-05-2016 को शाम 06:40 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनई, मथुरा में पीड़िता (पी) का चिकित्सीय परीक्षण किया। जूही ने प्राथमिक रिपोर्ट प्रदर्श क-6 और पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क-7 को साबित किया है, जिसमें पीड़िता (पी) की झिल्ली पुरानी टूटी हुई थी एवं गुप्तांग पर चोट का निशान नहीं था और उसके गुप्तांग से खून या डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट सं० -1365/16, दिनांक 30-05-2016 अनुसार गर्भाशय सामान्य, पैथोलॉजी रिपोर्ट सं० -63/30-05-2016 के अनुसार वेजाइनल स्मीयर में कोई शुक्राणु नहीं पाया तथा पेशाब की गर्भ जाँच निगेटिव थी।

97- डा० जूही ने जिरह में कहा कि डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मैंने पीड़िता (पी) के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी, जबकि पीड़िता (पी) की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क-6 में पीड़िता (पी) का हायमन पुराना टूटा अंकित है। पैथोलॉजी रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाये एवं पेशाब की जाँच, गर्भ के लिए निगेटिव थी। मेरी राय में रिपोर्ट के आधार पर प्रारूप-एच कागज सं०-8 अ/10 पर यह अंकित है कि लैंगिक हमले की कोई भी साक्ष्य देखी नहीं जा सकी।

98- पी०डब्लू०-5 डा० नसीम अहमद ने पीड़िता (पी) की घटना के समय चिकित्सीय परीक्षण एक्सरे आदि से आयु 17 वर्ष के लगभग निर्धारित की है, जिसके खण्डन में अभियुक्तगण ने पीड़िता (पी) का कोई शैक्षिक अभिलेख पत्रावली में दाखिल नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि पीड़िता (पी) घटना के समय बालिग थी।

99- पी०डब्लू०-6 रणजीत सिंह ने विवेचना करते हुए पीड़िता (पी) का हाईस्कूल अंकपत्र प्रदर्श क-10, तलाश प्रारूप प्रदर्श क-11, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-12, मोबाइल नम्बरों की

सी०डी०आर० प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-13, राम किशन, दीपक, गौरव, राहुल को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-14 लगायत प्रदर्श क-17 तथा अनुस्मारक नोटिस अन्तर्गत धारा-91/160 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-18 लगायत प्रदर्श क-21, मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-22, पीड़िता (पी) का स्कूल पहचान पत्र प्रदर्श क-23 व आधार कार्ड प्रदर्श क-24, पीड़िता (पी) की फर्द बरामदगी प्रदर्श क-25, बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-26, जी०डी० कायमी सं०-21 प्रदर्श क-27, फर्द सुपर्दगीनामा पीड़िता (पी) प्रदर्श क-28, गिराज सिंह, एडवोकेट को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-160 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-29 एवं अनुस्मारक नोटिस प्रदर्श क-30 तथा अभियुक्तगण राम किशन व विशाल के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क-31 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

100- विवेचक रणजीत सिंह ने अग्रिम विवेचना करते हुए पूरक केस डायरी के पर्चा सं०-1 लगायत 7 में टिन्चू उर्फ देवेन्द्र, दीपक, गिराज, कविता की तलाश की, परन्तु वह नहीं मिले।

101- विवेचक ने जिरह में कहा कि इस केस की घटना दिनांक 30-03-2016 की है। मुकदमा दिनांक 03-04-2016 को केवल विशाल के खिलाफ कायम हुआ। वादी अनुसार उसकी पुत्री/पीड़िता (पी) अपनी सहेली के घर व सब्जी लाने की कहकर घर से चली गयी थी। वादी ने विशाल के दो मोबाइल नम्बर बताये, उन नम्बरों की सी०डी०आर० प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित किया। सी०डी०आर० निकलवाई, परन्तु धारा-165 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया है। इस कारण सी०डी०आर० साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

102- दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि आगरा घूम फिर कर तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन से विशाल, पीड़िता (पी) को हैदराबाद ले गया। महाकाली मन्दिर के पास लॉज में ठहरा, नाम नहीं बताया। जबकि पीड़िता (पी) व अन्य साक्षियों ने अपने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में ऐसा कोई कथन नहीं किया है। मैंने राम किशन और विशाल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। शेष प्रकाश में आये दीपक, टिन्चू उर्फ देवेन्द्र, गिराज एवं कविता शर्मा आदि के विरुद्ध पूरक विवेचना लम्बित छोड़ी थी।

103- पी०डब्लू०-7 द्वितीय विवेचक ओम पाल सिंह, उ०नि० ने, प्रथम विवेचक रणजीत सिंह के स्थानान्तरण के उपरान्त पार्ट पी०आई० ग्रहण की और केस डायरी के पर्चों का अवलोकन करके पूरक पर्चा संख्या-8 लगायत 18 किता करते हुए अभियुक्त दीपक शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्शक -32, अन्तर्गत धारा-363, 506, 120 बी भा०दं०सं० दाखिल किया।

104- जिरह में कहा कि मेरे द्वारा की गयी विवेचना में कविता शर्मा, टिन्चू उर्फ देवेन्द्र और गिराज सिंह, एडवोकेट की नामजदगी गलत पायी गयी और इनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी। दीपक की गिरफ्तारी रिमाण्ड धारा-363, 376, 385, 406 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में लिया गया था, परन्तु अभियुक्त दीपक शर्मा के खिलाफ धारा -363, 376, 385, 406 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम का अपराध नहीं पाये जाने पर इन धाराओं का लोप किया गया, केवल धारा-366, 506, 120 बी भा०दं०सं० में आरोप पत्र दाखिल किया। मैंने दौरान विवेचना वादी, पीड़िता आदि के बयान नहीं लिए, न पूछताछ की।

105- पी०डब्लू०-8 एच०सी० भोला नाथ ने वादी की सूचना पर चिक एफ०आई०आर० प्रदर्शक -33 एवं मुकदमा कायमी की जी०डी० संख्या-49 प्रदर्शक -34 को अपनी साक्ष्य से साबित करते हुए जिरह में कहा कि घटना दिनांक 30-03-2016 को मुकदमा वादी ने दिनांक 03-04-2016 को पंजीकृत कराया था। यह कहना गलत है कि मैंने अधिकारियों के कहने से गलत एफ०आई०आर० तैयार की हो।

106- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में घटना गलत होना कहा। वादी शिव कुमार ने झूठा बयान देकर तहरीर प्रदर्शक -1 गलत साबित की। सतीश कुमार और पीड़िता (पी) ने गलत व झूठा बयान दिया। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान पुलिस के दबाव में दिया। डा० जूही के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा। डा० नसीम ने गलत कागजात तैयार करके उन्हें गलत प्रमाणित किया है। विवेचक रणजीत सिंह ने गलत विवेचना करके, गलत आरोपपत्र दाखिल किया।

107- मुकदमे को बल देने के लिए असत्य व गलत अभिलेख एकत्रित कर गलत प्रमाणित किए हैं। विवेचक ओमपाल सिंह द्वारा गलत विवेचना करके, गलत कागजात प्रमाणित किए हैं। एच०सी० भोला नाथ ने गलत कागजात बनाकर गलत प्रमाणित किए हैं। गवाहों ने गलत

गवाही दी है तथा उनके खिलाफ झूठा मुकदमा चला। सफाई साक्ष्य देना कहा, परन्तु कोई सफाई साक्षी परीक्षित नहीं कराया। विशेष कथन में कहा कि हम निर्दोष हैं। हमने अभियोजित घटना के तहत कोई अपराध नहीं किया है।

108- इमरतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य-1987 क्रि.लॉ०ज०-557 (म० प्र०) में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अभियोजिका के साक्ष्य को सम्पुष्टि के बिना भी दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है बशर्ते कि उसका साक्ष्य विश्वास योग्य है। जहाँ अभियोजिका के साक्ष्य के समर्थन में डाक्टरी साक्ष्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट या इस प्रकार के अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं दोषसिद्धि उचित होगी। **सम्पुष्टि विधि का नियम नहीं है वरन् यह प्रज्ञा का नियम है।** यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

109- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुलेश मोण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए०आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट 1091 में कहा है कि **तुच्छ प्रकृति की असंगति, तात्त्विक त्रुटि, सुधार एवं लोप** अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करते हैं। यह ऐसी सुस्थापित विधि है कि स्वाभाविक गलतियों का परिसाक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि तात्त्विक गलतियों की गड़बड़ी प्रभाव डाल सकती है। अभियोजन साक्षियों के कथन में सामान्यतः उतार-चढ़ाव तात्त्विक त्रुटि नहीं मानी जाती है। तात्त्विक त्रुटि सुधार एवं लोप अभियोजन मामलों में तभी घातक साबित होती हैं, जब उनसे अभियोजन मामले की बुनियाद ही मिट गई हो। तुच्छ विरोधाभास के चलते साक्षीगण का सम्पूर्ण साक्ष्य नकारा नहीं जाना चाहिए। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

110- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुकेश बनाम राज्य एन०सी०टी० ऑफ दिल्ली, ए०आई०आर० 2017 एस०सी० 2161 पूर्णपीठ (Full bench) में अवधारित किया गया है कि-

“If there are no material discrepancies or contradiction in testimony of witnesses, his evidence cannot be disbelieved merely on the basis of some normal, natural or minor contradiction, inconsistencies, exaggerations, embellishments etc. The distinction between material discrepancies and normal discrepancies do not corrode the credibility of party's case but material

discrepancies do so.”

उपरोक्त विधि सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार (2017) 2 एस०सी०सी०, पेज-51 में समर्थित किया गया है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

111- दीपक बनाम हरियाणा राज्य, 2015 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2049 (सुप्रीम कोर्ट) एवं हरिहर पधान बनाम उड़ीसा राज्य, 2017 क्रिमिनल लॉ जर्नल 140 (उड़ीसा उच्च न्यायालय), में यह कहा गया है कि – **Solitary evidence of prosecutrix – In offence of rape – Can be made basis for conviction without any corroboration, when her evidence is found to be free from basic infirmity and is creditworthy. ill-feeling between accused and relatives of prosecutrix cannot be acceptable reason for false implication of accused– Since no one would put future of prosecutrix at grave risk and would invite stigma for her entire life by making false statement.** यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

112- अभियोक्त्री को सह अभियुक्त के समान ही नहीं रखा जा सकता। साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि तात्विक विशिष्टियों पर इसकी संपुष्टि न हो वह निस्संदेह धारा-118 साक्ष्य अधिनियम के अधीन एक सक्षम साक्षी है। उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए, जो कि शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी क्षतिग्रस्त साक्षी की साक्ष्य को दिया जाता है। उसी प्रकार की सावधानी और सतर्कता उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में बरती जानी चाहिए। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

113- अवतार सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा AIR 2013 SC 286 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि एक भी साक्षी द्वारा घटना को साबित कर दिया जाता है और उस साक्षी की सूचिता खण्डित नहीं होती है, तो उस एक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। **विजय उर्फ चीनी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश (2010) 8 एस०सी०सी० 191** विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता /अभियोक्त्री की एक मात्र साक्ष्य के

आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि उसकी विश्वसनीय साक्ष्य मुकम्मल, वास्तविक और शुद्ध है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

114- उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में, विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन ने तथ्य के मात्र तीन साक्षी परीक्षित कराये हैं, जिनमें पीड़िता (पी) ही घटना की चश्मदीद साक्षी है, जबकि चश्मदीद साक्षी सतीश कुमार ने विशाल व पीड़िता (पी) को टूण्डला पुल के नीचे, टॉयलेट के पास खड़े हुए देखकर पूछताछ भी की थी, तो विशाल ने बताया कि पीड़िता (पी) की रिश्तेदारी में दुर्घटना/गमी हो गयी है, पीड़िता (पी) के पिता का फोन आया था, वहीं ले जा रहा हूँ। पीड़िता (पी) की मम्मी ने मुझे पीड़िता (पी) के साथ भेजा है, परन्तु अभियोजन ने पीड़िता (पी) की माँ को इस बावत साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया।

115- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक द्वारा पीड़िता (पी) को बहला फुसला कर/दबाव बनाकर, विवाह करने के आशय से, डरा धमका कर अभियुक्त विशाल के साथ ले गये। चूंकि पीड़िता (पी), विशाल के बहलाये फुसलाने अनुसार उसके पूर्ण नियंत्रण में थी, परन्तु पीड़िता (पी) ने अपने बयान एवं जिरह में कई जगह यह कहा कि अभियुक्त विशाल का सहयोग करने में अभियुक्तगण राम किशन व दीपक साथ-साथ रहे। यह चारो लोग टूण्डला से आगरा, आगरा से हैदराबाद, हैदराबाद से इलाहाबाद साथ-साथ गये और वहाँ अभियुक्त विशाल एवं पीड़िता (पी), जब डेढ़ महीने एक कमरे में रहे तो उनको खाना-पानी लाकर देते थे और पीड़िता (पी) को कैद में रखते थे, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते थे और कहते थे कि तेरी शादी इसी से करा देंगे। पीड़िता (पी) एवं वादी ने अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये बयान में कभी भी यह नहीं कहा कि अभियुक्तगण राम किशन और दीपक द्वारा पीड़िता (पी) से बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है। केवल अभियुक्त विशाल के विरुद्ध बलात्कार / प्रवेशन लैंगिक हमला किए जाने का कथन किया है।

116- पीड़िता (पी) ने घटना दिनांक 30-03-2016 को समर्थित करते हुए कहा कि विशाल उसे अयुक्त संभोग करने के इरादे से, रिश्तेदारी में दुर्घटना/गमी होने की बात कहकर, बहला फुसला कर कि उसके पिता का फोन आया है, अपने साथ टूण्डला चौराहे, आगरा, हैदराबाद, इलाहाबाद ले गया और उसके साथ डेढ़ माह तक जबरदस्ती/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। पीड़िता (पी) घटना के

लगभग डेढ़ माह बाद गिराज सिंह वकील के साथ एक भोजनालय पर इलाहाबाद से, उसके पिता के सहयोग से, पुलिस ने बरामद किया। पीड़िता (पी) की फर्द बरामदगी प्रदर्श क-25 एवं सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-28 को साबित किया है, परन्तु मौके पर विशाल नहीं पकड़ा गया, जबकि चश्मदीद साक्षी सतीश कुमार ने विशाल और पीड़िता (पी) को टूण्डला पुल के नीचे एक साथ खड़े देखा था और पूछताछ भी की थी।

117- पीड़िता (पी), विशाल एवं अभियुक्तगण राम किशन व दीपक को पहले से जानती थी, इसीलिए विशाल के कहने पर उसके साथ, अपनी रिश्तेदारी में दुर्घटना/गमी और पिता का फोन आने की बात सुनकर चली गयी। अभियुक्तगण राम किशन व दीपक द्वारा विशाल से पीड़िता (पी) की शादी कराने की बात, अपराधिक षड्यंत्र के तहत कहकर, जान से मारने की धमकी दी और जब पीड़िता (पी) को पुलिस ने उसके पिता की उपस्थिति में बरामद किया तो उसने पुलिस को दिये बयान एवं मजिस्ट्रेट साहब को अभियुक्तगण राम किशन व दीपक द्वारा विशाल के साथ विवाह कराने के लिए, अपराधिक षड्यंत्र के तहत, जान से मारने की धमकी देने की बात बताई थी।

118- अभियोजन साक्षी वादी शिव कुमार, चश्मदीद साक्षी सतीश कुमार एवं पीड़िता (पी) ने अपनी साक्ष्य से यह साबित किया है कि घटना दिनांक 30-03-2016 को पीड़िता (पी) नाबालिग थी, जिसका समर्थन शैक्षिक अभिलेख प्रदर्श क-2 लगायत प्रदर्श क-4 एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-6, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-8 एवं आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-9 से भी होता है।

119- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक ने कहा कि उनके विरुद्ध मुकदमा झूठा चला है। झूठा क्यों चला, कोई पूर्व रंजिश या मुकदमेवाजी भी लम्बित होना नहीं कहा, फिर क्यों पीड़िता (पी) अभियुक्तगण को झूठा फंसाएगी, स्पष्ट नहीं किया है। झूठा मुकदमा चलने की बावत अभियुक्तगण ने कोई प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं की और ना ही मौखिक साक्षी परीक्षित कराया, जिससे अभियोजन कथानक पर संदेह पर उत्पन्न होता।

120- उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष ने, अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा द्वारा, विशाल से पीड़िता (पी) की शादी कराने की बात, अपराधिक षड्यंत्र के तहत कहकर, जान से मारने की धमकी दिया जाना संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तगण राम किशन व दीपक, अपराध अन्तर्गत धारा-366, 506, 120 बी

भा०दं०सं० में दोष सिद्ध किए जाने योग्य हैं। अभियुक्त राम किशन अपराध अन्तर्गत धारा-363, 376, 385, 406 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

121- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह **तर्क** लिया कि वादी शिव कुमार एवं सतीश कुमार, चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। उन्होंने घटना को नहीं देखा है। वादी एवं सतीश के बयान से स्वतः स्पष्ट है कि उन्होंने घटना को नहीं देखा। वादी ने केवल पीड़िता (पी) के ना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। वादी शिव कुमार ने बयान में स्वीकार किया कि वह घटना के समय घर पर नहीं था, बैंक में ड्यूटी पर था, परन्तु सतीश कुमार, जो घटना का चश्मदीद साक्षी और वादी का पड़ोसी एवं बिजली मिस्त्री है, जो वॉशिंग मशीन की मोटर लेने के लिए टूण्डला से फिरोजाबाद गया था और जब लौटकर आया तो उसने देखा कि विशाल और पीड़िता (पी) दोनों टूण्डला पुल के नीचे, टॉयलेट के पास खड़े थे, जिनसे सतीश ने पूछताछ की तो विशाल ने कहा कि पीड़िता (पी) की रिश्तेदारी में गमी हो गयी है, इसलिए पीड़िता (पी) को इसकी मम्मी के कहने से साथ लेकर जा रहा हूँ। यह पूछकर सतीश वहाँ से चला गया।

122- सतीश के इस कथन का समर्थन पीड़िता (पी) ने अपनी साक्ष्य से करते हुए कहा कि सतीश ने हमें टूण्डला पुल के नीचे खड़ा देखकर पूछताछ की और फिर चले गये। सतीश ने यह भी कहा कि उसने घटना की सूचना वादी को दूसरे दी थी और दो-तीन दिन बाद उसे पता चला कि विशाल, पीड़िता (पी) को बहला फुसला कर भगा ले गया है। वादी शिव कुमार ने पीड़िता (पी) की बरामदगी के उपरान्त पीड़िता के बताये अनुसार जिरह में बयान दिया, जिसका समर्थन पीड़िता (पी) और सतीश के बयान से होता है। पीड़िता (पी) की साक्ष्य व अन्य प्रलेखीय साक्ष्य से मामला पूर्णतः संदेह से परे साबित है, क्योंकि पीड़िता ने घटनाक्रम को समर्थित किया है। केवल एक वादी के चश्मदीद साक्षी ना होने मात्र से अभियुक्तगण राम किशन व दीपक की दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है। यह तर्क बलहीन है।

123- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह **तर्क** भी लिया कि घटना दिनांक 30-03-2016, सुबह 10:00 बजे की बताई गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03-04-2016 को 21:15 बजे विधिक राय लेकर एवं सोच समझ कर अत्यन्त विलम्ब से दर्ज कराई है। वादी ने कहा कि उसकी पुत्री/पीड़िता (पी) अपनी सहेली से मिलने और बाजार

से सब्जी लेने गयी, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी है। घटना की सूचना दूसरे दिन चक्षुदर्शी साक्षी सतीश द्वारा वादी को दी गयी, जबकि वादी ने राम किशन के घर व रिश्तेदारियों में अपनी पुत्री को ढूँढा, तो राम किशन, जो विशाल के पिता हैं और विशाल की माँ कविता व उसके परिवारीजन दीपक, गौरव, राहुल तथा श्रीमती आशा आदि से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी आप रिपोर्ट न करें, हम देखते हैं। इन्होंने मेरी पुत्री को तलाश करके नहीं दिया। उपरोक्त मुल्जिमान ने षड्यंत्र के तहत मेरी पुत्री को विशाल के साथ, गलत नीयत से सहयोग करके भगाया है। मुल्जिमानों ने मुझसे रिपोर्ट न करने के लिए कहा था और एक दिन पहले मुझे धमकी भी दे रहे थे। इसी उहा-पोह में वादी ने घटना की सूचना थाने पर विलम्ब से दी।

124- माननीय उच्च न्यायालय ने **धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० क्रि० अपील अन्तर्गत धारा-374 दं०प्र०सं० नं० 3126 सन 1982 दिनांक 26.09.2012** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था त्रिलोकी नाथ बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०ए० आई०आर०-2006 सु०को० 321 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्व ज्ञानकोष नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का सिर्फ एक आशय होता है कि घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त होने पर अपराध की विवेचना पुलिस द्वारा तीव्र गति से आरम्भ की जा सके। इसके विपरीत कोई भी समझदार व्यक्ति, अचानक उसके समक्ष घटना घटित होने पर, अपना सन्तुलन नहीं बना पायेगा। उसके द्वारा घटना के प्रत्येक मिनट की जानकारी तथा अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने का सम्पूर्ण विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया जा सकता। यदि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता से सम्बन्धित पत्रावली पर सशक्त एवं सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने में हुए विलम्ब मात्र के आधार पर अभियोजन का कथानक अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

125- उपरोक्त परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री अचानक गायब हो जाते हैं तो सबसे पहले वह स्वयं अपने पुत्र या पुत्री को यथाशक्ति जहाँ उसके मिलने की सम्भावना होती है, वहाँ खोजबीन करता है और जब उसे खोजबीन करने पर भी कोई निश्चित सुराग या पुत्र या पुत्री नहीं मिलता है तब वह अन्ततः थक, हारकर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब हुआ है, बल्कि जो

विलम्ब कारित हुआ है वह उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों के आधार पर होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय विधि व्यवस्था **दीपक बनाम हरियाणा राज्य, 2015 सी०आर०एल०जे० 2049 (सुप्रीम कोर्ट)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विलम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट**, बलात्कार मामले के मामले में पीड़िता, जो कि जवान एवं अनपढ़ महिला थी, उसने अपनी माँ को घटना का खुलासा दो सप्ताह बाद किया और उसकी माँ ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त ने उसके फोटोग्राफ लिए थे और उसकी बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विलम्ब से घटना को बताने को न्यायोचित माना, क्योंकि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि यदि किसी से कुछ कहा तो उसे गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे।

126- **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य, 1996(2) एस०सी०सी० 384** के मामले में पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि - बलात्कार के मामले, जिसमें अभियोक्त्री की इज्जत और सम्पूर्ण परिवार की ख्याति सम्बद्ध होती है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना, काफी सोच विचार करने के उपरान्त पीड़िता अथवा उसके परिवारिक सदस्यों द्वारा थाने पर एफ०आई०आर० दर्ज कराई जाती है। उपरोक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब को स्वाभाविक, युक्तियुक्त एवं सही माना। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है। अतः अभियुक्त पक्ष के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है।

127- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी **तर्क** लिया कि अभियोजन ने तहरीर लेखक बृजेश कुमार को परीक्षित नहीं कराया है। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **अनिल कुमार बनाम उ०प्र० राज्य, 2003(1) जे०आई०सी० 732** माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तहरीर लेखक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होता है, इसलिए तहरीर लेखक को परीक्षित न कराने से अभियोजन केस संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है। प्रस्तुत प्रकरण में बृजेश कुमार, तहरीर लेखक को परीक्षित न कराए जाने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्तगण का यह तर्क बलहीन है।

128- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह **तर्क** लिया कि जन साक्षियों ने पुलिस के दबाव में झूठी गवाही दी है और हमारे विरुद्ध झूठा मुकदमा चला है। हम, पीड़िता (पी) को विशाल के साथ विवाह कराने की बात कहकर, टूण्डला से आगरा, आगरा से हैदराबाद होते हुए

इलाहाबाद नहीं ले गये और ना ही उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचकर जानसे मारने की धमकी दी। पीड़िता (पी) के माध्यम से अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है।

129- नाबालिग पीड़िता (पी), विशाल की बात मानकर उसके बहलाने-फुसलाने व जान से मारने की धमकी देने के कारण, बिना किसी प्रतिरोध के आगरा, हैदराबाद होते हुए इलाहाबाद चली गयी। हैदराबाद में पीड़िता (पी) के साथ विशाल ने प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। उपरोक्त अपराध में अभियुक्तगण राम किशन व दीपक ने अभियुक्त विशाल का पूर्ण सहयोग किया और प्रारम्भ से उनके साथ - साथ रहे, जिसका समर्थन पीड़िता (पी) के स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० तथा न्यायालय में दिये बयान, कि हम चारो आगरा से हैदराबाद, हैदराबाद से इलाहाबाद साथ-साथ गये। हैदराबाद में डेढ़ माह कमरे में रहे, तो यही लोग खाना पानी लाकर देते थे। मुझे कैद रखते थे, कहीं बाहर जाने नहीं देते थे और कहते थे कि तेरी शादी विशाल से करवा देंगे। डाक्टर जूही के बयान व चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-6 एवं पूरक चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-7 से घटना का समर्थन होता है, जिसका समर्थन विवेचक रणजीत सिंह ने भी अपनी साक्ष्य से किया है। अतः अभियुक्तगण का उक्त तर्क बलहीन है।

130- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा ने पीड़िता (पी), जो कि 17 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की अवयस्क है, को विशाल के साथ शादी करने के लिए, अपराधिक षड्यंत्र रचकर विशाल का सहयोग किया तथा पीड़िता (पी) को जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया। इस प्रकार अभियोजन, अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा-366, 506, 120 बी भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा-366, 506, 120 बी भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है।

131- अभियुक्त राम किशन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-363, 376, 385, 406 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में दोष मुक्त किया जाता है।

132- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा जमानत पर हैं, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर, उनके जमानतनामे एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा को दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कोर्ट मोहर्रिर श्री सत्यवीर सिंह, दिनांक 31-01-2024 को, जिला कारागार, फिरोजाबाद से तलब कर न्यायालय के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 30-01-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

अभियुक्तगण राम किशन एवं दीपक शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय में हाजिर हैं। दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा कहा गया कि अभियुक्त राम किशन, विशाल के पिता हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को न्यूनतम सजा एवं जुर्माने से दण्डित किए जाने की याचना की है।

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा ने पीड़िता (पी) के साथ, समाज को कलंकित करने वाला गम्भीर अपराध किया है। अतः उनको अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा को अन्तर्गत धारा-366 सपठित धारा-120 बी एवं धारा-506 भा०दं०सं० के अपराध में निम्नलिखित दण्ड दिये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

आदेश

अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा, प्रत्येक को धारा-366 भा०दं०सं० सपठित धारा-120 बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपया 7,000/- अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास, से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा, प्रत्येक को धारा-506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपया 2,000/- अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास, से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा की उपरोक्त सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी और पूर्व में काटी गई सजा समायोजित की जायेगी।

धारा-357 दं०प्र०सं० के अधीन अधिरोपित जुमाने की सम्पूर्ण धनराशि 18,000/- रु० (रूपये अठ्ठारह हजार मात्र) पीड़िता (पी) के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति हेतु पीड़िता (पी) को दी जायेगी।

अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा को इस निर्णय की प्रति तत्काल **निःशुल्क** प्राप्त कराई जाये।

इस निर्णय/आदेश की प्रति समेकित पी०एस०टी० संख्या-2609/2017, राज्य बनाम दीपक शर्मा की पत्रावली पर रखी जाए।

विशेष- अभियुक्तगण राम किशन व दीपक शर्मा से संबंधित अन्य पी०एस०टी० संख्या-834/2022, अपराध संख्या-324/2016, राज्य बनाम बाल अपचारी (वी), अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 385, 406, 506, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम का निस्तारण बाल न्यायालय द्वारा, इसी पत्रावली के साथ किया जा रहा है।

दिनांक: 31-01-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 31-01-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010061952016



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0002187/2016

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत पुत्र मुन्नालाल, निवासी गाँव टूला, थाना पचोखरा,
जिला फिरोजाबाद।

-----अभियुक्त।

मु०अ०सं०-65/2016

धारा- 452, 354A भा०दं०सं० व

धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम

थाना-पचोखरा, जिला फिरोजाबाद।

-: निर्णय :-

1- थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-65/2016 में अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत के विरुद्ध धारा-452, 354ए भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आरोप-पत्र प्रदर्श क-8 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228ए भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में

पी०एस०टी० सं०-2187/2016, सरकार बनाम टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत, मु०अ०सं०-65/2016, धारा-452, 354A भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट, थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद।

उल्लिखित नहीं करने से निषेधित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (सी) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- वादी ख्याली राम की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1, दिनांक 03-04-2016 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वह दिनांक 20/21-03-2016 को रात्रि अपने घर परिवार के साथ घर सो रहा था कि समय करीब 12:30 बजे रात्रि वादी का पड़ोसी टोनी पुत्र मुन्नालाल, उम्र 22 साल वादी के घर में घुस आया और वादी की लड़की/पीड़िता (सी), उम्र 15 साल से छेड़खानी करने लगा। वादी की लड़की चिल्लाई तो वादी जाग गया। उसने देखा तो टोनी ने वादी की लड़की की छाती पकड़कर जेठ भर रखी थी। वादी ने जाकर लड़की को छुड़ाया और टोनी को पकड़ लिया। टोनी, वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए छूट कर भाग गया। चीख-पुकार सुनकर वादी की पत्नी भी जाग गयी। इसकी शिकायत करने वादी, टोनी के घर गया तो उसके परिवारीजन देवेन्द्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह, हरिओम व नौवत पुत्रगण ओम प्रकाश गाली देते हुए बोले कि तूने हमारे लडके के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे। उनके भय और लोक लाज की वजह से थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं आया था। आज रिपोर्ट लिखाने आया हूँ।

4- वादी ख्यालीराम की उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या-65/2016, धारा-452, 354 ए, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त टोनी व अन्य तीन देवेन्द्र सिंह, हरिओम व नौवत के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4 में किया गया।

5- विवेचना नरेन्द्र कुमार गौड़, उ०नि० द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा, उसकी पत्नी, पीड़िता एवं घटना से संबंधित अन्य सभी गवाहन के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 बनाया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण एवं बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा-504, 506 भा०दं०सं० का विलोप करते हुए अभियुक्तगण देवेन्द्र, हरीओम व नौवत की इस घटना में संलिप्तता ना पाते हुए उनकी नामजदगी गलत पायी तथा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकान्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-452, 354 ए भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम आरोपपत्र प्रदर्श क-8 न्यायालय प्रेषित किया।

6- अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान न्यायालय द्वारा दिनांक 17-05-2017 को

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 3

उसके विरुद्ध धारा-452, 354 ए भा०दं०सं० तथा धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण की माँग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी आहूत किये गये।

7- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	ख्याली राम (वादी/पिता)	लिखित तहरीर प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (सी)	बयान अं० धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-3	श्रीमती ऊषादेवी (माँ)	--
पी०डब्लू०-4	हैड कां० सोवरन सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4
पी०डब्लू०-5	डा० आर०डी० गौतम	पीड़िता (सी) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5 व आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-6
पी०डब्लू०-6	छोट्ट उर्फ दीप्ती (बहन)	--
पी०डब्लू०-7	नरेन्द्र कुमार गौड़ (विवेचक)	नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-7 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क-8
पी०डब्लू०-8	डा० मोहम्मद शाहिद	पीड़िता (सी) की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क-9

8- पी०डब्लू०-1 वादी ख्यालीराम ने कहा है कि घटना दिनांक 20/21-03-2016 की रात्रि करीब साढ़े बारह बजे की है। मैं परिवार के साथ घर में सो रहा था। मेरा पड़ोसी टोनी पुत्र मुन्नालाल, उम्र करीब 22 साल मेरे घर में घुस आया और मेरी लड़की/पीड़िता (सी), उम्र करीब 15 साल के साथ छेड़छाड़ करने लगा। मेरी लड़की चिल्लाई तो मैं जाग गया और मैंने देखा कि टोनी ने मेरी लड़की की छाती पकड़ कर जेठ भर रखी थी। मैंने जाकर लड़की को छुड़ाया और टोनी को पकड़ लिया तो टोनी मुझे जान से मारने की धमकी देकर चला गया। इसकी शिकायत करने टोनी के घर गया तो देवेन्द्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह, हरिओम पुत्र ओम प्रकाश, नौवत पुत्र ओम प्रकाश ने कहा कि तुमने हमारे लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे। लोक लाज की बजह से मैंने

देरी से घटना की तहरीर पुष्पेन्द्र पुत्र चरन सिंह से लिखवा कर थाने में दी थी। तहरीर मैंने बोली थी, वही पुष्पेन्द्र ने लिखी थी। पुष्पेन्द्र ने लिखकर तहरीर मुझे पढ़कर सुनाई थी, तब मैंने उस तहरीर पर अपना निशानी अंगूठा लगाया था, जो तहरीर पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मैं अपने निशानी अंगूठा की शिनाख्त करता हूं। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान से तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है।

9- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने कहा है कि घटना दिनांक 21-03-2016, रात करीब 12:30 बजे की है। मेरे घर में टोनी पुत्र मुन्नालाल, जो मेरे घर के सामने रहता है, घर में अन्दर घुस आया था। यह दीवार से कूदकर आया था। उस समय मैं आंगन में सो रही थी। उसने मेरी पीछे से छाती पकड़ कर जेठ भर ली थी और मेरे साथ छेड़छाड़ की। उसने मेरा मुंह दबा लिया था। मेरे कपड़े फट गये थे। उस समय मेरे पापा कमरे में तथा मम्मी गैलरी में सो रहे थे और भाई-बहन पास में ही सो रहे थे। मेरी छोटी बहन छोटू जाग गई थी और पापा भी जाग गये थे। मेरे पापा ने उसे पकड़ लिया था, तब पापा को धक्का मार कर भाग गया था। उसने पापा को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के समय मेरी उम्र 15 वर्ष थी। मेरा पुलिस ने घटना के संबंध में बयान लिया था। मेरा निचली अदालत में धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान हुआ था। साक्षी को बयान धारा-164 दं०प्र०सं० खोल कर दिखाया व पढ़कर सुनाया तो कहा कि यह वही बयान है जो मेरा निचली अदालत में हुआ था, जिस पर मेरा फोटो लगा है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने फोटो व हस्ताक्षर को प्रमाणित करती हूं। मेरे मम्मी, पापा व भाई-बहनों ने मेरे साथ हुई घटना को देखा था। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 को साबित किया है।

10- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 में कहा है कि -

मैं अपने घर में आंगन में सो रही थी। घर में दीवार से लड़का टोनी कूद आया था। आकर उसने मेरा मुंह दबा लिया। मेरे साथ छेड़खानी की। छाती भी पकड़ ली थी। मेरी बहन चिल्लाने लगी थी, फिर वो लड़का भाग गया। यह घटना रात के 12:30 बजे की है। मेरे पापा घर पर नहीं थे, शादी में गये थे।

11- पी०डब्लू०-3 श्रीमती ऊषा देवी ने कहा है कि घटना करीब साढ़े छः साल पहले रात्रि 12:30 बजे की है। मैं अपने घर के अन्दर चारपाई पर सो रही थी। मेरी लड़की/पीड़िता (सी), उम्र 15 वर्ष चौक में सो रही थी। हमारा पड़ोसी टोनी पुत्र मुन्नालाल घर के अन्दर घुस आया और मेरी लड़की/पीड़िता (सी) के साथ छेड़छाड़ करने लगा। टोनी

मेरी लड़की की छाती पर हाथ फिरा रहा था, तब मेरी लड़की चिल्लाई तो मैं जाग गई और मैंने देखा कि मेरी लड़की /पीड़िता (सी) की टोनी जेठ भरे हुए था। मेरे पति और मैंने, टोनी को पकड़ा तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। मैंने टोनी को मौके पर ही अच्छी तरह पहचान लिया था। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मैं बिना पढ़ी लिखी, सीधी साधी देहाती महिला हूँ।

12- पी०डब्लू०-4 हैड कां० सोवरन सिंह ने कहा कि दिनांक 03-04-2016 को मैं थाना पचोखरा में बतौर सी०सी० के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा ख्यालीराम पुत्र भंवर सिंह, निवासी टूला, थाना पचोखरा ने थाना कार्यालय पर आकर एक किता तहरीर लिखित हिन्दी दी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-65/2016, धारा-452, 354 ए, 504, 506 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट बनाम टोनी आदि के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। चिक एफ०आई०आर० पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं तथा थाने की मोहर लगी है, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। उक्त मुकदमा का खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० संख्या-21, समय 10:30 बजे, दिनांक 03-04-2016 को किया गया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-4 को साबित किया है।

13- पी०डब्लू०-5 डा० आर०डी० गौतम ने कहा कि दिनांक 22-04-2016 को मैं, जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में तैनात था। उस दिन पीड़िता (सी) पुत्री ख्यालीराम, निवासी टूला, थाना पचोखरा को कां० सावित्री पाण्डेय द्वारा कोहनी, घुटना, इलियक क्रस्ट एवं कलाई के एक्सरे हेतु लाया गया। मेरे निर्देश पर एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा एक्सरे खींचे गये। मैंने प्लेट देखकर रिपोर्ट तैयार की। पीड़िता की कोहनी, घुटना, कलाई की हड्डियां जुड़ी पायी गयीं एवं इलियक क्रस्ट की हड्डी जुड़ी हुई नहीं थीं। रिपोर्ट मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की तथा पीड़िता के दाहिने हाथ का अंगूठा लगाकर प्रमाणित किया। रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि उसी दिन पीड़िता की आयु निर्धारण हेतु बोर्ड का गठन किया गया, जिसका एक सदस्य मैं भी था। बोर्ड की राय से पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी। आयु प्रमाणपत्र पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से पीड़िता की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5 व पीड़िता का आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-6 को साबित किया है।

14- पी०डब्लू०-6 छोटू उर्फ दीप्ती ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना दिनांक 20/21-03-2016, रात करीब 12:30 बजे की है। मैं उस समय आंगन में सो रही थी। हमारा पड़ोसी घर में घुस आया और मेरी बहन/पीड़िता (सी) के साथ टोनी छेड़खानी करके उसकी छाती दबा रहा था। मेरी बहन/पीड़िता (सी) चिल्लाई, तो टोनी ने उसका मुंह बन्द कर लिया। चिल्लाने की आवाज सुनी तब मैंने घटना को देखा था। मेरे पिताजी भी मौके पर पहुंच गये। पिताजी ने टोनी को पीछे से पकड़ा था और मैंने भी पकड़ा था। मैं छोटी थी, पापा बड़े बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए टोनी छूटकर भाग गया। बिजली जल रही थी। मैंने टोनी को बिजली की रोशनी में पहचान लिया था। घटना के बारे में मुझसे पुलिस ने पूछताछ की थी।

15- पी०डब्लू०-7 नरेन्द्र कुमार गौड, निरीक्षक ने विवेचना सम्बन्धी बयान देते हुए कहा है कि दिनांक 03-04-2016 को मैं थाना पचोखरा में बतौर वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। थाने पर मु०अ०सं०-65/2016, धारा-452, 354 ए, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट बनाम टोनी आदि पंजीकृत होकर विवेचना मुझ एस०एस०आई० को सुपुर्द की गई थी। मेरे द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा, उसकी पत्नी, पीड़िता एवं घटना से संबंधित अन्य सभी गवाहन के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 बनाया, जो पत्रावली पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण एवं बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा-504, 506 भा०दं०सं० का विलोप करते हुए नामित अभियुक्तगण देवेन्द्र, हरीओम व नौवत की इस घटना में संलिप्तता ना पाते हुए उनकी नामजदगी गलत पायी तथा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकान्त के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-452, 354 ए भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम न्यायालय प्रेषित किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूं। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 व आरोप पत्र प्रदर्श क-8 को साबित किया है।

16- पी०डब्लू०-8 डा० मोहम्मद शाहिद ने कहा कि दिनांक 21-04-2016 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टूण्डला पर तैनात था। उक्त दिनांक को मेरे द्वारा पीड़िता (सी) पुत्री ख्यालीराम, निवासी गाँव टूला, थाना पचोखरा की चोटों की बावत मेडीकल परीक्षण किया था। जिसको महिला कां० सावित्री पाण्डेय, थाना पचोखरा द्वारा लाया गया

था। मेडीकल परीक्षण के उपरान्त पीड़िता (सी) के शरीर पर चोट का निशान नहीं पाया गया था। पीड़िता (सी) को आयु निर्धारण के लिए सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद के लिए रैफर कर दिया गया था। पीड़िता (सी) की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्शक-9 को साबित किया है।

17- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

18- अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्था दाखिल की हैं।

1. वोमेन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2011 ए०आई०आर० (सुप्रीम कोर्ट) 3327.
2. सुग्रीव बनाम राज्य (इलाहाबाद) (डी०बी०), 2015 (फौ०) 4125.
3. एम०पी० राज्य बनाम दयाल साहू, 2005 ए०आई०आर० (सुप्रीम कोर्ट) 3570.
4. गजुला वेंकटेश्वर राव बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 2002 ए०आई०आर० (सुप्रीम कोर्ट), 2775.
5. बीजल यादव बनाम बिहार राज्य (पटना) (डी०बी०), 2005(7) आर०सी०आर० (फौजदारी) 1.
6. खिम सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य 2006(26) आर०सी०आर० (फौजदारी) 731.
7. बिहार राज्य बनाम शैख समसुल और शैख गयास (पटना) (डी०बी०), 2007(8) आर०सी०आर० (फौजदारी) 770.

19- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 02-06-2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया। गवाहन द्वारा रंजिशन झूठा एवं विरोधाभासी बयान देना तथा गलत प्रपत्र साबित करना कहा। अभियुक्त ने अपने विरुद्ध मुकदमा गांव की पार्टीबन्दी व रंजिशन एवं क्रास केस की वजह से चलना कहा। विशेष कथन में अभियुक्त ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मेरे पिता मुन्नालाल ने वादी ख्याली राम व उसके परिवारीजन के विरुद्ध थाना पचोखरा पर मुकदमा लिखाया था। उसी रंजिशन यह झूठा व फर्जी मुकदमा अपनी पुत्री को सामने रखकर, परेशान करने के लिए किया है।

20- अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना कहा तथा सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 के रूप में श्रीमती गुड़ी देवी को सशपथ

परीक्षित कराया गया है।

21- अभियुक्त ने अपने कथन के समर्थन में फेहरिस्त 48 ब से कागज संख्या-49 ब मु०अ०सं०-48/2016, धारा-452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० बनाम ख्याली आदि, थाना पचोखरा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति। कागज सं०-50 ब लक्ष्मी की मेडीकल रिपोर्ट। कागज सं०-51 ब मुन्नालाल की मेडीकल रिपोर्ट। कागज सं०-52 ब अपराध सं०-48/2016 उपरोक्त में प्रेषित आरोप पत्र की प्रति एवं कागज सं०-53 ब उक्त अपराध में पारित निर्णय की प्रति, दाखिल किये हैं। इसके अतिरिक्त अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्था दाखिल की हैं।

1. **फौजदारी अपील संख्या-889/2009, अरशद हुसैन बनाम राजस्थान राज्य, निर्णीत दिनांक 17-07-2013.**
2. **फौजदारी अपील संख्या-891/2004, डा० सुनील कुमार सम्भूदयाल गुप्ता एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, निर्णीत दिनांक 11-11-2010.**

22- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप सिंह की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

23- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

24- **धारा-452 भारतीय दण्ड संहिता - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार -** जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति की उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

25- **धारा-354 ए भारतीय दण्ड संहिता - किसी स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग-** जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसे हमले द्वारा वह किसी सार्वजनिक स्थान पर उसके कपड़े उतारकर या उसे नग्न होने के लिए विवश करके, उसकी लज्जा भंग करेगा या करवाएगा, उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करेगा या स्त्री पर हमला करने के लिए दुष्प्रेरण या षडयंत्र करेगा या ऐसा आपराधिक

बल प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दोषी होगा।

26- धारा-7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – **लैंगिक हमला** – जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

27- धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – **लैंगिक हमले के लिए दंड** – जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

28- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

29- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के दृष्टिगत किया जाना है।

30- अवलोकनीय यह भी है कि **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा-2(घ) में "बालक"** को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि – **"बालक"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

31- विधि व्यवस्था **जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 262** एवं **गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631** के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत अपचारी किशोर मामलों का निस्तारण घटना के समय प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

32- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम -2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य

उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

33- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ख्यालीराम ने घटना दिनांक 21-03-2016, समय 00:30 बजे की रिपोर्ट थाना पचोखरा में दिनांक 03-04-2016 को, समय 10:30 बजे अभियुक्तगण टोनी, देवेन्द्र सिंह, हरिओम व नौवत के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-452, 354 ए, 504, 506 भा०दं०सं० और धारा-7/8 पोक्सो एक्ट में दर्ज कराई थी। प्रस्तुत मामले के विवेचक श्री नरेन्द्र कुमार गौड, निरीक्षक ने केस डायरी के पर्चा सं०-1, दिनांकित 03-04-2016 लगायत केस डायरी के अन्तिम पर्चा सं०-12 ए, दिनांकित 18-05-2016 से मामले की विवेचना पूर्ण करते हुए केस डायरी में घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए समई साक्षी, प्रत्यक्ष साक्षी, चश्मदीद साक्षी, औपचारिक साक्षी, स्वतंत्र साक्षी, चिकित्सीय रिपोर्ट आदि का अवलोकन करके विवेचक ने पर्चा सं०-7, दिनांकित 20-04-2016 से अभियुक्तगण देवेन्द्र, नौवत और हरिओम की नामजदगी गलत पाते हुए केवल अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकान्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-452, 354 ए भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

34- पी०डब्लू०-1 वादी ख्यालीराम ने तहरीर प्रदर्श क-1 और न्यायालय में दिये बयान में पीड़िता (सी) की उम्र घटना के समय 15 वर्ष होना कहा है। साक्षी ने जिरह के पृष्ठ संख्या-4 के तृतीय पैरा में कहा कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। वह कक्षा 3-4 तक सरकारी स्कूल, हिम्मतपुर में पढ़ी है। मैंने अपनी लड़की के पढ़ाई-लिखाई के कागजात दरोगा जी को नहीं दिये थे और मैंने दरोगा जी को यह भी नहीं बताया था कि मेरी लड़की 3-4 तक हिम्मतपुर सरकारी स्कूल में पढ़ी है। इस साक्षी ने अभियुक्त के इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरी पुत्री की उम्र घटना के समय 19 साल से अधिक हो, इसी कारण मैंने दरोगा जी को कक्षा 3-4 तक सरकारी स्कूल, हिम्मतपुर में पढ़ने वाली बात नहीं बताई हो और मैंने पीड़िता (सी) के पढ़ाई लिखाई के कागज दरोगा जी को नहीं दिये।

35- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने बयान अन्तर्गत धारा-161 एवं 164 दं०प्र०सं० में 16 वर्ष और न्यायालय में दिये बयान में घटना के समय अपनी उम्र 15 वर्ष होना कहा है। जिरह की प्रथम पंक्ति में

कहा कि मैं कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ। पुनः जिरह दिनांक 05-01-2021 को पीड़िता ने न्यायालय में शपथ लेते समय अपनी उम्र 15 वर्ष अंकित कराई है। उक्त के संबंध में अभियुक्त के सुझाव से इन्कार करते हुए अपनी उम्र आज गलत लिखाना कहा है और इस सुझाव से भी इन्कार किया कि आज मेरे उम्र 20 वर्ष से अधिक हो और आज मेरी उम्र 21 वर्ष हो, जबकि वादी ने तहरीर व अपने बयान में पीड़िता की उम्र घटना के समय 15 वर्ष अंकित कराई है। पीड़िता ने भी घटना के समय अपनी उम्र 15 वर्ष, परन्तु न्यायालय में पुनः बयान देते समय घटना के लगभग पाँच वर्ष उपरान्त अपनी उम्र 15 वर्ष अंकित कराई है, जिस पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है कि किसी भी परिस्थिति में पीड़िता की उम्र घटना के समय 15 वर्ष और लगभग पाँच वर्ष बीतने के उपरान्त भी 15 वर्ष नहीं रह सकती है, बल्कि लगभग 20 वर्ष होना चाहिए, जिससे पीड़िता ने अपने बयान में इन्कार किया है। पीड़िता ने जिरह के पृष्ठ सं०-4 की अन्तिम सातवीं पंक्ति में कहा कि यह बात सही है कि मैं कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ। उम्र के संबंध में पीड़िता का उपरोक्त कथन असत्य प्रतीत होता है, जो अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

36- पी०डब्लू०-3 ऊषा देवी, पीड़िता (सी) की माँ ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० और न्यायालय में दिये बयान में घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष बताई है। जिरह में कहा कि पीड़िता की शादी मैंने 15 साल की होने पर कर दी थी और इस समय पीड़िता (सी) के 3 साल का एक बच्चा है।

37- पी०डब्लू०-4 एच०सी० सोवरन सिंह से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में जिरह की गयी, जिसमें साक्षी ने तहरीर के साथ में पीड़िता की उम्र से संबंधित कोई प्रपत्र ख्यालीराम ने नहीं दिया था, लेकिन तहरीर में उम्र 15 वर्ष लिखी थी।

38- पी०डब्लू०-5 डा० आर०डी० गौतम ने दिनांक 22-04-2016 को पीड़िता का आयु निर्धारण की बावत एकसरे करके एकसरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5 तैयार की और सी०एम०ओ० द्वारा गठित बोर्ड की राय प्रदर्श क-6 अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ सं०-2 में कहा कि एकसरे रिपोर्ट व एकसरे प्लेट के आधार पर मैंने अपनी राय दी थी कि पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है। मैं भी उस बोर्ड का सदस्य था। यह कहना सही है कि पत्रावली में पीड़िता की एकसरे प्लेट मौजूद नहीं है, जिनको देखकर मैंने पीड़िता की आयु के संबंध में अपनी राय दी थी। यह भी कहना सही है कि आयु निर्धारण प्रमाणपत्र पर मेरी कोई मुहर नहीं है। यह कहना गलत है कि एकसरे प्लेट पत्रावली में इसलिए मौजूद नहीं है कि पीड़िता की उम्र दिनांक 22-04-2016 को 18 वर्ष से अधिक थी।

39- पी०डब्लू०-6 छोटू उर्फ दीप्ती ने न्यायालय में बयान देते समय अपनी उम्र 18 वर्ष अंकित कराई है और जिरह में कहा कि मैं आज 18 वीं साल में चल रही हूँ। पीड़िता से मैं दो साल छोटी हूँ, जबकि पीड़िता ने अपनी जिरह में घटना के समय 15 वर्ष और घटना के पाँच वर्ष बाद भी बयान देते समय अपनी उम्र 15 वर्ष बताई है, जबकि बहन छोटू उर्फ दीप्ती के कथन व आकलन अनुसार पीड़िता की उम्र इस समय 20-21 वर्ष होनी चाहिए।

40- पी०डब्लू०-7 विवेचक नरेन्द्र कुमार गौड़, निरीक्षक ने बयान के द्वितीय पेज पर कहा कि पर्चा सं० -12, दिनांक 18-05-2016 स्कूल अभिलेख कागज सं०-9ब/22 के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 10 जुलाई, 2001 है, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हिम्मतपुर से प्राप्त किया, जिसे अभियोजन ने विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा साबित नहीं कराया है, जो मात्र सादे कागज पर तहरीर किया है। उक्त विद्यालय के लैटर पैड पर भी लिखकर नहीं दिया है। पू०मा०वि० हिम्मतपुर, ब्लाक टूण्डला, फिरोजाबाद के प्रधानाध्यापक द्वारा उसे न्यायालय में आकर सत्यापित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रपत्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

41- पीड़िता (सी) की आयु का निर्धारण **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** लागू है जिसके अन्तर्गत **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016** बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

42 - आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी **अस्थि जाँच** या कोई अन्य नवीनतम

चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

43- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता (सी) की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा।

44- वादी ने घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष, पीड़िता ने घटना के समय अपनी उम्र 15 वर्ष और पाँच वर्ष बाद बयान देते समय भी अपनी उम्र 15 वर्ष होना कहा है। पीड़िता की माँ ने पीड़िता की उम्र 15 वर्ष बताई है, जबकि पीड़िता की बहन छोटू ने पीड़िता की स्पष्ट आयु नहीं बताई है। विवेचक ने दौरान विवेचना, पू०मा०वि० से पीड़िता की शिक्षा/आयु के सन्दर्भ में सादे कागज पर प्रमाणपत्र प्राप्त किया, परन्तु उसके सन्दर्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा किसी कर्मचारी का बयान केस डायरी में और आरोपपत्र में गवाह नहीं बनाया और अभियोजन ने उक्त शैक्षिक अभिलेख को न्यायालय के सक्षम साक्षी के माध्यम से साबित नहीं कराया है। विवेचक ने शैक्षिक अभिलेख पर विश्वास न करते हुए पीड़िता की आयु निर्धारण की बावत चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें सी०एम०ओ० द्वारा गठित बोर्ड की राय अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थानुसार पीड़िता की आयु में दो वर्ष का अन्तराल हो सकता है। स्पष्ट जन्मतिथि ज्ञात न होने पर मेडीकल आधार पर पीड़िता की उम्र घटना के समय लगभग 17 वर्ष (नाबालिग) निर्धारित की जाती है।

45- पी०डब्लू०-1 वादी ख्यालीराम ने तहरीर प्रदर्शक-1 का समर्थन करते हुए बयान में कहा कि घटना दिनांक 20/21-03-2016 की रात्रि करीब 12:30 बजे की है। मैं परिवार के साथ घर में सो रहा था। मेरा पड़ोसी टोनी मेरे घर में घुस आया और मेरी लड़की/पीड़िता (सी) के साथ छेड़खानी करने लगा, जब वह चिल्लाई तो मैं जाग गया, तो मैंने देखा कि टोनी मेरी लड़की की छाती पकड़ कर जेठ भर रखी थी, मैंने जाकर लड़की को छुड़ाया और टोनी को पकड़ लिया, तो टोनी मुझे जान से मारने की धमकी देकर चला गया। इसकी शिकायत जब उसके घर वालों से की तो देवेन्द्र, हरिओम और नौवत ने कहा कि अगर तुमने हमारे लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे। लोक लाज की वजह से मैंने देरी से रिपोर्ट लिखाई। घटना की तहरीर पुष्पेन्द्र पुत्र चरन सिंह से बोल कर लिखवाई थी।

46- वादी ने जिरह में स्वीकार किया कि इस घटना से पहले मेरे व मेरे पुत्र करुआ व भाई रामेश्वर के खिलाफ, मुन्ना लाल पुत्र ओम प्रकाश ने रिपोर्ट लिखाई थी। यह मुन्ना लाल, अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत के पिता हैं। साक्षी ने आगे कहा कि मारपीट की रिपोर्ट हमारे खिलाफ घटना के विषय में दिनांक 23-03-2016 को लिखाई थी। प्रस्तुत मामले की

घटना दिनांक 20/21-03-2016 की है, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 23-03-2023 को वादी ने तेरह दिन बाद लिखाई है। वादी ने जिरह में कहा कि यह मुकदमा हमारे खिलाफ अदालत में नहीं चल रहा है, खत्म हो गया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि झूठ बोलना अपराध होता है।

47- अभियुक्त द्वारा बचाव में सूची 48 ब से दाखिल उपरोक्त एफ०आई०आर० 48/2016, आरोप-पत्र एवं उक्त मामले में पारित निर्णय दिनांक 11-01-2023 की प्रति दाखिल की हैं, जबकि वादी ने बयान पूर्व दिनांक 29-11-2019 को न्यायालय में सशपथ दिया था। वादी ने अभियुक्त के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि संबंधित उक्त मुकदमा अ०सं०-48/2016 हमारे खिलाफ फिरोजाबाद न्यायालय में लम्बित हो। साक्षी ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह मुकदमा सी०जे०एम० फिरोजाबाद के न्यायालय में दिनांक 30-11-2019 के लम्बित हो, जिसका मुकदमा संख्या-3112/2016 हो। बचाव में दाखिल निर्णय की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के बयान देते समय उक्त मामला लम्बित था और वह जानबूझ कर असत्य कथन कह रहा है।

48- वादी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मैंने और मेरे साथ के लोगों ने घर में घुस कर जान से मारने की नीयत से सरिया व डण्डों से मारापीटा हो। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि इस मुकदमे में हमने मुन्नालाल के ऊपर दबाव बनाया हो और राजीनामा की बात मुन्नालाल द्वारा न मानने पर, दबाव बनाते हुए यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया हो।

49- शेष जिरह दिनांक 22-01-2020 में कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। घटना दिनांक 19/20-03-2016 रात्रि 12:30 बजे की है, जबकि मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक 20/21-03-2016 की रात में होना कहा है। यदि गाँव के मुन्ना लाल ने मेरे खिलाफ थाना पचोखरा पर दिनांक 23-03-2016 को 04:30 बजे रिपोर्ट लिखा दी हो तो मुझे नहीं मालूम। यह कहना सही है कि मुन्ना लाल, अभियुक्त टोनी के पिता हैं। मैंने व करुआ एवं रामेश्वर ने दिनांक 21-03-2016 को पौने नौ बजे मारपीट नहीं की थी। मैं मारपीट करके गाँव से नहीं भागा था। यदि मेरी पत्नी ऊषा और मेरी पुत्री/पीड़िता (सी) यह कहती हैं कि मैं मारपीट करके गाँव से भाग गया था, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

50- साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरे व मेरे साथियों के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा थाने पर लिख गया था, इस कारण मैंने अपने बचाव में यह छेड़खानी का मुकदमा झूठा लिखाया हो। इस घटना की रिपोर्ट मैंने लगभग 13 दिन बाद दिनांक 03-04-2016 को 10:30 बजे लिखाई थी। मुझे रिपोर्ट लिखाने से दो-चार आदमी... हरभजन सिंह, जवाहर सिंह और रिन्कू ने मना कर दिया था। ये व्यक्ति मेरे गाँव के

हैं, इसलिए मैंने 13 दिन बाद रिपोर्ट लिखाई थी, परन्तु विवेचक ने हरभजन सिंह, जवाहर सिंह व रिन्कू को आरोप पत्र में साक्षी के रूप में नामित नहीं किया है और अभियोजन ने इन्हें साक्ष्य में भी परीक्षित नहीं कराया है।

51- मुझे ध्यान नहीं है कि दरोगा जी रिपोर्ट लिखाने के कितने दिन बाद गाँव में आये थे और मेरी उनसे कहाँ मुलाकात हुई थी? रिपोर्ट लिखाने थाने में व पुष्पेन्द्र और पदम सिंह गये थे, परन्तु विवेचक ने पुष्पेन्द्र व पदम को आरोप पत्र में साक्षी सूची में नामित नहीं किया है और ना ही अभियोजन ने साक्ष्य में तलब कराया है।

52- वादी ने इस कथन से इन्कार किया कि कथित घटना वाली रात, अंधेरी रात हो। तहरीर में लाईट जलने वाली बात नहीं लिखाई है। तहरीर में केवल गाली शब्द लिखाया है, क्या गाली दी? यह शब्द नहीं लिखाया है। साक्षी ने इस केस के विवेचक से, विवेचना से पूर्व कोई रंजिश अथवा झगड़ा होना नहीं कहा है, परन्तु कथित घटना के समय विवेचक ने वादी को गाँव से भागा हुआ क्यों बताया? इसकी मैं वजह नहीं बता सकता।

53- अभियुक्त टोनी द्वारा घटना के समय मेरी पुत्री/पीड़िता (सी) को पकड़े था तो मेरी पुत्री के खरोंचे आयी थीं। पीड़िता (सी) के खरोंचे सीना व पीठ पर आई थीं। पीड़िता (सी) के सीना व पीठ वाली खरोंचे मैंने स्वयं देखी थीं। इन खरोंचो से खून नहीं निकला था। पीड़िता (सी) के घुटना, कोहनी, चेहरे, होठ अथवा गालो पर कोई चोट नहीं आयी थी।

54- मेरी पत्नी ऊषा देवी, मेरी पुत्री/पीड़िता (सी) की डाक्टरी कराते समय सरकारी अस्पताल में साथ गया था। डाक्टर साहब को सीना व पीठ की चोटें दिखाई थीं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि पीड़िता (सी) के सीना और पीठ में कोई भी खरोंच अथवा चोट न आई हों। इस सुझाव से भी इन्कार किया कि मैं, मुन्ना लाल द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के बचाव में आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

55- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने कहा कि घटना दिनांक 21-03-2016 की रात 12:30 बजे की है। टोनी मेरे घर के सामने रहता है। वह दीवार कूद कर घर में घुस आया, उस समय मैं आँगन में सो रही थी। उसने मेरी पीछे से छाती पकड़ कर जेठ भर ली थी और मेरे साथ छेड़छाड़ की। उसने मेरा मुँह दबा लिया था। मेरे कपड़े फट गये थे। उस समय मेरे पापा कमरे में सो रहे थे और मम्मी गैलरी में सो रही थीं। छोटे भाई-बहन पास में ही सो रहे थे, परन्तु उनका नाम नहीं बताया है। मेरे पापा और छोटू जाग गयी थी। मेरे पापा ने उसे पकड़ लिया तथा वह पापा को धक्का मारकर भाग गया।

56- जिरह में कहा कि मैं अपने गाँव के मुन्नालाल को जानती हूँ, उसने मेरे पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। यह रिपोर्ट मुन्नालाल ने, मेरी रिपोर्ट से पहले थाने पर लिखवाई थी, जबकि पीड़िता (सी) के विपरीत असत्य कथन करते हुए वादी ने मुन्नालाल की रिपोर्ट व निर्णय के संबंध में जानकारी होने से इन्कार किया है। पीड़िता (सी) ने स्वीकार किया कि यह मुन्नालाल, अभियुक्त टोनी के पिताजी हैं। करुआ मेरा भाई और रामेश्वर मेरे ताऊ हैं। मुन्नालाल ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी, वह मारपीट की थी, जो मेरे पिता व करुआ और रामेश्वर के खिलाफ थी, परन्तु वादी ने अपने बयान में इस तथ्य से इन्कार किया है।

57- पीड़िता (सी) ने दिनांक 05-01-2021 को जिरह में अपनी उम्र 15 वर्ष अंकित कराई है। इस सुझाव से इन्कार किया कि मैंने आज अपनी उम्र गलत लिखाई है और मेरी उम्र 20 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष हो। मैंने बयान में कपड़े फटने वाली बात बताई थी। आज फटे कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। उस दिन मैं सफेद रंग की फ्राक पहने थी, जिस पर लाल रंग के फूल थे। फ्राक सामने से फटी थी। फ्राक छाती पर फटी थी। उक्त तथाकथित फ्राक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी और ना ही विवेचक को दी गयी। इसी कारण विवेचक ने केस डायरी में फटी हुई फ्राक का कोई हवाला नहीं दिया है।

58- विवेचक ने मेरा बयान किस तारीख को लिया था, कितने दिन बाद लिया था, थाने में लिया था, मुझे याद नहीं है। घटना के समय मेरे पिताजी घर पर नहीं थे, बाहर शादी में गये हुए थे। यह बयान मैंने दरोगा जी को नहीं बताया था। यह बात लिखी है तो गलत लिखी है। मैंने अपने धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में नहीं बताया था कि घटना के समय मेरे पिताजी घर पर नहीं थे, बाहर शादी में गये हुए थे। मेरे धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में लिखा है कि मेरे पापा घर पर नहीं थे।

59- मेरे शरीर पर पहनी हुई फ्राक फटी थी, शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी। मेरी चोटों का डाक्टरी परीक्षण हुआ था। डाक्टर साहब ने चोटें देखी थीं। मैंने डाक्टर साहब को दिखाया था कि मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं आई है, जबकि वादी ने जिरह के पृष्ठ सं०-4 के अन्तिम पैरा में कहा कि अभियुक्त टोनी द्वारा घटना के समय मेरी पुत्री को पकड़ने से उसके सीने व पीठ पर चोटें आयी थीं। इन खरोंचों से खून नहीं निकला था और उक्त चोटें मैंने स्वयं देखी थीं और डाक्टर साहब को भी दिखाई थीं, जबकि पीड़िता (सी) अपनी जिरह के पृष्ठ सं०-5 के तीसरे पैरा में कहती है कि मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी, केवल फ्राक फटी थी, डाक्टर साहब को दिखा दिया था। इन दोनों साक्षियों के बयानों में पीड़िता के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में, परस्पर विरोधाभास है।

60- यह कहना सही है कि करीब दो महीने बाद दरोगा जी को मैंने बयान दिया था। इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरे पापा ने मुझे रिश्तेदारी में छिपा दिया था, इस कारण मेरा बयान दो माह बाद हुआ था। यह घटना दिनांक 19/20-03-2016 की नहीं है, जबकि पूर्व जिरह में कहा कि घटना दिनांक 20/21-03-2016 की है। यह साक्षी/पीड़िता (सी) तथ्य एवं अपने शरीर पर आई चोटों तथा बयान धारा -164 दं०प्र०सं० के संबंध में विरोधाभासी बयान दे रही है।

61- साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरे पिताजी, मेरे भाई व ताऊ आदि ने, टोनी व उसके परिवार के साथ मारपीट की हो, इस कारण मुझे छिपा कर झूठा मुकदमा लिखा दिया हो और मारपीट की घटना के कारण मेरे पिताजी स्वयं छिप गये हों।

62- पी०डब्लू०-3 ऊषा देवी, पीड़िता (सी) की माँ है, ने तथ्य के पूर्व साक्षियों के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि मैंने देखा, टोनी मेरी लड़की की छाती पर हाथ फिरा रहा था। जब मेरी लड़की चिल्लाई तो मैं जग गयी, तो मैंने देखा कि मेरी लड़की की टोनी जेठ भरे हुए था, मेरे पति और मैंने टोनी को पकड़ा तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया, जबकि वादी ने अपनी जिरह में कहा कि उसने टोनी को पकड़ लिया था, जिसको पीड़िता ने भी समर्थित किया है, परन्तु वादी एवं पीड़िता (सी) ने अपनी पत्नी ऊषा द्वारा टोनी को पकड़ना नहीं कहा है।

63- साक्षी ने जिरह में कहा कि घटना के दिन मेरे पति रिश्तेदारी में नहीं गये थे, परन्तु मैंने दरोगा जी को बयान दिया था कि मेरे पति रिश्तेदारी में गये थे। साँखिनी रिश्तेदारी में गये थे। साँखिनी जलेसर के पास है, जो मेरे गाँव से 40 कि०मी० दूर है। साँखिनी में मेरी भाभी के लडके का दष्ठौन था, उसमें पति अकेले गये थे, मैं साथ नहीं गयी थी। दष्ठौन रात में हुआ था। मेरी बेटा ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया था कि मेरे पिता (मेरे पति) घटना वाली बात रिश्तेदारी में गये थे, यह बात सही है। जिरह के पृष्ठ सं०-2 की अन्तिम तीसरी पंक्ति में कहा कि - घटना के समय मेरे पति रिश्तेदारी में गये थे, मौके पर थे ही नहीं, जबकि पीड़िता (सी) और वादी ने अपने पूर्व बयानों में संदिग्धता उत्पन्न करते हुए मजिद बयान में कहा कि घटना की रात उसके पिताजी /वादी घर पर ही मौजूद थे।

64- पी०डब्लू०-3 ने कहा कि टोनी को छेड़छाड़ करते हुए मैंने देखा था, इसके विपरीत वादी एवं पीड़िता ने अपनी माँ ऊषा द्वारा घटना की रात टोनी द्वारा छेड़छाड़ करते हुए देखना नहीं कहा है और विवेचक ने वादी व उसकी पत्नी ऊषा को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना नहीं कहा है।

65- साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरे पति ख्याली, जेठ रामेश्वर व पुत्र करुआ के विरुद्ध थाना पचोखरा पर अ०सं० - 48/2016 अभियुक्त टोनी के पिता मुन्नालाल ने मुकदमा लिखाया हो, इसलिए मेरे पति ने मुकदमे पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया हो।

66- पी०डब्लू०-4 सोवरन सिंह, औपचारिक साक्षी हैं, जिन्होंने चिक एफ०आई०आर० व जी०डी० कायमी को अपनी साक्ष्य से साबित किया है, जिन्होंने तथ्य के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

67- पी०डब्लू०-5 डा० आर० डी० गौतम ने पीड़िता की आयु की निर्धारण की बावत एक्सरे किया है। इस साक्षी ने तथ्य के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

68- पी०डब्लू०-6 छोटू उर्फ दीप्ति, पीड़िता की छोटी बहन है, ने अपने बयान से पूर्व साक्षियों के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि मेरी बहन/पीड़िता (सी) की टोनी छाती दबा रहा था, तो मेरी बहन चिल्लाई, टोनी ने उसका मुंह बन्द कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनी, तब मैंने घटना को देखा था। मेरे पिताजी भी मौके पर पहुंच गये थे। पिताजी ने टोनी को पीछे से पकड़ा था और मैंने भी पकड़ा था। मैं छोटी थी और पापा बड़े, बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए टोनी छूट कर भाग गया, जबकि वादी ने अभियुक्त टोनी को पकड़ना बताया और पीड़िता ने अपने पिता को घटना वाले दिन घर से बाहर होना कहा।

69- वादी ने अपने बयान में अपनी पत्नी ऊषा व पुत्री छोटू द्वारा टोनी को पकड़ना नहीं कहा है। साक्षी दीप्ति ने घटना के समय स्वयं को छोटा होना कहा है, जबकि वह स्वयं को पीड़िता से दो वर्ष छोटा होना कहती है। ऐसी स्थिति में दीप्ति की उम्र घटना के समय लगभग 15 से 17 वर्ष के मध्य होगी, जिसे उम्र में छोटा होना नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक वादी के बूढ़े और कमजोर होने का प्रश्न है, वादी ने न्यायालय में बयान देते समय दिनांक 29-11-2019 को अपनी उम्र 48 वर्ष अंकित कराई है। ऐसी स्थिति में वादी की उम्र घटना के समय (तीन वर्ष पूर्व) लगभग 45 वर्ष होगी, जो एक सामान्य स्वस्थ, हस्तपुष्ट व्यक्ति की उम्र है, उस उम्र में वादी को कमजोर व बूढ़ा होना नहीं कहा जा सकता। यह तथ्य भी अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

70- साक्षी ने जिरह के पृष्ठ सं०-2 की प्रथम पंक्ति में कहा कि साँखिनी में पापा की ननिहाल है और मम्मी की बुआ रहती हैं। साँखिनी में दिनांक 20/21-03-2016 को दष्ठौन का कोई प्रोग्राम नहीं था। दष्ठौन का प्रोग्राम मेरे घर के सामने सोनू के घर पर था। सोनू के बड़े भाई दिनेश के बेटे का दष्ठौन था। साक्षी ने यह कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि मेरी बड़ी बहन ने मजिस्ट्रेट साहब को बताया हो कि घटना वाले दिन

पिताजी घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गये थे और घटना वाली रात पिताजी साँखिनी में दष्ठौन में गये हों। मैंने दरोगा जी को यह बात बताई थी कि टोनी मेरी बहन की छाती दबा रहा था। दरोगा जी ने यह बात मेरे बयान में नहीं लिखी तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती हूँ।

71- मुझे जानकारी नहीं है कि इस घटना से पहले अभियुक्त टोनी के पिताजी मुन्नालाल ने मेरे पिताजी, ताऊ, भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हो और मेरे परिवारीजन डबरई पर कोई तारीख करने आते हों। मेरे घर पर बिजली कनेक्शन घटना से पहले पिता ख्याली राम के नाम से है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि यह मुकदमा इसलिए लिखाया गया हो कि टोनी के पिताजी ने मेरे भाई, पिताजी व ताऊ के खिलाफ मुकदमा लिखाया है।

72- पी०डब्लू०-7 विवेचक नरेन्द्र कुमार गौड़ ने वादी की तहरीर के आधार पर नामित अभियुक्तगण देवेन्द्र, हरिओम, नौवत और टोनी के विरुद्ध विवेचना करते हुए देवेन्द्र, हरिओम और नौवत की नामजदगी गलत पाई और अभियुक्त टोनी के विरुद्ध आरोपित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। विवेचक ने पर्चा नं०-12 ए में पीड़िता की बहन दीप्ति तथा पीड़िता (सी) के मजीद बयान अंकित किए तो पीड़िता ने बताया कि वह महिला थाने पर व कोर्ट में घबरा गयी थी और गलती से यह कह दिया था कि मेरे पिताजी घर पर नहीं थे और शादी में गये थे। विवेचक ने पीड़िता (सी) व उसकी बहन दीप्ति के मजीद बयान, धारा-164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता का बयान अंकित होने के उपरान्त किन परिस्थितियों में अंकित किए? यह विवेचक ने केस डायरी में उल्लिखित नहीं किया है। पीड़िता व दीप्ति ने तात्विक साक्ष्य को, घटना स्थल पर चश्मदीद साक्षी (वादी) की उपस्थिति को मजीद बयान के माध्यम से, परिवर्तित कर दिया है।

73- साक्षी ने जिरह में कहा कि विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ख्याली राम व उसके परिवारीजनों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या-48/2016, धारा-452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाने पर पंजीकृत था। विवेचक ने केस डायरी में पीड़िता व उसकी बहन दीप्ति के मजीद बयान, उनके पिता/वादी की उपस्थिति घटना स्थल पर होने के संबंध में अंकित किये, परन्तु पी०डब्लू०-3 ऊषा का मजीद बयान नहीं ले सके, इसी कारण जिरह के पृष्ठ सं०-4 की दूसरी पंक्ति में ऊषा ने कहा कि घटना के समय मेरे पति रिश्तेदारी में जलेसर गये थे। विवेचक ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि मेरे द्वारा क्रास मुकदमे में वादी पक्ष से मिलकर, दबाव बनाने के लिए झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

74- पी०डब्लू०-8 डा० मोहम्मद शाहिद ने पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 21-04-2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टूण्डला पर किया था। मेडीकल परीक्षण के दौरान पीडिता (सी) के शरीर पर चोट का निशान नहीं पाया गया था। साक्षी ने जिरह में कहा कि यह बात सही है कि पीडिता (सी) के शरीर पर कोई चोट व चोट का निशान नहीं पाया गया। पीडिता (सी) के कपड़े फटे थे या नहीं, यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेडीकल परीक्षण में कपड़ों का ब्यौरा अंकित नहीं किया जाता है।

75- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 02-06-2023 को अंकित किया गया, जिसके उपरान्त अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 श्रीमत गुड्डी देवी को परीक्षित कराया है।

76- डी०डब्लू०-1 गुड्डी देवी (टोनी की माँ) ने अपने सशपथ बयान में कहा कि दिनांक 21-03-2016 को 09:45 बजे ख्यालीराम ने अपने भाई रामेश्वर व पुत्र करुआ के साथ, मुन्नालाल व टोनी के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसके संबंध में टोनी के पिता मुन्ना लाल ने थाना पचोखरा में मुकदमा लिखाया था और उसी मुकदमे की रंजिश मानकर ख्यालीराम ने टोनी के विरुद्ध अपनी पुत्री को आगे करके छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा लिखा दिया है। बचाव साक्षी ने जिरह में कहा कि पीडिता (सी) के साथ कोई घटना नहीं हुई। ख्यालीराम व मुन्नालाल में लड़ाई की रंजिश चल रही है। इस मुकदमे में टोनी झूठा जेल गया था।

77- राम दयाल और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, 2019(2) जे०आई०सी० 656 (इला०) में कहा है कि केवल धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर सजा सम्भव नहीं है। यह सजा का एक मात्र आधार नहीं हो सकता, जबकि धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० के बयानों में पर्याप्त विरोधाभास है।

78- प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

79- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

80- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनो के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

81- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

82- उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियोजन ने तथ्य के चार साक्षी परीक्षित कराये हैं, जिनमें स्वयं वादी, उसकी पत्नी, पीड़िता पुत्री व अन्य पुत्री ने न्यायालय में सशपथ विरोधाभासी बयान दिये हैं। उपरोक्त साक्षियों के बयानों में घटना दिनांक 20/21-03-2016 अथवा 19/20-03-2016 की कही है। घटना के समय वादी की उपस्थिति संदिग्ध है, उसकी पत्नी ऊषा तथा पुत्री दीप्ति - सभी ने अभियुक्त टोनी को पीड़िता (सी) की छाती पकड़े हुए देखना और छेड़छाड़ करना तथा अभियुक्त टोनी को सभी ने मौके पर ही पकड़ना कहा है, परन्तु वादी ने सम्पूर्ण घटना के समय स्वयं उपस्थित होना तथा पीड़िता (सी) के बयान के अनुसार वादी घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था, वादी की पत्नी के बयान के अनुसार वह उसकी भाभी के पुत्र के दशौन में साँखिनी, जलेसर गये थे

और दीप्ती के बयान के अनुसार साँखिनी में कोई दष्ठौन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उसके पिताजी सोने के भाई दिनेश के पुत्र के दष्ठौन में उसके घर के सामने प्रोग्राम में गये थे। पीड़िता व दीप्ति ने अपने मजीद बयान में, अपने पूर्व बयानों से इतर गवाही देते हुए अपने पिता को घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद होना कहा है।

83- अभियोजन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था दाखिल की गयी हैं, वह सभी तुच्छ विरोधाभास, विसंगतियों, साक्षियों की साक्ष्य को महिमा मण्डित करके उनमें सुधार करने, साक्ष्य पर विश्वास करने, की बावत दी गयी हैं, जो प्रस्तुत मामले में ग्राह्य नहीं हैं, क्योंकि तथ्य के चारो साक्षियों की साक्ष्य में गम्भीर विसंगतियाँ, अनियमितता और साक्षियों ने साक्ष्य को महिमा मण्डित करके उसमें सुधार करके विरोधाभासी बयान दिये हैं। इसके विपरीत अभियुक्त द्वारा दाखिल **विधि व्यवस्था अरसद हुसैन बनाम राजस्थान राज्य, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत दिनांक 17-07-2013** के अनुसार - यदि घटना की उत्पत्ति और घटनाक्रम संदेहास्पद है तो अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। शेष साक्षीगण औपचारिक हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए अपने-अपने द्वारा तैयार किये गये प्रपत्रों को न्यायालय में आकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

84- अभियोजन को अपना **केस सिद्ध करने का भार** धारा-101 से 106 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं सिद्ध करना होगा। जैसा कि **मंगू सिंह बनाम धर्मेन्द्र, जे०आई०सी० 2016, पेज-631** में अवधारित किया गया है। यहाँ पर यह तथ्य उल्लिखित कर देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत प्रकरण पोक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित है, जिसमें अभियोजन को भी प्रथम दृष्टया अपना केस और यह भी साबित करना होता है कि घटना के दिनांक को बालक/बालिका, नाबालिग थी। अभियोजन कथानक और पीड़िता के नाबालिग/अवयस्क (18 वर्ष से आयु कम) साबित होने पर **सबूत का भार धारा-29, 30 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त पर अधिरोपित हो जाता है**, जैसा कि पोक्सो अधिनियम में उपबन्ध है।

85- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह **तर्क** लिया कि प्रस्तुत मामले में वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से, विधिक सलाह लेकर, पुलिस से साज करके दर्ज कराई है।

86- तहरीर प्रदर्श क-1 में वादी ख्याली राम ने घटना दिनांक 20/21-03-2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) थाना पचोखरा में दिनांक 03-04-2016 को दर्ज कराई है। वादी ने तहरीर लिखने वाले व्यक्ति पुष्पेन्द्र को परीक्षित नहीं कराया है। वादी के साथ

पुष्पेन्द्र व पदम सिंह थाने पर रिपोर्ट कराने जाना बताया है, परन्तु उनको भी साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है। वादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि इस घटना की रिपोर्ट मैंने लोक लाज के कारण, लगभग 13 दिन बाद दिनांक 03-04-2016 को 10:30 बजे लिखाई थी, जिसका समर्थन चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क-3 व जी०डी० कायमी प्रदर्श क-4 से भी होता है। वादी ने आगे कहा कि मुझे रिपोर्ट लिखाने से दो-चार आदमी - हरभजन सिंह, जवाहर सिंह और रिन्कू ने मना कर दिया था। ये व्यक्ति मेरे गाँव के हैं, इसलिए मैंने 13 दिन बाद रिपोर्ट लिखाई थी, परन्तु विवेचक ने हरभजन सिंह, जवाहर सिंह व रिन्कू को आरोप पत्र में साक्षी के रूप में नामित नहीं किया है और अभियोजन ने इन्हें साक्ष्य में भी परीक्षित नहीं कराया है। वादी के पास पीड़िता मौजूद थी और यह प्रकरण, पीड़िता के अपहरण का भी नहीं है कि उसने बरामदगी के उपरान्त अपने घर वालों को सम्पूर्ण घटनाक्रम बताया हो, जिसके आधार पर वादी ने विलम्ब को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी हो। थाने पर 13 दिन बाद विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वादी ने विलम्ब से, विधिक राय लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी है। अभियुक्त का उक्त तर्क सन्धार्य है।

87- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क लिया गया कि अभियुक्त के पिता मुन्नालाल ने वादी ख्याली राम व उसके पुत्र करुआ व भाई रामेश्वर के विरुद्ध रंजिशन इस घटना से पूर्व थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें ख्यालीराम, करुआ व रामेश्वर, ए०सी०जे० एम० न्यायालय से दिनांक 11-01-2023 को दोषसिद्ध किये जा चुके हैं।

88- वादी ने अपनी साक्ष्य में मुन्ना लाल, जो अभियुक्त टोनी का पिता है, के साथ अदालत में चल रहे मुकदमे और निस्तारण के संबंध में, न्यायालय में असत्य कथन कहते हुए अपने विरुद्ध मुकदमा चलना नहीं कहा है, परन्तु पीड़िता (सी) ने अपने बयान में स्वीकार किया कि मुन्ना लाल, अभियुक्त टोनी के पिता ने उसके पिता ख्याली राम व भाई करुआ तथा ताऊ रामेश्वर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जो मुकदमा अवर न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता की माँ ऊषा देवी एवं बहन दीप्ती ने उक्त मुकदमे की बावत जानकारी होने से इन्कार किया है।

89- अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू० -1 श्रीमती गुड्डी देवी को परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि दिनांक 21-03-2016 को 09:45 बजे ख्यालीराम ने अपने भाई रामेश्वर व पुत्र करुआ के साथ, मुन्नालाल व टोनी के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसके संबंध में टोनी के पिता मुन्ना लाल ने थाना पचोखरा में मुकदमा

लिखाया था और उसी मुकदमे की रंजिश मानकर ख्यालीराम ने टोनी के विरुद्ध अपनी पुत्री को आगे करके छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा लिखा दिया है। साक्षी ने जिरह में कहा कि पीड़िता (सी) के साथ कोई घटना नहीं हुई। ख्याली राम व मुन्नालाल की लड़ाई की रंजिश चल रही है। इस मुकदमे में टोनी झूठा जेल गया था। गाँव के ओम नारायण और दिनेश ने बताया था कि टोनी को झूठा फंसाया गया है, लेकिन पुलिस ने माना नहीं।

90- अभियुक्त टोनी ने सूची 48 ब से मु०अ०सं०-48/2016 की एफ०आई०आर०, मुन्नालाल और लक्ष्मीकांत की आहत आख्या, आरोप पत्र एवं न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद का आदेश एवं निर्णय दिनांक 11-01-2023 पत्रावलित है, जिसमें अभियुक्तगण ख्यालीराम, करुआ एवं रामेश्वर को अन्तर्गत धारा-323, 452, 506, 504 भा०दं०सं० में दोष सिद्ध किया गया है। बचाव में दाखिल उक्त प्रलेखीय साक्ष्य, वादी एवं अभियुक्त पक्ष के मध्य पुरानी रंजिश को समर्थित करती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का उक्त तर्क सन्धार्य है।

91- पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन पक्ष के वादी ख्यालीराम ने अपनी पुत्री/पीड़िता (सी) के साथ अभियुक्त टोनी द्वारा घर में घुस कर छेड़खानी करने की एफ०आई०आर० दर्ज कराई है। अभियोजन ने वादी, पीड़िता (सी), उसकी बहन छोटू उर्फ दीप्ती एवं माँ ऊषा को परीक्षित कराया है। तथ्य के चारो साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। शेष औपचारिक साक्षी हैड० कां० सोबरन सिंह ने मुकदमा कायमी की है और नरेन्द्र कुमार गौड़, विवेचक ने मामले की विवेचना की है। डा० मोहम्मद शाहिद ने पीड़िता (सी) की आयु निर्धारण की बावत एक्सरे किया है, ने अपने द्वारा निष्पादित किए गये प्रपत्रों को अपनी साक्ष्य से न्यायालय में आकर साबित किया है, परन्तु तथ्य के साक्षियों के बयानों से अभियोजन पक्ष, अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-452, 354(ए) भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत उपरोक्त अपराध में दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-452, 354(ए) भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामों एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 25

के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक: 14-08-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 14-08-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010085652017



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0002611/2017

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

सौरभ यादव पुत्र स्व० श्री दिनेश चन्द्र, निवासी गाँव नगला बल्लू, थाना
नगला सिंघी, जिला फिरोजाबाद। ----- अभियुक्त।

मु०अ०सं०-395/2017

धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं०,

धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम

थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

-: निर्णय :-

1- थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-395/2017 में अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क-9 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण नाबालिग पीड़िता के छेड़छाड़ से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214 एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित करने से निषेधित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (पी) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

पी०एस०टी० सं०-2611/2017, सरकार बनाम सौरभ यादव, मु०अ०सं०-395/2017, धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

3- टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार वादी प्रदीप कुमार, तहसील टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में राजस्व सेवक के पद पर कार्यरत है। वादी, नगला आम, थाना नगला सिंघी, तहसील टूण्डला, जिला फिरोजाबाद का रहने वाला है। वादी पहले गाँव में परिवार व बच्चों सहित रहता था तथा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने हेतु बनकट तक आता था। वादी अपने बच्चे, जिसमें एक पुत्री, उम्र करीब 15 वर्ष भी है, को छोड़ कर अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। सौरव यादव पुत्र स्व० श्री दिनेश चन्द्र, निवासी नगला बल्लू, थाना नगला सिंघी, तहसील टूण्डला, जिला फिरोजाबाद, वादी की पुत्री व पुत्र के पास आकर छेड़खान व परेशान करता चला आ रहा था, जिसके भय से वादी ने अपने बच्चों को तहसील परिसर में बने क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया। दिनांक 22/23-03-2017 को रात्रि में उक्त सौरव यादव व उसके साथ अन्य 2-3 लडके बाउण्ड्री फलांग कर पुत्री सहित बच्चों को पकड़ करने, छेड़छाड़ करने व जान से मारने के उद्देश्य से आये, जिसको देख कर बच्चों ने शोर मचाया, तो दीवार फांद कर अपनी गाडी से भाग गये।

4- वादी की तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में मु०अ०सं०-395/2017 पर धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त सौरव यादव व अज्ञात के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-6 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-7 में किया गया।

5- मामले की विवेचना सर्व प्रथम लौहरे सिंह पौनियां, एच.सी.पी. द्वारा की गयी। विवेचक ने दौरान विवेचना वादी मुकदमा, पीड़िता (पी) की माँ रीता यादव एवं घटना से संबंधित अन्य सभी गवाहों के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 बनाया। पीड़िता का बयान अंकित कर उसका मेडीकल तथा बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। पीड़िता का, श्रीमती लीलावती मेमोरियल इण्टर कालेज, सिकरारी, फिरोजाबाद से प्राप्त कक्षा-9 का अंकपत्र का अवलोकन कर केस डायरी में किता किया।

6- दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगन आदेश की नकल केस डायरी में की। इसके बाद विवेचना उप निरीक्षक मो० हसीन के सुपुर्द की गयी। द्वितीय विवेचक मोहम्मद हसीन, उ०नि० ने पूर्व विवेचक द्वारा किता केस डायरी का अवलोकन कर, अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध

अन्तर्गत धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र प्रदर्श क-9 न्यायालय प्रेषित किया।

7- अभियुक्त सौरभ यादव को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध दिनांक 30-10-2018 को अन्तर्गत धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

8- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	प्रदीप कुमार (वादी)	टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-2	पीडिता (पी)	पीडिता (पी) की कक्षा-9 की अंक तालिका प्रदर्श क-2 एवं बयान अं० धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-3
पी०डब्लू०-3	डा० नसीम अहमद	पीडिता (पी) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-4 व आयु निर्धारण प्रमाण पत्र प्रदर्श क-5 एवं एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1, 2, 3
पी०डब्लू०-4	श्रीमती रीतादेवी (माँ)	--
पी०डब्लू०-5	एच.सी. सोनेन्द्र कुमार	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-6 एवं जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-7
पी०डब्लू०-6	लौहरे सिंह पोनियां (प्रथम विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क-8
पी०डब्लू०-7	मोहम्मद हसीन, उ.नि. (द्वितीय विवेचक)	आरोप पत्र प्रदर्श क-9

9- पी०डब्लू०-1 वादी प्रदीप कुमार ने तहरीर का समर्थन करते हुए कहा कि दिनांक 22/23-03-2017 की रात्रि करीब 12:00-01:00 बजे सौरभ यादव, उसके साथ 2-3 लडके आये, तहसील की बाउण्ड्री फांदकर मेरे क्वार्टर के पास आये थे तो मेरी पुत्री ने देखा व शोर मचाया। शोर सुनकर मैं जागा तो बाउण्ड्री फांदकर व जान से मारने की धमकी देकर अपनी गाड़ी से भाग गये।

10- मैंने उसके ताऊ रमेश चन्द्र सिंह से शिकायत की तो उन्होंने कहा, वह नहीं मानता है। उसके बाद मैंने तहरीर टूण्डला चौराहा पर एक दुकान पर टाइप करायी थी। टाइप वाले ने मुझे पढ़कर सुनाई थी, तब मैंने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर किये थे। उस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। मैंने तहरीर जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को दी थी, तब उन्होंने एफ०आई०आर० दर्ज करने का आदेश किया था। उसके बाद मैंने तहरीर को ले जाकर थाने दिया था। गवाह ने अपने सशपथ बयान में टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है।

11- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (पी) ने कहा है कि मेरे पिताजी मुझे व मेरी बहन तथा छोटे भाई को मोटर साइकिल से बनकट स्कूल छोड़ने के लिए ले जाते थे, उसके बाद अपनी ड्यूटी चले जाते थे। मैं उस समय लीलावती इण्टर कालेज, सिकरारी, टूण्डला में पढ़ने जाती थी। उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष थी। सौरभ यादव, निवासी नगला वल्लू, थाना नगला सिंघी, फिरोजाबाद, को पहले से जानती थी, वो मेरा मोटर साइकिल से पीछा करता था तथा मेरा बैग छीन कर, हाथ पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी पर बैठने के लिए कहता था और धमकी देता था कि यदि मेरी मोटर साइकिल पर नहीं बैठेगी तो तेरे मम्मी, पापा को जान से मार दूंगा। फिर मेरे पापा ने हम लोगों को तहसील टूण्डला में सरकारी क्वार्टर में सिफ्ट कर दिया था।

12- दिनांक 22/23-03-2017 की रात्रि 09:00 बजे सौरभ यादव अपने साथ कुछ अन्य लोगों को लेकर बाउण्ड्री कूदकर घर में आ गया और मेरे साथ गलत नीयत से छेड़खानी करने लगा, मेरा हाथ पकड़ कर खींचने लगा, तभी मैंने शोर मचाया तो वो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। मैं, लीलावती मेमोरियल इण्टर कालेज, सिकरारी, टूण्डला, फिरोजाबाद में कक्षा-9 में पढ़ती थी, जब मेरी जन्मतिथि 28-06-2003 थी, जिसकी अंक तालिका की फोटो प्रति कागज संख्या-11 ब/10 पत्रावली पर उपलब्ध है।

13- पीड़िता (पी) ने कहा कि मेरा पुलिस ने घटना के संबंध में बयान लिया था और मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष मेरा बयान कराया था। साक्षी को बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० न्यायालय की अनुमति से खोल कर दिखाया व पढ़कर सुनाया तो साक्षी ने अपने फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त की और कहा कि ये बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। साक्षी ने अपने सशपथ बयान से लीलावती मेमोरियल इण्टर कालेज, सिकरारी, टूण्डला, फिरोजाबाद द्वारा जारी कक्षा-9 की अंक तालिका की फोटो प्रति प्रदर्श क -2 एवं बयान

अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-3 को साबित किया है।

14- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (पी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

हम लोग नगला आम गाँव में रहते थे। मेरे पिता मुझे, मेरी बहन तथा मेरे भाई को मोटर साइकिल से बनकट पर स्कूल छोड़ कर ड्यूटी पर चले जाते थे। सौरव यादव अपनी मोटर साइकिल से रोज मेरा पीछा करता था तथा मेरा बैग खींच कर मुझसे कहता था, मेरी गाड़ी पर बैठ। मेरे मना करने पर वह मुझे धमकी देता था कि तुम्हारे मम्मी-पापा को मार दूंगा। फिर मेरे पापा ने हमें तहसील में बने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया। सौरव तथा उसके कुछ मित्र घटना के दिन रात में 09:00 बजे बाउण्ड्री फांदकर आये। मैंने शोर किया तो बाउण्ड्री कूंदकर भाग गये। वहाँ के रहने वालों ने उन्हें दौड़ाया था।

15- पी०डब्लू०-3 डा० नसीम अहमद ने कहा कि दिनांक 01-06-2017 को मैं सीनियर कंस्लटेक्ट रेडियोलॉजिस्ट के पद पर जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में तैनात था। उक्त दिनांक को मैंने पीड़िता (पी) पुत्री प्रदीप कुमार यादव की एकसरे रिपोर्ट तैयार की थी। जिसको सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा भेजा गया था। एकसरे एल्बो एवं एकसरे घुटने की दोनों एपीफाइसिस जुड़ी हुई थीं। एकसरे कलाई, एकसरे कुल्हे की हड्डी, एकसरे हसली की हड्डी - इन तीनों की एपीफाइसिस जुड़ी हुई नहीं थीं। एकसरे रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में लिखी गयी है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। एकसरे रिपोर्ट पर पीड़िता की अंगूठा निशानी मेरे द्वारा प्रमाणित है।

16- साक्षी ने आगे कहा है कि उसी दिन सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद की अध्यक्षता वाले बोर्ड में, मैं भी सदस्य था। आयु प्रमाणपत्र पर पीड़िता की एकसरे रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। बोर्ड द्वारा पीड़िता की उम्र लगभग 15 वर्ष निर्धारित की गयी है। आयु निर्धारण प्रमाणपत्र पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने पीड़िता (पी) की एकसरे रिपोर्ट प्रदर्श क-4 व आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-5 एवं एकसरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1, 2, 3 को साबित किया है।

17- पी०डब्लू०-4 श्रीमती रीता देवी ने कहा है कि घटना दिनांक 22/23-03-2017, रात्रि करीब 11-12 बजे की है। मैं घटना के समय सरकारी क्वार्टर, तहसील टूण्डला में रहती थी। मेरे पति

तहसील टूण्डला में ड्यूटी करते थे। मेरे पति - मुस्कान, पीड़िता (पी) और शिवम को बनकट तक स्कूल के लिए छोड़ने जाते थे। स्कूल जाते समय पीड़िता (पी) मेरी पुत्री को सौरभ यादव छोड़ता था। पीड़िता (पी) की उम्र उस समय 15 वर्ष थी। सौरभ, पीड़िता (पी) का हाथ पकड़ कर अपनी मोटर साइकिल पर बैठ जाने की कहता था और पीड़िता (पी) के बैग की छीना छपटी करता था।

18- पीड़िता (पी) ने छेड़खानी वाली बात मुझे व मेरे पति को 2-3 बार बताई थी। मेरे पति प्रदीप, सौरभ के द्वारा छेड़खानी करने की शिकायत करने सौरभ के ताऊ के घर 2-3 बार टूण्डला गये थे। सौरभ के घर शिकायत करने का कोई असर नहीं हुआ, तब हम लोग नीचे वाले क्वार्टर को छोड़कर ऊपर वाले क्वार्टर में चले गये।

19- घटना जब हुई थी, तब मैं व मेरे पति बाहर कमरे में थे, मेरे बच्चे मुस्कान, शिवम और पीड़िता (पी) दूसरे कमरे में थे। काँच की खिड़की पर सौरभ ने कोई चीज फेंकी थी, तब आवाज होने पर बच्चे जाग गये थे। सौरभ और उसके साथी बाउण्ड्री फांद कर, पीड़िता (पी) को पकड़ने या हम लोगों को मारने के लिए क्वार्टर पर आये थे। मेरे परिवार वाले चीखे चिल्लाये थे। शोर मचाने पर सौरभ बाउण्ड्री फांद कर अपने साथियों सहित भाग गया था। मैंने और मेरे पति ने सौरभ और उसके साथियों का पीछा किया और शिकायत करने गये।

20- पी०डब्लू०-5 एच०सी० सोनेन्द्र कुमार ने कहा है कि दिनांक 01-05-2017 को मैं थाना टूण्डला पर बतौर सी०सी०टी० एन०एस, सी०सी० के पद पर, रात्रि 08:00 बजे से सुबह 08:00 बजे तक तैनात था। उस दिन एस०एच०ओ० महोदय के डाक पैड से एक किता प्रार्थनापत्र व संलग्नशुदा आदेश पत्रांक सी०ओ०टी०-25 (1GRS)/2017, जिस पर आदेश, तत्कालीन एस०एच०ओ० द्वारा - एच०एम० कृपया अभियोग दर्ज करें।

21- उक्त प्रार्थनापत्र व एस०एच०ओ० साहब के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या-395/2017, धारा-457, 354, 506 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम सौरभ यादव पुत्र दिनेश चन्द्र, निवासी नगला बल्लू, थाना नगला सिंघी, जिला फिरोजाबाद व 2-3 नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया।

22- चिक एफ०आई०आर० मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप की गई थी, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर थाना की मुहर लगी है तथा एस०एस०आई० जगन्नाथ के हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ। उक्त मुकदमा का खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० संख्या-50, समय

20:45 बजे, दिनांक 01-05-2017 को किया गया था। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शक -6 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्शक-7 को साबित किया है।

23- पी०डब्लू०-6 लौहरे सिंह पोनियां, से०नि० उ०नि० ने कहा कि दिनांक 01-05-2017 को मैं थाना टूण्डला पर बतौर एच०सी०पी० के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को थाना टूण्डला पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-395/2017, धारा-457, 354, 506 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम सौरभ यादव आदि की विवेचना मुझको सुपुर्द की गयी। मैंने विवेचना ग्रहण कर मामले से संबंधित प्रपत्रों का उल्लेख केस डायरी में किया।

24- वादी प्रदीप कुमार, पीड़िता की माँ रीता यादव एवं घटना से संबंधित अन्य सभी साक्षीगण के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा नजरी तैयार किया, जो पत्रावली पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पीड़िता (पी) का बयान अंकित कर उसका मेडीकल तथा बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। श्रीमती लीलावती मेमोरियल इण्टर कालेज से प्राप्त पीड़िता का कक्षा-9 का अंकपत्र का अवलोकन कर केस डायरी में उसकी नकल की।

25- अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। दौरान विवेचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का अभियुक्त की गिरफ्तारी स्थगन आदेश प्राप्त हुआ, जिसकी नकल केस डायरी में की। अभियुक्त का बयान अंकित किया। इसके बाद विवेचना उप निरीक्षक मो० हमीद के सुपुर्द की गयी। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में नक्शा नजरी प्रदर्शक-8 को साबित किया है।

26- पी०डब्लू० 7 उ०नि० मोहम्मद हसीन ने कहा है कि दिनांक 31-08-2017 को मैं, थाना टूण्डला में बतौर उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन थाना कार्यालय से मुकदमा अपराध संख्या-395/2017, धारा-457, 354, 506 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम सौरभ यादव व अन्य की विवेचना का आदेश एस०एच०ओ० महोदय का प्राप्त हुआ। पर्चा नं०-14 में आदेश की नकल व पूर्व विवेचक श्री लौहरे सिंह पोनिया द्वारा किता की गयी केस डायरी का अवलोकन किया। अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध धारा-457, 354, 506 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली पर दाखिल है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने

अपने सशपथ बयान में आरोप पत्र प्रदर्श क-9 को साबित किया है।

27- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

28- अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 15-09-2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया और कहा कि वादी प्रदीप कुमार द्वारा रंजिशन गलत गवाही दी है। पीड़िता (पी) ने अपने पिता के कहने पर झूठी गवाही दी है, क्योंकि मेरे पिता से वादी के पिता के मध्य रंजिश है। डाक्टर नसीम ने फर्जी मेडीकल रिपोर्ट तैयार की है। श्रीमती रीता देवी ने अपने पति के कहने पर रंजिशन झूठी गवाही दी है।

29- हैड कां० सोनेन्द्र ने जिलाधिकारी, फिरोजाबाद का आदेश होने के कारण झूठी रिपोर्ट लिखी है। विवेचक लौहरे सिंह पोनिया ने दोषपूर्ण विवेचना की है और स्वतंत्र साक्षी का कोई बयान नहीं लिया। सभी साक्षी हितबद्ध हैं। द्वितीय विवेचक मो० हसीन ने भी दोषपूर्ण विवेचना करके, पूर्व विवेचना के आधार पर गलत आरोप पत्र दाखिल किया है। मेरे विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चला है।

30- विशेष कथन में अभियुक्त ने कहा कि मेरे पिताजी ने वादी के खेत का सौदा किया था। ब्याना लेकर खेत का सौदा नहीं किया। पंचायत के बाद कहा सुनी होने पर बाद में बैनामा किया है। अभियुक्त का खेत, वादी के घर के बगल है, इसी कारण वादी के जानवर अभियुक्त के खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरी चक्की पर वादी का आटा पिसता था। पिसाई के पैसे की उधारी मांगने पर, पैसे ना देने पड़े, झगड़ा किया व झूठा मुकदमा कर दिया।

31- अभियुक्त द्वारा अपने बयान में सफाई साक्ष्य देने कहा तथा सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू० -1 धर्मेन्द्र सिंह यादव एवं डी० डब्लू०-2 मनोज कुमार को परीक्षित कराया है।

32- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान एवं वादी के निजी अधिवक्ता श्री आरिफ खान, एडवोकेट तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश यादव, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

33- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

34- धारा-457 भारतीय दण्ड संहिता - कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन- जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जर्मन से भी

दण्डनीय होगा तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी।

35- धारा-354 भारतीय दण्ड संहिता - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

36- धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता - आपराधिक अभिन्नास के लिए दण्ड - जो कोई आपराधिक अभिन्नास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

37- धारा-7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - लैंगिक हमला - जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

38- धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - लैंगिक हमले के लिए दंड - जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-: निष्कर्ष :-

39- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

40- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सौरभ यादव की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के दृष्टिगत किया जाना है।

41- प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के

दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

42- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

43- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनो के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

44- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं और उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त अपनी साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

45- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी प्रदीप कुमार की तहरीर पर विवेचक एल०एस० पौनिया द्वारा केस डायरी के पर्चा सं०-1 लगायत 13 किता किये गये। उसके उपरान्त विवेचना मोहम्मद हसीन, उ०नि० को दी गयी, जिन्होंने केस डायरी के अन्तिम पर्चा सं०-14 से विवेचना पूर्ण करते हुए अभियुक्त सौरभ यादव के

विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट, न्यायालय प्रेषित किया।

-: आयु निर्धारण :-

46- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम - 2000 की धारा-2(घ) में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

47- विधि व्यवस्था जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 263, गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631, ईरा द्वारा मंजुला कृपेन्दडोर्फ बनाम राज्य (दिल्ली एन०सी०टी० सरकार) और अन्य, 2017 (15) एस०सी०सी० 13, चमन खाँ बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, मनु/उ०प्र०/2952/2019, के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बालक (नर/मादा) की आयु का निर्धारण घटना के समय प्रचलित पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

48- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम-2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

49- पी०डब्लू०-1 वादी प्रदीप कुमार ने तहरीर प्रदर्श क-1 में घटना दिनांक 22/23-03-2017 में पुत्री/पीड़िता (पी) का नाम उल्लिखित नहीं किया है। तहरीर प्रभारी निरीक्षक, थाना टूण्डला को संबोधित करते हुए प्रतिलिपि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद, उप जिलाधिकारी, टूण्डला एवं क्षेत्राधिकारी, टूण्डला को प्रेषित की गयी है। उक्त तहरीर में घटना किसके साथ हुई, उसका नाम

वादी ने अंकित नहीं किया है, जबकि उसके दो पुत्रियाँ हैं। उक्त प्रार्थनापत्र थाना टूण्डला में रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु दिनांक 01-05-2017 को प्राप्त कराया है। तहरीर एवं न्यायालय में दिये बयान में पीड़िता (पी) की उम्र 15 वर्ष अंकित कराई है। जिरह में अभियुक्त ने पीड़िता (पी) की आयु के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया है।

50- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (पी) ने बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये बयान में अपनी उम्र 15 वर्ष बताई है और घटना के समय लीलावती इण्टर कालेज, सिकरारी, टूण्डला में पढ़ना कहा है। मेरी जन्मतिथि 28 जून, 2003 थी, जिसकी अंकतालिका कक्षा-9 को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है।

51- पीड़िता (पी) ने जिरह में कहा कि मेरी जन्मतिथि 28 जुलाई, 2003 है। इस समय मैं, बी०ए० द्वितीय वर्ष, एस०आर०डी० एजुकेशन, उसायनी, फिरोजाबाद में पढ़ रही हूँ।

52- पी०डब्लू०-2 डा० नसीम अहमद, रेडियोलॉजिस्ट ने पीड़िता (पी) का आयु निर्धारण की बावत् एक्सरे किया। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-4 एवं एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1, 2, 3 में एक्सरे एल्बो, एक्सरे घुटने की एपीफाइसिस जुड़ी हुई पाई और एक्सरे कलाई, एक्सरे कूल्हे की हड्डी और एक्सरे हसली की हड्डियां जुड़ी हुई नहीं पाई। साक्षी ने सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद की अध्यक्षता वाले बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदर्श क-5 में पीड़िता (पी) की उम्र लगभग 15 वर्ष निर्धारित की गयी है।

53- साक्षी ने जिरह में कहा कि एक्सरे रिपोर्ट पर पीड़िता का फोटो नहीं लगाया जाता, आयु निर्धारण प्रमाणपत्र पर फोटो लगाया जाता है। मुझे ध्यान नहीं है कि पीड़िता (पी) का एक्सरे कराने से पूर्व पीड़िता (पी) की शिनाख्त के संबंध में विवेचक द्वारा सी०एम०ओ० को रैफर स्लिप के अलावा कोई अन्य पहचान-पत्र दिया हो। सी०एम०ओ० को जारी रैफर स्लिप पर पीड़िता (पी) का फोटो लगा था।

54- पी०डब्लू०-4 श्रीमती रीता देवी, पीड़िता (पी) की माँ ने घटना के समय अपनी पुत्री/पीड़िता (पी) की उम्र 15 वर्ष बताई है। जिरह के पृष्ठ सं०-5 के अन्तिम पैरा में कहा कि घटना के समय मेरी बेटा/पीड़िता (पी) की उम्र 15 वर्ष, मुस्कान की उम्र 9 वर्ष और शिवम की उम्र 6 वर्ष थी।

55- पी०डब्लू०-6 विवेचक लोहरे सिंह पौनिया ने केस डायरी के पर्चा सं-8 में पीड़िता (पी) के स्कूल, श्रीमती लीला देवी मैमोरियल इण्टर कालेज से प्राप्त अंकपत्र कक्षा-9 प्रदर्श क-2 का अवलोकन

किया, जिसमें पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 28-06-2003 अंकित है। साक्षी से पीड़िता (पी) की आयु और जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया है।

56- अभियुक्त सौरभ ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में वादी, पीड़िता (पी) एवं रीता द्वारा पीड़िता (पी) की उम्र 15 वर्ष एवं घटना होना गलत कहा है। डा० नसीम अहमद द्वारा फर्जी मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना कहा है। रीता देवी ने पति के कहने पर झूठी गवाही दी है।

57- अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 धर्मेन्द्र सिंह यादव एवं डी०डब्लू०-2 मनोज कुमार को परीक्षित कराया है। उभय सफाई साक्षियों ने पीड़िता (पी) की आयु अथवा जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

58- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू है जिसके अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

59 - आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

60- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता (पी) की आयु का

निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा।

61- विवेचक ने पीड़िता (पी) की कक्षा-9 का अंकपत्र प्रदर्शक-2 दाखिल किया है, जिसमें पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 28-06-2003 अंकित है, को विवेचक या विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा किसी कर्मचारी ने प्रमाणित नहीं किया है, के अतिरिक्त अन्य कोई शिक्षा संबंधी प्रपत्र दाखिल नहीं किया है।

62- पत्रावली पर दाखिल प्रदर्शक-2 श्रीमती लीलावती मेमोरियल इण्टर कालेज, सिकरारी, टूण्डला, फिरोजाबाद द्वारा जारी कक्षा-9 का अंक पत्र 2017 है, जिसमें पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 28-06-2003 के अनुसार पीड़िता (पी) घटना दिनांक 22-03-2017 को 13 वर्ष, 08 माह, 25 दिन की नाबालिग थी, जिसके खण्डन में अभियुक्त सौरभ ने पत्रावली में कोई शैक्षिक अभिलेख दाखिल नहीं किया है और ना ही किसी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराया, जिससे अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न हो सके।

63- वादी प्रदीप कुमार ने तहरीर में पुत्री/पीड़िता (पी), जिसके साथ तथाकथित घटना हुई है, के नाम का उल्लेख नहीं किया है। वादी और उसकी पत्नी रीता ने अपनी पुत्री की उम्र 15 वर्ष बताई है, जबकि उसकी दो पुत्रियाँ हैं। पीड़िता (पी) ने घटना के समय अपनी उम्र 15 वर्ष बताई और मुख्य परीक्षा में जन्मतिथि 28-06-2003 एवं जिरह में जन्मतिथि 28-07-2003 बताई है, जबकि पीड़िता (पी) न्यायालय में बयान देते समय बी०ए० द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसके द्वारा भिन्न-भिन्न जन्मतिथि बताना अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

64- डा० नसीम अहमद ने चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्शक-5 में पीड़िता (पी) की उम्र 15 वर्ष के लगभग बताई है। तथ्य के तीनों साक्षियों अनुसार पीड़िता (पी) की उम्र 15 वर्ष थी, जबकि शैक्षिक प्रपत्रों के अनुसार उसकी उम्र 13 वर्ष, 08 माह, 25 दिन होती है। तथ्य के साक्षियों एवं औपचारिक साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। शैक्षिक अंक पत्र व मौखिक साक्ष्य में विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं करता है, परन्तु यह तथ्य स्थापित है कि पीड़िता (पी) घटना के समय नाबालिग थी।

65- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार चिकित्सीय प्रपत्रों में आगणित आयु में दो वर्ष का अन्तराल हो सकता है। शैक्षिक प्रपत्रों में वर्णित

आयु/जन्मतिथि चिकित्सीय प्रपत्र पर अधिभावी प्रभाव रखती है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत मामले में पीड़िता (पी) की आयु 13 वर्ष, 08 माह, 25 दिन शैक्षिक प्रपत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है।

-: आरोपित अपराध का विवेचन :-

66- वादी प्रदीप ने तहरीर प्रदर्श क-1 में कहा कि वह तहसील टूण्डला में राजस्व सेवक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी पहले अपने परिवार सहित नगला आम, थाना नगला सिंघी, टूण्डला में रहता था। अपने गाँव से बच्चों, जिसमें पुत्री/पीड़िता (पी) भी शामिल है, को स्कूल छोड़ने के लिए बनकट तक आता था और उसके बाद अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। सौरभ, प्रार्थी की पुत्री व पुत्र के पास आकर छेड़खानी व परेशान करता चला आ रहा था, जिसके भय से प्रार्थी ने अपने बच्चों को तहसील क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया, परन्तु वादी ने इसकी शिकायत किसी थाने में दर्ज नहीं कराई।

67- दिनांक 22/23-03-2017 की रात सौरभ दो-तीन अन्य साथियों के साथ बाउण्ड्री फलांग कर क्वार्टर के पास, पुत्री सहित बच्चों को पकड़ करने एवं छेड़छाड़ करने व जान से मारने के उद्देश्य से आया। बच्चों ने उसे देखकर शोर मचाया तो दीवार फांद कर वह अपनी गाड़ी से भाग गये। सौरभ काफी गुण्डा व बदमाश सरकस किस्म का व्यक्ति है, प्रार्थी के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकता है। वादी ने सौरभ का कोई आपराधिक इतिहास संबंधी एफ०आई०आर०, आदेश और निर्णय पत्रावली में दाखिल नहीं किया है। अभियुक्त सौरभ के कथनानुसार उसका वादी पक्ष से कभी कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ।

68- सौरभ पर आरोप है कि वह पीड़िता (पी) को बाइक/गाड़ी पर बैठाकर घुमाने की कहता है और किसी बच्चे मुस्कान और शुभम को कभी नहीं छेड़ा और न सताया, जिसे वादी, रीता और पीड़िता (पी) ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। दोनों पक्ष एक ही गाँव के हैं, जिसमें सौरभ की आटा चक्की व ट्यूबवैल तथा सौरभ के ताऊ का, निहाल सिंह डिग्री कालेज तथा सौरभ के पिता दिनेश चन्द्र को वादी पक्ष ने अपने खेत का बैनामा किया जाना स्वीकार है।

69- पी०डब्लू०-1 वादी प्रदीप ने तहरीर प्रदर्श क-1 का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने गाँव से बच्चों को बनकट तक मोटर साइकिल से छोड़ता था, उसके बाद बच्चे स्कूल टूण्डला ऑटो से जाते थे। विवेचक ने ऑटो वाले, लोक एवं स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित

नहीं किया और ना ही उनको आरोप पत्र में गवाह बनाया है। वादी ने कहा कि दिनांक 22/23-03-2017 की रात्रि 12:00-01:00 बजे सौरभ अपने दो-तीन साथियों को लेकर, तहसील की बाउण्ड्री फलांग कर मेरे क्वार्टर के पास आया तो पीड़िता (पी) ने देखकर शोर मचाया। शोर सुनकर जागा, तो वह बाउण्ड्री लांघ कर अपनी गाड़ी से भाग गये। वह घर की खिड़की के पास खड़ा था और जान से मारने की धमकी दी थी, जबकि वादी ने अपने बयान में कहा कि जब वह पीड़िता (पी) का शोर सुनकर जागे तो सौरभ भाग गया था, तो फिर उन्होंने काँच की खिड़की के पास सौरभ को कैसे खड़ा देखा, यह अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया है।

70- वादी ने कहा कि तहरीर प्रदर्श क-1 टूण्डला चौराहे पर एक दुकान पर टाइप कराई और हस्ताक्षर करके जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को दे दी, तब उन्होंने एफ०आई० आर० दर्ज करने का आदेश किया था। उसके बाद मैंने तहरीर को ले जाकर थाने दिया, परन्तु अपने बयान में कहा कि मैंने डी०एम० साहब के अलावा रजिस्ट्री से अपनी रिपोर्ट एस०एस०पी०, फिरोजाबाद व सी०ओ० टूण्डला को भेजी थी।

71- वादी ने जिरह में कहा कि मेरे ता ऊ रामसनेही ने अभियुक्त सौरभ के पिता दिनेश चन्द्र को अपने खेत का बैनामा किया था। अभियुक्त के पिता, ताऊ रमेश चन्द्र, चाचा स्वदेश का खेत मेरे गाँव के पास ही है। मेरे गाँव में अभियुक्त के खेत पर ट्यूबवैल लगा हुआ है।

72- रिपोर्ट करने से कितने दिन पहले अभियुक्त द्वारा मेरे बच्चों को परेशान व छेड़छाड़ करने वाली बात किस तारीख, महीना या कितने दिन पूर्व बताई थी, मुझे ध्यान नहीं है। सौरभ मेरी पुत्री पीड़िता (पी) से छेड़छाड़ करता था। दूसरी पुत्री व पुत्र से उसने कोई छेड़छाड़ व परेशान नहीं किया। मैंने तहरीर में पुत्री व पुत्र के साथ छेड़छाड़, परेशान करता चला आ रहा था, गलत लिखा है।

73- अभियुक्त ने एक बार बैग भी छीना था और गाड़ी में बैठने के लिए कहा था। उसने कहा कि माता-पिता को बताया तो जान से मार दूंगा। अब मुझे व मेरे परिवार को कोई भी भय नहीं है। फिर कहा कि अभी भी मुझे और मेरे बच्चों को डर है। उसी डर की वजह से मैं परिवार सहित तहसील टूण्डला के क्वार्टर में शिफ्ट हुआ था और आज मैं गाँव में सपरिवार रह रहा हूँ। तहसील टूण्डला का सरकारी क्वार्टर मैंने स्वयं अपनी मर्जी से छोड़ा था और स्वयं अभियुक्त सौरभ के गाँव/घर के पास गाँव में चला गया।

74- तहसील टूण्डला के क्वार्टर पर सौरभ दिनांक 22/23-03-2017 को रात में करीब 12:00 बजे दो लोगों के साथ आया था। एक गाड़ी में होगा, मैंने देखा नहीं था, अन्दाज से बता रहा हूँ। कौन सी गाड़ी थी, मुझे पता नहीं। यह सही है कि तहरीर में मैंने सौरभ के साथ दो साथियों को देखने वाली बात और तहरीर में रात 12:00 बजे का समय भी नहीं लिखा है।

75- अभियुक्त मेरे सरकारी क्वार्टर में मेरी पुत्री के पास घर के अन्दर नहीं आया। बाहर बाउण्ड्री फांद कर खिड़की के पास आया था। बच्ची ने शोर मचाया। मेरी बेटी ने मुझे यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने मुझे आवाज देकर जगाया था या किसी प्रकार की आवाज दी, बल्कि शोर मचाने वाली बात बताई थी। मैंने जाग कर अभियुक्त व उसके साथियों को स्वयं देखा व उनका पीछा मन्दिर तक किया था।

76- मैंने एफ०आई०आर० करीब 24 व 25 को टाइप कराई थी। तहरीर टाइप कराकर थाने गया था, डी०एम० साहब के पास नहीं गया था, जबकि थाने में तहरीर दिनांक 01-05-2017 को घटना के लगभग सवा महीने बाद, सोच समझकर, विधिक राय लेकर क्यों दी, इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण वादी ने अपने बयान में नहीं दिया है। उक्त तहरीर में वादी ने दोनों पुत्रियों में से पीड़ित पुत्री का नाम क्यों अंकित नहीं किया, जिसके साथ यह तथाकथित घटना घटित हुई थी। तहरीर वादी व अभियोजन कथानक संदेहजनक है।

77- वादी ने इस घटना से पूर्व एक घटना नगला सिंघी में होना कहा है, परन्तु वादी से थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए किसी थाने में मना नहीं किया था, फिर भी थाने रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्योंकि वह रिपोर्ट दर्ज कराने की हैसियत जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के माध्यम से रखता था। इसीलिए सवा महीने बाद रिपोर्ट दर्ज कराई और तहरीर में रात को पीड़िता/पुत्री का नाम स्पष्ट अंकित नहीं किया और छेड़छाड़ व शरीर छूने वाली बात नहीं लिखवाई थी।

78- थाने से लौटने के 4-6 दिन बाद डी०एम० साहब के पास गया, कहा कि तारीख मुझे याद नहीं है। डी०एम० साहब ने मेरी तहरीर पर मुकदमा लिखने का आदेश करके तहरीर मुझे दे दी थी। डी०एम० साहब के अलावा मैंने रजिस्ट्री से अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक व सी०ओ० टूण्डला को भेजी थी। वादी ने तहरीर थानाध्यक्ष टूण्डला को संबोधित की थी, परन्तु तहरीर पुलिस अधीक्षक को न देकर सीधे जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से आदेश कराया और जिलाधिकारी, फिरोजाबाद ने अपवादिक परिस्थिति में आदेश दिनांक 27-04-2017

से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को आदेशित न करके, सीधे संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया। वादी ने जिलाधिकारी के आदेश का सम्मान न करते हुए उसे सवा महीने तक आराम से अपने पास रखे रहा और फिर अचानक दिनांक 01-05-2017 को थाना टूण्डला में दिया। वादी प्रदीप का उक्त आचरण अविश्वसनीय है।

79- मेरी तहरीर व दरोगा जी को दिये बयान में अभियुक्त व उसके साथियों को मेरे द्वारा स्वयं भागते हुए देखने वाली बात नहीं लिखी है, जबकि न्यायालय में दिये बयान में अभियुक्तों को बाउण्ड्री फांद कर भागना और उनका मन्दिर तक पीछा करना कहा है। वादी के उभय कथन अविश्वसनीय है।

80- मेरी जानकारी में अभियुक्त के विरुद्ध कोई मुकदमा है अथवा नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मेरा व अभियुक्त का गाँव पास-पास है। मुझे नहीं मालूम कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई गुण्डा एक्ट का मुकदमा चला है या नहीं? वादी ने सौरभ के विरुद्ध कोई गुण्डा एक्ट अथवा अन्य कोई मुकदमा पूर्व में चलने या लम्बित रहने की बावत कोई अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली में दाखिल नहीं की है। वादी कथन विरोधाभासी है।

81- मेरी बेटी के साथ अभियुक्त ने केवल बैग छीना था, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। फिर खुद कहा कि छेड़छाड़ की थी, मेरी बेटी का पीछे से सूट व दुपट्टा खींचा था। मेरी बेटी के छाती व मुंह पर कहीं हाथ नहीं डाला, ना मुझे मेरी बेटी ने बताया। पीड़िता (पी) ने कहा कि सौरभ ने मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, केवल बैग छीना था। यह बैग कब छीना था, वह समय, तारीख, माह और वर्ष नहीं बताया। पीड़िता (पी) ने यह भी नहीं कहा कि सौरभ ने पीछे से आकर उसका सूट या दुपट्टा खींचा हो और वादी ने स्वयं माना कि सौरभ ने उसकी पुत्री की छाती व मुंह पर कभी हाथ नहीं डाला है। उभय साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

82- वादी ने अभियुक्त के इस सुझाव से इन्कार किया कि मैंने अभियुक्त के पिता से खेत का सौदा होने पर, मैंने रूपये लेकर बैनामा न किया हो और मेरे ताऊ के द्वारा बैनामा कर दिया हो, मेरे द्वारा बाद में, पंचायत के बाद बैनामा किया हो, जबकि वादी प्रदीप ने अभियुक्त सौरभ के पिता दिनेश चन्द्र के हक में प्रथम बैनामा निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है।

83- इस सुझाव से भी इन्कार किया कि पुलिस ने मेरी गलत रिपोर्ट न लिखने पर मैंने राजस्व सेवक पद का लाभ लेकर डी०एम० से आदेश कराकर अभियुक्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई हो।

84- वादी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि मेरे जानवर अभियुक्त के खेतों में नुकसान करते हों और अभियुक्त ने अपने ट्यूबवैल से पानी भरने के लिए मना किया व आटा चक्की के पैसे मांगे, न देने पर कहा सुनी हुई हो, इस वजह से यह झूठा मुकदमा कर दिया और आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।

85- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (पी) ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा कि सौरभ अपनी मोटर साइकिल से रोज मेरा पीछा करता था, जिसका समर्थन वादी और उसकी पत्नी रीता ने नहीं किया है। पीड़िता (पी) ने आगे कहा कि मेरा बैग खींच कर मुझसे कहता था, गाड़ी पर बैठ। मेरे मना करने पर वह मम्मी-पापा को जान से मारने की धमकी देता था। सौरभ और उसके कुछ मित्र घटना की रात में 09:00 बजे बाउण्ड्री फांद कर आये थे। शोर किया तो बाउण्ड्री कूदकर भाग गये। वहाँ के रहने वालों ने उन्हें दौड़ाया था। पीड़िता (पी) ने उनका नाम नहीं बताया है।

86- न्यायालय में दिये बयान में, धारा-164 दं०प्र०सं० का समर्थन करते हुए कहा कि मेरी मोटर साइकिल पर नहीं बैठेगी तो तेरे मम्मी-पापा को जान से मार दूंगा। फिर मेरे पापा ने हम लोगों को तहसील टूण्डला के सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया था।

87- दिनांक 22/23-03-2017 की रात 09:00 बजे सौरभ कुछ अन्य लोगों के साथ बाउण्ड्री कूदकर घर में आ गया और मेरे साथ गलत नीयत से छेड़खानी करने लगा और मेरा हाथ पकड़ कर खींचने लगा, जबकि वादी ने अपने बयान में कहा कि सौरभ घर के अन्दर नहीं गया था, खिड़की के पास आया था, जिसका समर्थन रीता ने अपने बयान से किया है।

88- पीड़िता (पी) ने जिरह में कहा कि मेरे पिताजी तहसील टूण्डला में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नौकरी करते हैं। हमें गाँव में रहते हुए तीन साल हो गये। मार्च, 2017 में मेरे साथ घटना हुई थी, जून 2017 में मय परिवार हम गाँव नगला आम पहुच गये थे।

89- मेरा गाँव और सौरभ का गाँव पास-पास ही है। बीच में बम्बा है। इस कथन का समर्थन विवेचक एवं सफाई साक्षियों ने भी किया है। मुझे नहीं पता कि अभियुक्त का, उसके ताऊ और चाचा का खेत मेरे गाँव में है। मुझे नहीं पता कि अभियुक्त का ट्यूबवैल व आटा चक्की मेरे ही गाँव में है। मुझे पता है कि अभियुक्त के ताऊ का डिग्री कालेज चौधरी निहाल सिंह के नाम से मेरे ही गाँव में है। पीड़िता (पी) भी उसी गाँव में रहती है और उसे यह न मालूम हो कि सौरभ की उसी गाँव में आटा

चक्की व ट्यूबवैल हो। यह कथन अविश्वसनीय है।

90- पीड़िता (पी) ने कहा कि मेरे पिताजी व मेरे बाबा रामसनेही के लड़के जानवर/भैंस रखते थे, जबकि वादी ने कहा कि वह जानवर/भैंस नहीं रखता है। अभियुक्त सौरभ मेरा व मेरी बहन व भाई का पीछे बनकट से तहसील तक करता था। सौरभ कभी बाइक से, कभी चार पहिया से ऑटो का पीछा करता था, जबकि वादी ने कहा कि सौरभ मेरी पुत्री मुस्कान व पुत्र शुभम का पीछा नहीं करता था और ना ही उनसे छेड़छाड़ की। पीड़िता (पी) ने कहा कि मेरे पिता ने तहरीर/रिपोर्ट में " प्रार्थी की पुत्री व पुत्र के पास आकर छेड़छाड़ व परेशान करता चला आ रहा था।" यह बात सही लिखी है। उभय साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है।

91- पीड़िता (पी) ने कहा कि उस ऑटो में हमारे अलावा और भी सवारियाँ होती थीं। मेरा भाई अतीव तहसील रहता है। उसके लिए खाना लेकर जाती थी। तहसील से खाना देने के बाद, तहसील से स्कूल ऑटो से लगभग दो कि०मी० दूर जाती थी, जबकि वादी ने कहा कि वह गाँव से बनकट मोटर साइकिल से छोड़ता था, वहाँ से वह टेम्पो से स्कूल जाते थे। इसके विपरीत पीड़िता (पी) ने कहा कि वह घटना के समय अपने भाई अतीव के लिए खाना गाँव से लाती थी। तहसील क्वार्टर में भाई को खाना देकर टेम्पो से स्कूल पढ़ने जाती थी, जिसमें और बच्चे व सवारियाँ भी रहती थीं। सौरभ हम लोगों के पीछे-पीछे मोटर साइकिल/गाड़ी से आता था, ऑटो के आगे गाड़ी लगा देता था। ऑटो ड्राइवर व बैठी सवारियाँ विरोध नहीं करती थीं। यह कथन अविश्वसनीय है।

92- उपरोक्त बात मैंने पुलिस व मजिस्ट्रेट साहब को बताई थी, उन्होंने मेरे बयानों में न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती हूँ। पीड़िता (पी) का यह कथन अविश्वसनीय है कि यदि उसने पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त बयान दिया होता तो वह इसे अवश्य ही अपने बयान में लिखते। पीड़िता (पी) का कथन अविश्वसनीय है।

93- पीड़िता (पी) ने मेरे पिताजी मुझे, मेरी बहन व भाई एवं माँ को लेकर, अभियुक्त द्वारा मेरा पीछा करने व ऑटो के आगे गाड़ी लगाने के दूसरे दिन तहसील क्वार्टर में रहने के लिए ले गये थे, जबकि वादी, रीता एवं पीड़िता (पी) ने अपने बयानों में कहा कि सौरभ उसे आते जाते रोज छोड़ता था और ऑटो के आगे अपनी गाड़ी लगाकर ऑटो रोक देता था, परन्तु तथ्य के किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया

कि सौरभ ने किस दिन, महीना, वर्ष उसके ऑटो के आगे अपनी गाड़ी लगाकर पीड़िता का टेम्पो रोका, जिससे वादी को उपरोक्त वादकारण पैदा हुआ और उसके करीब 15 दिन बाद सौरभ तहसील क्वार्टर में आया था। वह तिथि भी वादी ने अपनी तहरीर में स्पष्ट नहीं की है, ना ही किसी साक्षी ने अपने बयानों में, क्वार्टर में शिफ्ट होने का दिनांक बताई है। तथ्य के साक्षियों के उपरोक्त कथन अविश्वसनीय हैं।

94- हमारे क्वार्टर के ऊपर बने क्वार्टर में तहसील के स्टाफ के अन्य लोग रहते हैं। फिर कहा हमारे क्वार्टर के उपर छत खाली थी। अगल-बगल, सामने, कुछ सात क्वार्टर हैं। इन सात क्वार्टरों में से दो क्वार्टरों में तहसील स्टाफ का परिवार रहता था। पीड़िता (पी) द्वारा बताई गयी घटना स्थल की चौहद्दी एवं विवेचक तथा रीता द्वारा बताई गई घटना स्थल की चौहद्दी में गम्भीर विरोधाभास है।

95- घटना की जिस दिन की रिपोर्ट हुई है, उससे एक दिन पहले भी सौरभ मेरे क्वार्टर आया था। कुल मिला कर मेरे क्वार्टर पर दो बार गया था। दिनांक 22-03-2017 को पहले दिन रात के 09:00 बजे किस वाहन गया था, मुझे नहीं मालूम। उसके साथ 2-3 लोग और थे, उनको मैं शकू और नाम से नहीं जानती। सौरभ के साथ 2-3 लोग कौन थे, जबकि दोनों पक्ष एक ही गाँव के रहने वाले हैं, फिर भी वादी, पीड़िता (पी) और उसकी माँ रीता ने किसी भी व्यक्ति को शकू व नाम से पहचानना नहीं कहा है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है।

96- पीड़िता (पी) ने कहा कि दिनांक 22-3-2017 को रात 09:00 बजे अभियुक्त दीवार फांदकर, चार दीवारी के अन्दर गया, क्वार्टर के अन्दर नहीं गया था, जबकि पूर्व में कहा कि कमरे में जहाँ पीड़िता (पी) चारपाई पर सो रही थी, वहाँ पर भी गया था, जबकि वादी ने कहा कि सौरभ घर के अन्दर कभी नहीं गया। दिनांक 22-03-2017 वाली घटना वाले दिन मैंने कोई शोर नहीं मचाया था और ना मेरे पिताजी ने रिपोर्ट की थी। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। घटना से एक दिन पूर्व दिनांक 22-03-2017 को सौरभ वादी के क्वार्टर पर आया था, इस तथ्य का समर्थन वादी और रीता ने अपने बयान में नहीं किया है। यह नवीन तथ्य पीड़िता (पी) ने प्रथम बार न्यायालय के समक्ष बयान दिया है, जिसका उल्लेख केस डायरी में नहीं है। उपरोक्त नवीन तथ्य अविश्वसनीय है।

97- पीड़िता (पी) ने कहा कि दिनांक 23-03-2017 को भी समय 09:00 बजे रात्रि दीवार फांद कर चार दीवारी के अन्दर 3-4 लोगों के साथ सौरभ आया था। सौरभ के साथ आये अन्य 3-4 लोगों

को तथ्य के किसी भी साक्षी ने वादी के क्वार्टर/घर में प्रवेश करना नहीं कहा है, परन्तु वह हर बार तहसील की बाउण्ड्री कूद कर अन्दर आते थे, परन्तु उन्होंने पीड़िता (पी) के साथ कभी कोई छेड़छाड़ या अन्य कोई लैंगिक घटना कारित नहीं की। उक्त कथन अविश्वसनीय है।

98- पीड़िता (पी) ने कहा कि दिनांक 23-03-2017 की रात्रि 09:00 बजे सौरभ, जिस कमरे में मैं, जिस चारपाई पर लेटी थी, वहाँ तक गया था, परन्तु सौरभ ने पीड़िता (पी) के ऊपर लैंगिक हमला नहीं किया। पीड़िता (पी) के कमरे का दरवाजा रात्रि 12:00-01:00 बजे खुला था, जबकि उस घर के बुजुर्ग, जो बाहर के कमरे में सो रहे थे, उनका दरवाजा बन्द था, फिर सौरभ उस दरवाजे की कुण्डी खोले बिना कैसे पीड़िता (पी) की चारपाई के पास पहुंचा, जबकि रीता ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता (पी) के शोर मचाने पर हमने अपने कमरे के दरवाजे की कुण्डी खोल कर बच्चों के कमरे में आये तो वह बाउण्ड्री कूदकर भाग गया। फिर कहा कि काँच की खिड़की के पास खड़ा था। वादी एवं रीता ने उस समय रात्रि में पीड़िता (पी) से छेड़छाड़ करना नहीं कहा है। साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

99- पीड़िता (पी) ने कहा कि उस क्वार्टर में दो कमरे हैं। मेरे साथ, मेरी छोटी बहन मुस्कान व छोटा भाई शुभम भी लेटे थे। मेरे मम्मी-पापा दूसरे कमरे में लेटे थे। उनके कमरे का गेट बन्द था। जिस भाई के लिए मैं खाना लेकर जाती थी, वह भाई छत पर लेटा था। भाई अतीव ने घटना के बारे में कोई कथन नहीं किया है, जबकि वह घटना का समई व चक्षुदर्शी साक्षी था। तथ्य के किसी भी साक्षी ने उसे घटना के समय नीचे कमरे में आना नहीं कहा और ना ही अभियुक्त सौरभ को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना कहा है। अभियोजन ने अतीव को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया और ना ही विवेचक ने आरोप पत्र की गवाह सूची में नाम अंकित किया है। यह तथ्य अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

100- पीड़िता (पी) ने कहा कि अभियुक्त मेरा हाथ गलत नीयत से पकड़ कर खींच रहा था। मेरे शोर पर क्वार्टर के अगल-बगल रहने वाले लोग आये थे। अभियुक्त का पीछा मेरे पड़ोसियों ने किया था। उनका नाम मैं नहीं बता सकती, जबकि वादी ने कहा कि उसने स्वयं सौरभ का पीछा मन्दिर तक किया था। वादी ने अन्य किसी व्यक्तियों द्वारा सौरभ का पीछा करना नहीं कहा है।

101- यह कहना सही है कि पुलिस को बयान देने से पहले ही मैं अपने मामा के यहाँ मथुरा चली गई थी, जबकि पूर्व में कहा कि पुलिस

और मजिस्ट्रेट साहब को बयान देने के बाद अपने मामा के यहाँ मथुरा चली गई थी। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बताया था कि अभियुक्त ने मेरा हाथ पकड़ा था और खींचा था, यदि बयान में यह बात न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता (पी) कोई तथ्य मजिस्ट्रेट को बताये और मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन बयान में अंकित न किया जाये। बयान अविश्वसनीय है।

102- पी०डब्लू०-4 श्रीमती रीता देवी, पीड़िता (पी) की माँ ने घटना दिनांक 22/23-03-2017 को करीब 11:00-12:00 बजे की होना कहा है, जबकि वादी ने घटना रात्रि 12:00-01:00 बजे तथा पीड़िता (पी) ने घटना रात्रि 09:00 बजे की होना कहा है। समय के संबंध में यह इत्फाक है कि पीड़िता (पी) ने दिनांक 22 मार्च व 23 मार्च को घटना रात ठीक 09:00 बजे ही सौरभ को घर पर आना कहा। तथ्य के तीनों साक्षियों के बयानों में, घटना के समय को लेकर तात्विक विरोधाभास है, जिसने अभियोजन कथानक की बुनियाद हिला दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुलेश मोण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए०आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट 1091 में कहा है कि तुच्छ प्रकृति की असंगति, सुधार एवं लोप अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करते हैं। यह ऐसी सुस्थापित विधि है कि स्वाभाविक गलतियों का परिसाक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि तात्विक गलतियों की गड़बड़ी प्रभाव डाल सकती है। अभियोजन साक्षियों के कथन में सामान्यतः उतार-चढ़ाव तात्विक त्रुटि नहीं मानी जाती है। तात्विक त्रुटि सुधार एवं लोप अभियोजन मामलों में तभी घातक साबित होती हैं, जब उनसे अभियोजन मामले की बुनियाद ही मिट गई हो। तुच्छ विरोधाभास के चलते साक्षीगण का सम्पूर्ण साक्ष्य नकारा नहीं जाना चाहिए। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में अनुकरणीय है।

103- रीता ने कहा कि सौरभ, पीड़िता (पी) का हाथ पकड़ कर अपनी मोटर साइकिल पर बैठ जाने के लिए कहता था और उसके बैग की छीना झपटी करता था। मेरी पुत्री ने छेड़खानी वाली बात मुझे व मेरे पति को दो-तीन बार बताई थी। सौरभ के घर शिकायत करने का कोई असर नहीं हुआ, तब हम लोग नीचे वाले क्वार्टर को छोड़ कर, उपर वाले क्वार्टर में चले गये। नीचे वाले क्वार्टर को छोड़कर, ऊपर वाले क्वार्टर में शिफ्ट होने का कथन पहली बार रीता ने किया है। वादी और पीड़िता (पी) ने क्वार्टर बदलने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इस नवीन तथ्य के संबंध में साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

104- घटना जब हुई थी, तब मैं व मेरे पति बाहर वाले कमरे में थे। मेरे बच्चे दूसरे कमरे में थे। इस तथ्य को सभी साक्षियों ने अपनी साक्ष्य से सम्पुष्ट किया है, परन्तु विवेचक द्वारा दिये गये बयान एवं बनाये गये नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 से साक्षियों के कथन को बल प्राप्त नहीं होता है।

105- रीता ने कहा कि काँच की खिड़की पर सौरभ ने कोई चीज फेंकी थी, तब आवाज होने पर बच्चे जाग गये थे। इस कथन का समर्थन वादी ने भी किया है, परन्तु पीड़िता (पी) ने कहा कि जब सौरभ दीवार फांद कर उसके कमरे में, जहाँ वह चारपाई पर लेटी थी, वहाँ आ गया और उसने हाथ पकड़ कर उसे खींचने लगा, तब वह जागी थी और उसने शोर मचाया था। उस समय मुस्कान जग गयी थी, परन्तु उसने कोई विरोध नहीं किया और शुभम सो रहा था। सौरभ को आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। पीड़िता (पी) के शोर को सुनकर उसके मम्मी-पापा अपने कमरे के दरवाजे की कुण्डी खोलकर वहाँ आ गये थे, जबकि वादी और रीता ने कहा कि सौरभ उनके घर के अन्दर कभी नहीं आया। साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है।

106- सौरभ और उसके साथी बाउण्ड्री फांदकर क्वार्टर पर पीड़िता (पी) को पकड़ने या हम लोगों को मारने के लिए आये थे। इसका समर्थन वादी ने भी किया है, परन्तु पीड़िता (पी) ने सौरभ द्वारा उसे पकड़ने या उसके माँ-बाप को मारने के लिए आना नहीं कहा है। केवल यह कहा कि मेरी गाड़ी पर नहीं बैठोगी तो तुम्हारे माँ-बाप को जान से मार दूंगा। साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

107- रीता ने जिरह में कहा कि टूण्डला में जो घटना हुई है, उससे करीब 10-15 दिन पहले, जबकि पीड़िता (पी) ने कहा कि सौरभ ने ऑटो के आगे गाड़ी लगाई थी। उसके दूसरे दिन हम तहसील क्वार्टर में आ गये थे। रीता ने कहा कि मेरी पुत्री ने मुझसे व मेरे पति से दो-तीन बार शिकायत की थी कि सौरभ मेरा हाथ पकड़ कर कहता है कि मेरी गाड़ी पर बैठ जा और बैग की छीना झपटी करता है। हाथ पकड़ने वाली बात मेरे बयान में दरोगा जी ने न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मैंने अभियुक्त की शिकायत, अभियुक्त के तारु और पुलिस को भी की थी। यदि शिकायत की होती तो पुलिस अवश्य कार्यवाही करती। सौरभ द्वारा पीड़िता (पी) के साथ इतनी बार छेड़छाड़ करने की घटना हुई, परन्तु वादी ने थाना टूण्डला व थाना नगला सिंघी कहीं भी एफ०आई०आर० एस०पी० से मिलकर दर्ज नहीं कराई। सीधे जिलाधिकारी से मिलकर मुकदमा थाना टूण्डला में दर्ज

करा दिया, जबकि किसी भी थानाध्यक्ष ने एफ०आई०आर० लिखने से वादी को मना नहीं किया। यह वादी प्रदीप ने स्वतः स्वीकार किया है। साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है।

108- टूण्डला की घटना होने से पूर्व मैंने व मेरे पति ने अपनी पुत्री की बदनामी की वजह से कहीं कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन थाने में शिकायत करने जाना कहा है। सौरभ मेरी पुत्री से छेड़खानी, सुनसान जगह बाघई की पुलिया के पास, ऑटो के आगे अपनी गाड़ी लगाकर करता था। पीड़िता (पी), जो घटना की आहत और चक्षुदर्शी साक्षी है तथा वादी ने अपने सम्पूर्ण बयानों में बाघई की पुलिया का जिक्र नहीं किया, तो रीता को कैसे मालूम कि सौरभ हर बार सुनसान जगह, बाघई की पुलिया पर पीड़िता (पी) का ऑटो रोक कर उससे छेड़छाड़ करता था, जबकि रीता कभी भी पीड़िता (पी) के साथ ऑटो में नहीं गयी, ना ही किसी स्वतंत्र साक्षी ने यह कथन किया है। बाघई की पुलिया सुनसान स्थान पर है, यह रीता के बयान में प्रथम बार किस प्रकार आया, जबकि इसका उल्लेख किसी भी साक्षी ने नहीं किया है, अभियोजन ने स्पष्ट नहीं किया है। उक्त तथ्य के संबंध में सभी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है।

109- तहसील परिसर में मेरे क्वार्टर के पीछे विजेन्द्र सिंह सोनी का ऑफिस, पश्चिम वाले क्वार्टर में तहसील के रिकॉर्ड, पूरब में मुन्नी देवी का क्वार्टर दूसरी मंजिल पर है। क्वार्टर के ठीक सामने उत्तर दिशा में मन्दिर है। मेरे क्वार्टर का पीछे वाला गेट पूरब दिशा में है और पूरब दिशा में ही मुन्नी देवी का क्वार्टर है। वादी एवं पीड़िता (पी) ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि उनके क्वार्टर में प्रवेश करने के लिए दो दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा पश्चिम तरफ तथा दूसरा दरवाजा पीछे पूरब दिशा में स्थित है। इस नवीन तथ्य का समर्थन विवेचक ने अपने बयान एवं नक्शा नजरी में नहीं किया है। अतः यह तथ्य अविश्वसनीय है।

110- रीता ने जिरह में कहा कि अभियुक्त के खेत भी मेरे गाँव में हैं। अभियुक्त का ट्यूबवैल और ऑटा चक्की मेरी शादी के पहले से मेरे गाँव में लगी हो, मुझे जानकारी नहीं है। यह भी नहीं पता कि ट्यूबवैल की कोठरी पर पानी की कुण्डी बनी हुई है और इस कुण्डी से मेरे गाँव के लोग पीने के लिए पानी ले जाते हों। हमारा आटा पास ही में आटा चक्की निषाद लोगों के यहाँ पिसने के लिए जाता था। निषाद की चक्की पड़ोस में ही गाँव में थी, उस आटा चक्की वाले का नाम महेश चन्द्र है, लेकिन घर के पास स्थित सौरभ की आटा चक्की व ट्यूबवैल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, परन्तु उसी गाँव में सौरभ के ताऊ का, चौ० निहाल

सिंह डिग्री कालेज की जानकारी वादी पक्ष के सभी साक्षियों को है। साक्षी का कथन अविश्वसनीय है।

111- रीता ने जिरह में स्वीकार किया कि घटना वाले दिनांक को सौरभ व उसके तीन साथियों ने मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, न जान से मारने की धमकी दी और न कोई गाली गलौज की, जबकि इसके विपरीत वादी व पीड़िता (पी) ने कथन किया है, जिसका समर्थन रीता के उपरोक्त बयान से नहीं होता है।

112- मेरे व मेरे पति के शोरगुल पर, जबकि वादी व पीड़िता (पी) ने कहा कि पीड़िता (पी) का शोर सुनकर वह उसके कमरे में पहुंचे थे। वादी और उसकी पत्नी रीता द्वारा शोर मचाना किसी भी साक्षी ने नहीं कहा है। रीता का उपरोक्त कथन अविश्वसनीय है।

113- रीता ने कहा कि सुनील, मुन्नी देवी का परिवार, देवेन्द्र शर्मा और दो-तीन परिवार के कुल 6-7 लोग आ गये थे, जिन्होंने पीछा किया था। कुल हम सभी 09 लोगों ने बाउण्ड्री तक पीछा किया था, जबकि वादी ने कहा कि मैंने सौरभ का पीछा मन्दिर तक किया था और किसी व्यक्ति को साथ होना नहीं कहा है। पीड़िता (पी) ने माँ-बाप को सौरभ के पीछे भागना नहीं कहा, परन्तु पड़ोसियों द्वारा सौरभ का पीछा करना कहा है। किन् पड़ोसियों ने सौरभ का पीछा किया, उनका नाम बयान में नहीं बताया है। रीता ने कुछ नौ लोगों द्वारा सौरभ का बाउण्ड्री तक पीछा करना कहा है, परन्तु उनके नाम अपने बयान में स्पष्ट नहीं किये। पीड़िता (पी) ने कहा था कि तहसील के सात क्वार्टरों में से केवल दो क्वार्टरों में परिवार रहता था, जबकि रीता ने कहा कि उसके परिवार के अतिरिक्त वहाँ पर सुनील, देवेन्द्र शर्मा व मुन्नी देवी का परिवार भी रहता था और इन तीनों ने रात्रि की घटना को अपनी आँखों से होते हुए देखा था और अभियुक्त सौरभ का बाउण्ड्री तक पीछा भी किया था, परन्तु अभियोजन ने इन तथाकथित तीन चक्षुदर्शी साक्षियों को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया और विवेचक ने आरोप पत्र में, सूची गवाहन में अंकित नहीं किया है। इस प्रश्न पर अभियोजन अनुत्तरित है।

114- मैंने पीछा करने वाले पड़ोसियों के कुल सात लोगों के नाम दरोगा जी को बताये थे, परन्तु रीता ने न्यायालय में दिये बयान में उन सात व्यक्तियों के नाम नहीं बताये। घटना की रिपोर्ट लिखाने के एक महीने बाद मैंने अपनी बेटी को अपने मायके मथुरा भेज दिया था। पीड़िता (पी) एक महीने तक उसी सरकारी क्वार्टर में मेरे पास रही थी, जबकि पीड़िता (पी) ने कहा कि वह घटना के तुरन्त बाद अपने मामा के घर मथुरा चली गयी थी। इसी वजह से विवेचक ने पीड़िता (पी) का

बयान धारा-161 दं०प्र०सं० विलम्ब से दर्ज किया और पीड़िता (पी) का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष एक महीना, दो दिन विलम्ब से अंकित किया गया। इस विलम्ब के लिए वादी/अभियोजन उत्तरदायी हैं। साक्षी के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

115- पी०डब्लू०-6 विवेचक लोहरे सिंह पोनियां, उ०नि० ने नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 को किता किया और केस डायरी के पर्चा सं०-5 में पीड़िता (पी) का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया, क्योंकि उससे पूर्व पीड़िता (पी) घर पर नहीं मिली थी। पर्चा-6 में चिकित्सीय परीक्षण व पर्चा सं०-8 में धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान एक माह, दो दिन बाद अंकित कराया। विवेचक ने पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में कोई जाँच नहीं की। विवेचक मो० हसीन ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है, जबकि वादी, पीड़िता की माँ की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण मैंने किया था, उस दिन पीड़िता घर पर नहीं थी।

116- नक्शा नजरी में घटना स्थल को "ए" अक्षर से प्रदर्शित किया गया है, वह स्थान कमरे के अन्दर था या बाहर था, मैं इस समय नहीं बता सकता। चौकोर निशान से दो चारपाई दिखाई गई हैं, वह कमरे के अन्दर थीं या बाहर थीं, नहीं बता सकता। उन चारपाहियों पर कौन सो रहा था, उनको मैंने अलग-अलग नहीं दर्शाया है, बल्कि "ए" स्थान पर पीड़िता को दिखाया है व चौकोर निशान से पीड़िता के माता-पिता की चारपाई दिखाई है, जो दोनों अलग-अलग हैं, वह कमरा व बरामदा है, जिन्हें मैंने नक्शे में अलग-अलग नहीं दिखाया है। मैं नहीं बता सकता कि पीड़िता के माता-पिता कमरे में थे या बरामदे में थे। नक्शे में मैंने केवल मैं दरवाजा दिखाया है, कमरे का दरवाजा नहीं दिखाया है। मेरे नक्शे के मुताबिक घटना स्थल पर एक कमरा, एक बरामदा, एक किचन, एक लैट्रिन-बाथरूम बनी हुई थी, जिन्हें मैंने अलग से नहीं दिखाया है। नक्शे में पूरा क्वार्टर दिखाया है, जबकि रीता के बयान में वर्णित चौहद्दी से घटना स्थल की नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 की शिनाख्त नहीं होती है, इस कारण अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक संदेह के घेरे में आ जाता है।

117- यह केस डायरी में नहीं लिखा है कि अभियुक्त के डर से कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर भी मैंने पीड़िता व उसके माता-पिता के अलावा किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान अंकित नहीं किये हैं। पीड़िता (पी) का बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० अंकित

करने में जो भी विलम्ब हुआ, वह वादी की तरफ से हुआ, क्योंकि वादी ने नहीं बताया था कि पीड़िता घर पर न रहकर कहाँ रिश्तेदारी में रह रही है।

118- विवेचक ने कहा कि पीड़िता (पी) के साथ पूर्व में घटना किए जाने वाला स्थान थाना नगला सिंघी क्षेत्र में आता है। पूर्व की घटना के संबंध में मैंने रेलवे फाटक पर एवं पीड़िता के गाँव में जाकर जानकारी की थी, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। पीड़िता का पैत्रिक गाँव व अभियुक्त का गाँव बिल्कुल आस-पास स्थित हैं, बीच में बम्बा है, जिसका समर्थन वादी और सफाई साक्षियों ने किया है।

119- विवेचक ने सुझाव से इन्कार किया कि घटना का समर्थन करने के लिए मुझे पीड़िता के पिता के सरकारी क्वार्टर के आसपास कोई स्वतंत्र साक्षी न मिला हो, इसलिए मैंने उनके बयान न लिखे हों और मैंने इस मुकदमे के वादी, जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के अधीनस्थ होने की वजह से गलत विवेचना करके, सौरभ को गलत अभियुक्त बनाया हो।

120- पी०डब्लू०-7 मो० हसीन ने अभियुक्त सौरभ के विरुद्ध, पूर्व विवेचक लोहरे सिंह पोनियां द्वारा की गयी विवेचना के पत्रों का अवलोकन करके अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र प्रदर्शक -9 प्रेषित किया। जिरह में कहा कि यह विवेचना मुझे इसलिए मिली, क्योंकि इसमें पोक्सो एक्ट लगा हुआ था। तहरीर में घटना की रात को पीड़िता के साथ कोई छेड़छाड़ या शरीर को छूने वाली बात नहीं लिखी है, किन्तु पीड़िता ने अपने बयानों में छेड़छाड़ करना बताया था। दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

121- पीड़िता (पी) के बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० अनुसार घटना दिनांक 22/23-03-2017 की रात को सौरभ, पीड़िता (पी) के क्वार्टर पर आया था। पीड़िता के शरीर को अभियुक्त ने छुआ था या नहीं, मैं नहीं बता सकता, यह पीड़िता बतायेगी। तहरीर में घटना का समय, अदम तहरीर है। रास्ते की घटना का स्थान व उसका नक्शा सम्पूर्ण केस डायरी में नहीं है। सरकारी क्वार्टर वाली घटना थाना टूण्डला के अन्तर्गत और पूर्व घटना थाना नगला सिंघी व टूण्डला के अन्तर्गत आती है। दीवार फांदने वाली घटना थाना टूण्डला के अन्तर्गत, बाकी घटना थाना नगला सिंघी व टूण्डला के अन्तर्गत आती हैं। पूर्व सभी घटनाएं थाना नगला सिंघी के अन्तर्गत आती हैं। मैंने सरकारी क्वार्टर के आसपास के लोगों का कोई भी बयान नहीं लिया। मैंने

पीड़िता से आसपास के गवाहों के नाम पूछे थे, लेकिन किसी ने नाम नहीं बताया। इसीलिए मैंने किसी गवाह के बयान नहीं लिखे। अभियुक्त के द्वारा कारित घटनाओं के संबंध में मैंने घटना स्थल के आसपास एवं पीड़िता के मूल निवास नगला आम में जाकर कोई पूछताछ नहीं की और ना ही किसी का बयान लिया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना की गयी है। मात्र त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्त की दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है। यदि अन्य सम्पोषक साक्ष्य से घटना का समर्थन हो रहा हो। प्रस्तुत मामले में तथ्य के तीनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है, जो घटना कथानक को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

122- अभियुक्त सौरभ ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक को गलत एवं वादी प्रदीप द्वारा रंजिशन गलत कथन करना कहा है। पीड़िता (पी) द्वारा पिता के कहने पर झूठी गवाही दी है, क्योंकि मेरे पिता से, वादी के पिता के मध्य रंजिशन थी। रीता देवी ने पति के कहने पर रंजिशन झूठी गवाही दी है। जिलाधिकारी के आदेश पर झूठी रिपोर्ट लिखी है। दोषपूर्ण विवेचना की और किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान नहीं लिया। सभी साक्षी हितबद्ध हैं। गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है। सौरभ ने कहा कि मेरे पिताजी ने वादी के खेत का सौदा किया था। बयाना लेकर खेत का सौदा नहीं किया। पंचायत के बाद कहा सुनी होने पर बाद में बैनामा किया है। अभियुक्त का खेत वादी के घर के पास है, इसी कारण वादी के जानवर अभियुक्त के खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से भी झगड़ा हुआ था। मेरी चक्की पर वादीका आटा पिसता था। पिसाई के पैसे की उधारी मांगने पर, पैसे न देने पड़े, झगड़ा किया और झूठा मुकदमा कर दिया।

123- सफाई साक्षी डी०डब्लू०-1 धर्मेन्द्र सिंह ने अभियुक्त सौरभ के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि वादी प्रदीप के ताऊ रामसनेही ने अपना खेत अभियुक्त सौरभ के पिता दिनेश चन्द्र के नाम बैनामा किया था। प्रदीप ने अपने पिता के मरने के बाद अपने खेत का सौदा सौरभ के पिता दिनेश चन्द्र से किया था। दिनेश चन्द्र ने प्रदीप को सौदा के समय बयाना एडवांस दिया था, परन्तु प्रदीप और उसके भाई ने सौरभ के पिता दिनेश के पक्ष में बैनामा नहीं किया, तो गाँव में पंचायत हुई थी। पंचायत के बाद भी बैनामा नहीं किया। अभियुक्त के पिता के एडवांस रूपयों की बेईमानी कर ली और वह खेत मेरे गाँव के प्रीतम व हर प्रसाद को बैनामा कर दिया।

124- सौरभ के ताऊ रमेश चन्द्र, चाचा सुदेश चन्द्र व अभियुक्त का खेत मेरे गाँव में है। मेरे गाँव में अभियुक्त का ट्यूबवैल व आटा चक्की लगी हुई थी। ट्यूबवैल पर गाँव के सभी लोग पानी भरते थे और कोई पानी का इन्तजाम नहीं था। वहीं पर आटा की पिसाई होती थी। प्रदीप के घर के आटे की पिसाई भी सौरभ की आटा चक्की पर होती थी और प्रदीप के जानवर सौरभ के ट्यूबवैल पर पानी पीते थे और घर के लिए पानी भरा जाता था। प्रदीप का मकान, अभियुक्त के खेत के पास है। इस तथ्य से वादी को भी इन्कार नहीं है। सौरभ के खेत में प्रदीप के जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर एक-दो बार कहा सुनी, झगड़ा हुआ था और आटा पिसाई को लेकर भी झगड़ा हुआ था।

125- डी०डब्लू०-2 मनोज कुमार ने, सफाई साक्षी डी०डब्लू०-1 धर्मेन्द्र सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ग्राम नगला आम व ग्राम नगला बल्लू पास-पास हैं। सौरभ का खेत व उसके भाई, ताऊ व चाचा का खेत नगला आम में हैं। प्रदीप का मकान, सौरभ के खेत के पास ही है। वादी ने सौरभ को गुण्डा, बदमाश, सरकस किस्म का व्यक्ति होना गलत लिखाया है। वादी प्रदीप टूण्डला तहसील में नौकरी करता है। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि सौरभ ने प्रदीप के सरकारी क्वार्टर पर जाकर, दीवार फांद कर, पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने गया हो। प्रदीप के पशु, सौरभ के खेत में नुकसान पहुंचाते थे, इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी, मन-मुटाव हुआ था।

126- सफाई साक्षी ने जिरह में कहा कि मुझे आज से दो दिन पहले पता चला कि प्रदीप ने लड़कियों की छेड़छाड़ का मुकदमा लिखाया है। मैंने क्षेत्र में जाकर पता किया तो लोगों ने बताया कि प्रदीप ने झूठा मुकदमा लिखाया है। प्रदीप के जानवरों द्वारा नुकसान करने वाली बात अभियुक्त के खेतों में मैंने सुनी थी, स्वयं नुकसान करते नहीं देखा।

127- अभियुक्त सौरभ द्वारा प्रस्तुत किये गये सफाई साक्षी धर्मेन्द्र सिंह और मनोज कुमार ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि वादी के ताऊ श्री रामसनेही ने अपने खेत का बैनामा अभियुक्त सौरभ के पिता दिनेश चन्द्र के पक्ष में किया था और वादी ने भी अपने खेत का सौदा दिनेश चन्द्र से किया था। सौरभ ने सूची 34 ब से बैनामा कागज संख्या-35 ब/2 लगायत 35 ब/11 की प्रमाणित प्रति दाखिल की है, जिसके अनुसार गाटा संख्या-145, रकबा 0.302 है० के मालिक रामसनेही द्वारा अपने ¼ भाग का बैनामा मुव०-15,000/- रुपये में दिनेश चन्द्र पुत्र निहाल सिंह के हक में दिनांक 28-11-2002 को

निष्पादित किया, जिसमें रमेश चन्द्र यादव और अशोक कुमार गवाह थे। द्वितीय बैनामा कागज संख्या-35 ब/13 लगायत 35 ब/24 की प्रमाणित प्रति दाखिल की है, जिसके अनुसार गाटा संख्या-145, रकबा 0.302 है० के मालिक प्रदीप कुमार व मानव कुमार द्वारा अपने 1/6 भाग का बैनामा मुव०-10,000/- रुपये में प्रीतम सिंह और हर प्रसाद के हक में दिनांक 29-01-2003 को निष्पादित किया, जिसमें दिनेश चन्द्र और राम प्रकाश गवाह थे। उपरोक्त बैनामों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त सौरभ के पिता दिनेश चन्द्र ने, वादी के पिता रामसनेही से उपरोक्त जमीनों का बैनामा कराया है, परन्तु द्वितीय बैनामा वादी ने, बयाना लेकर अभियुक्त के पिता के पक्ष में न करके प्रीतम और हर प्रसाद के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जिसका समर्थन वादी ने अपनी साक्ष्य में किया है और अपना हिस्सा भी दिनेश को बेचना कहा है। यह भी कहा कि हम तीनों भाईयों ने बैनामा किया होगा। अभियुक्त के खेत उसी गाँव में हैं, जिसमें उसका ट्यूबवैल लगा हुआ है और आटा चक्की भी लगी है, जिससे वादी ने पानी और आटा लेना अपने बयान में स्वीकार किया है। सफाई साक्षीगण धर्मेन्द्र सिंह और मनोज ने अभियुक्त सौरभ के साथ तथाकथित घटना किए जाने का हेतुक और रंजिश अपनी साक्ष्य से साबित की है।

128- साक्षियों के हितबद्ध होने के संबंध में **कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2018) 6 एस०सी०सी० 433, मातीराम पाधू बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 3245 तथा गणपति बनाम तमिलनाडु राज्य, ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 1835** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि का यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में हितबद्ध साक्षी अथवा सगे-संबंधी के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जबकि सभी हितबद्ध साक्षियों के बयानों में परस्पर गम्भीर विरोधाभास हो।

129- पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के तीन साक्षी वादी प्रदीप, पीडिता (पी) एवं रीता देवी परीक्षित कराये हैं, जिन्होंने अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं किया है। शेष साक्षीगण डा० नसीम अहमद, सी०सी० सोनेन्द्र कुमार, प्रथम विवेचक लोहरे सिंह पोनिया, उ०नि० एवं द्वितीय विवेचक मो० हसीन, उ०नि०, औपचारिक हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए अपने द्वारा की गयी कार्यवाही को न्यायालय में आकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

130- तथ्य के तीनों साक्षी वादी प्रदीप कुमार, पीडिता (पी) और रीता देवी के बयानों में विरोधाभास है। वादी ने तहरीर प्रदर्श क-1, जो घटना के लगभग सवा महीने बाद, राजस्व सेवक के पद पर रहते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट दर्ज न कराकर, जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 27-03-2017 से रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश प्राप्त करके उसके अपने पास रख लिया और लगभग सवा महीने बाद रजिस्ट्री के माध्यम से तहरीर थाना टूण्डला में भेज कर, जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के आदेशानुसार रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब का वादी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

131- वादी ने स्वीकार किया कि उसकी पीडिता (पी) के अतिरिक्त दूसरी पुत्री मुस्कान है, परन्तु घटना के लगभग सवा महीने बाद तहरीर के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद वादी ने तहरीर में पीडित पुत्री का नाम अंकित नहीं किया, जो अभियोजन कथानक में गम्भीर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

132- वादी ने घटना के तुरन्त बाद पीडिता (पी) को उसके मामा के यहाँ मथुरा भेज दिया, जिस कारण विवेचक द्वारा पीडिता (पी) का बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० तत्काल अंकित न होकर लगभग एक माह बाद अंकित हुआ है, जिसका सम्पूर्ण दायित्व वादी पर है।

133- वादी, पीडिता (पी) और रीता ने, अभियुक्त सौरभ द्वारा घर में घुस कर पीडिता (पी) के साथ लैंगिक हमला करने के संबंध में परस्पर विरोधी बयान दिये हैं। केवल पीडिता (पी) ने अभियुक्त सौरभ द्वारा घर में घुसकर उसकी चारपाई के पास आकर, हाथ पकड़ कर खींचना कहा है, जबकि वादी व रीता ने सौरभ को घर के अन्दर घुसने से स्पष्टतः इन्कार किया है। वादी और रीता ने कहा कि सौरभ उसकी पुत्री/ पीडिता (पी) को पकड़ने के लिए और हमें मारने के लिए घर में आया था, जबकि पीडिता (पी) ने कहा कि सौरभ उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता था और मना करने पर उसके माँ-बाप को जान से मारने की धमकी देता था। सभी साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित नहीं करते हैं। इसके विपरीत अभियुक्त सौरभ द्वारा परीक्षित कराये गये सफाई साक्षी धर्मेन्द्र व मनोज ने घटना का हेतुक/रंजिश साबित करते हुए वादी के पिता द्वारा, अभियुक्त के पिता के पक्ष में किये गये बैनामों की सत्यता को प्रमाणित किया है, जबकि अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त के उपरोक्त बैनामों संबंधी सुझाव की बावत जानकारी नहीं होना कहा है,

परन्तु स्पष्टतः इन्कार नहीं किया है।

134- माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि - अभियोजन कथानक में अनिश्चितता उत्पन्न करना अभियुक्त का अधिकार है और उस अनिश्चय को संदेह से परे साबित करना अभियोजन का दायित्व है। प्रस्तुत प्रकरण में इस दायित्व को, संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।

135- अतः अभियुक्त सौरभ यादव, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सौरभ यादव को, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-457, 354, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सौरभ यादव जमानत पर है, उसके जमानतनामों एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त सौरभ यादव, धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक: 04-11-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 04-11-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010115662016



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0005231/2016

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

सुनील कुमार पुत्र क्षेत्रपाल, निवासी गाँव गढ़ी, थाना जलेसर, जिला एटा।
हाल निवासी गाँव जरैला, थाना सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद।

-----अभियुक्त।

मु०अ०सं०-285/2016

धारा-354, 504, 506 भा०दं०सं०

धारा-11(i)/12 पोक्सो अधि०

थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद

--: निर्णय :-

1- पुलिस थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-285/2016 में अभियुक्त सुनील कुमार के विरुद्ध धारा - 354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-11(i)/12 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क -4 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के साथ छेड़छाड़ होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध-2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष

पी०एस०टी० सं०-5231/2016, सरकार बनाम सुनील कुमार, मु०अ०सं०-285/2016, धारा-354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-11(i)/12 पोक्सो एक्ट, थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 2

न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित नहीं करने हेतु निर्देशित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (जी) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार वादी कुंज विहारी पुत्र रामचरन, गाँव जरैला, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद का निवासी है। वादी की नाबालिग 16 वर्षीय पुत्री/पीड़िता (जी), संत रघुवीर दास इण्टर कालेज, वूड़ा भरतरा में रोजाना घर से पढ़ने के लिए जाती है। पढ़ने जाते समय रास्ते में सुनील पुत्र क्षेत्रपाल, निवासी गाँव गढ़ी, थाना जलेसर, जिला एटा। हाल निवासी गाँव जरैला, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद व हरेन्द्र पुत्र सुन्दर लाल, वादी की लड़की को रास्ते में घेर कर छेड़खानी व अश्लील हरकतें करते हैं तथ फोन पर तरह-तरह की धमकियाँ देते हैं तथा एक रजिस्टर्ड डाक वादी की पुत्री के नाम से स्कूल के प्रबन्धक के पास भेजी, जिसमें प्रेषक का नाम प्रीती पुत्री रघुवर दास, निवासी गाँव चिरावली, थाना सकरौली, जिला एटा अंकित है। उक्त सील बन्द लिफाफे को उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वादी को दिया गया, जिसे खोलने पर पत्र के अन्दर तरह-तरह की शायरी लिखी हुई थीं। एक पत्र भी उसी लिफाफे में निकला, जिस पर मोबाइल नं०-8650410886, 709699173 एवं 9690934293 अंकित हैं और उक्त नम्बरों पर बात करने के लिए कहा है। पत्र मिलने पर दिनांक 27-01-2016 को वादी ने सुनील की नानी शारदा देवी से शिकायत की, कि अपने धेवते को समझाओ, वह मेरी पुत्री को गलत तरीके से तंग, परेशान व अश्लील हरकतें न करे। इस पर नाराज होकर शारदा देवी पत्नी मोहन लाल, चतुर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, चंदन सिंह पुत्र छोटेलाल, दलवीर सिंह पुत्र मोहन लाल, निवासीगण गाँव जरैला, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद उक्त दिनांक को समय करीब 11:00 बजे वादी के घर पर आये और भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए दबाव दिया कि अपनी पुत्री की शादी सुनील के साथ कर दे, नहीं तो जबरन तेरी पुत्री को उठा ले जाएंगे, कार्यवाही करेगा तो जान से मार देंगे। सुनील का दोस्त दौलतराम पुत्र सोने लाल, निवासी वूड़ा भरतरा, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद भी उसकी मदद करता है। इससे पूर्व भी दिनांक 18-09-2015 को सुबह 07:00 बजे सुनील व हरेन्द्र ने वादी की पुत्री को रास्ते में तंग, परेशान किया व छेड़खानी की थी। इसकी शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने फैसला करा दिया था। उपरोक्त लोगों के भय व आतंक के कारण वादी की पुत्री का विद्यालय जाना मुश्किल हो गया है तथा कभी भी उपरोक्त लोग वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर जबदन उठाकर ले जा सकते हैं। उपरोक्त घटना को गाँव के चन्द्रपाल पुत्र रामनाथ व अमर

सिंह पुत्र लालाराम आदि ने देखा है। वादी घटना की रिपोर्ट करने थाना सिरसागंज गया, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तब वादी पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मिला तथा जरिए डाक भी प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर मजबूरन न्यायालय में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है।

4- वादी कुंज विहारी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-03-2016 के अनुपालन में, उक्त टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या-285/2016 पर धारा-354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-11(i)/12 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील एवं अन्य 6 के विरुद्ध नामजद चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-6 में किया गया।

5- विवेचना गोपी चन्द्र, उ०नि० द्वारा की गयी, जिन्होंने दौरान विवेचना वादी, पीड़िता एवं घटना से संबंधित अन्य गवाहों के बयान अंकित किए। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 बनाया। पीड़िता (जी) का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया। दौरान विवेचना अभियुक्तगण चन्दन सिंह, हरेन्द्र, शारदा देवी, चतुर सिंह, दलवीर सिंह तथा दौलतराम की नामजदगी गलत पायी। अभियुक्त सुनील का जिला कारागार में जाकर बयान अंकित किया। इसके बाद इनका स्थानान्तरण होने के पश्चात् विवेचना ओम प्रकाश यादव, उ०नि० द्वारा की गयी, जिन्होंने पूर्व विवेचक द्वारा कित्ता केस डायरी का अवलोकन किया। वादी, पीड़िता एवं घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों के पुनः बयान अंकित किये और सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सुनील व दलवीर के विरुद्ध धारा-354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-11(i)/12 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रदर्श क-4 न्यायालय में प्रस्तुत किया।

6- दौरान विचारण अभियुक्त दलवीर सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 20-10-2021 को उसके विरुद्ध इस मामले की कार्यवाही उपशमित की गयी। अभियुक्त सुनील कुमार न्यायालय उपस्थित आया। उसको अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके न्यायालय द्वारा दिनांक 04-10-2017 को अभियुक्त सुनील कुमार के विरुद्ध धारा-354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-11(i)/12 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 4

आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण की माँग की गयी। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी आहूत किये गये।

7- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	कुन्ज विहारी (वादी)	टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (जी)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-3	गोपी चन्द्र, उ०नि० (प्रथम विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क-3
पी०डब्लू०-4	ओम प्रकाश यादव (द्वितीय विवेचक)	आरोप पत्र प्रदर्श क-4
पी०डब्लू०-5	सीसी गोपाल चौधरी	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5 व जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-6
पी०डब्लू०-6	शिवराम सिंह (प्रधानाचार्य)	पीड़िता (जी) की हाईस्कूल परीक्षा अंक तालिका प्रदर्श क-7
पी०डब्लू०-7	फौरन सिंह	--

8- पी०डब्लू०-1 वादी कुंज विहारी ने कहा है कि मेरी पुत्री/पीड़िता (जी), उम्र 16 वर्ष, सन्त रघुवीर दास इण्टर कालेज, बूढ़ा भरतरा में रोजाना घर से पढ़ने जाती थी। रास्ते में सुनील पुत्र क्षेत्रपाल, निवासी गढ़ी, थाना जलेसर, जिला एटा। हाल निवासी गांव जरैला, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद व हरेन्द्र पुत्र सुन्दर लाल मेरी लड़की/पीड़िता को रास्ते में घेरते व छेड़खानी एवं अश्लील हरकतें करते। फोन पर तरह-तरह की धमकियां देते तथा एक रजिस्टर्ड डाक मेरी बेटि/पीड़िता के नाम से स्कूल के प्रबन्धक के पास भेजी थी। उस सील बंद लिफाफे को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुझे दिया था। मैंने उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें गन्दी-गन्दी, तरह-तरह की शायरी लिखी थीं। दिनांक 27-01-2016 को मैंने सुनील की नानी शारदा देवी से शिकायत की, कि मेरी पुत्री/पीड़िता को गलत तरीके से परेशान व अश्लील हरकतें न करे। इस पर नाराज होकर शारदा देवी, चतुर सिंह, चन्दन सिंह व दलवीर सिंह उक्त दिनांक को समय करीब 11:00 बजे मेरे

घर पर आये और भद्दी-भद्दी गाली देते हुए कहने लगे कि अपनी बेटा/पीड़िता की शादी सुनील के साथ कर दे, नहीं तो तेरी पुत्री को उठा ले जाएंगे। अगर कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। दौलत राम पुत्र सोने लाल उसकी मदद करता है। इससे पहले भी दिनांक 18-09-2015 को सुबह 07:00 बजे सुनील व हरेन्द्र ने मेरी पुत्री/पीड़िता को रास्ते में परेशान किया और छेड़खानी की। इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस घटना को गांव के चन्द्रपाल पुत्र रामनाथ व अमर सिंह पुत्र लालाराम आदि लोगों ने देखा। मैं घटना की रिपोर्ट करने थाने गया तो रिपोर्ट नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को प्रार्थनापत्र दिया, मुकदमा नहीं लिखा। तब न्यायालय के आदेश से मुकदमा लिखा गया। मैंने न्यायालय में जो प्रार्थनापत्र दिया, वह पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान में टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है।

9- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (जी) ने कहा है कि घटना के समय मैं, संत रघुवीर दास इण्टर, बूढ़ा बरता में पढ़ने जाती थी। रास्ते में सुनील पुत्र क्षेत्रपाल, निवासी गढ़ी, थाना जलेसर, जिला एटा। हाल निवासी जरैला, थाना सिरसागंज व हरेन्द्र पुत्र सुन्दर लाल एवं अन्य 2-3 लोग रास्ते में मुझे घेरते और मेरे साथ छेड़खानी कर अश्लील हरकत करते थे और फोन पर धमकियां देते थे। दिनांक 27-01-2016 की बात है। समय 11:00 बजे मेरे स्कूल में डाक द्वारा अश्लील गन्दे ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। इसकी शिकायत सुनील की नानी शारदा देवी से की तो नाराज होकर शारदा देवी, चतुर सिंह, चन्दन सिंह व दलवीर सिंह मेरे घर पर आये और गन्दी-गन्दी गाली देते हुए कहने लगे कि अपनी लड़की की शादी सुनील के साथ कर दो, नहीं तुम्हारी लड़की को उठा ले जाएंगे। दौलतराम भी इनकी मदद करता है। इससे पहले दिनांक 18-09-2015 को सुबह 07:00 बजे मुझे रास्ते में परेशान किया और छेड़खानी की थी। इस समस्त घटना को चन्द्रपाल व अमर सिंह ने देखा था। घटना के समय मेरी उम्र 16 वर्ष थी। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था और मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान कराया था। साक्षी को बयान धारा-164 दं०प्र०सं० खोल कर दिखाया और पढ़कर सुनाया तो कहा कि इस पर लगा फोटो मेरा है व इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करती हूँ। यही बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान से धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान प्रदर्श क-2 को साबित किया है।

10- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (जी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 में कहा है कि -

मैं कालेज जाती थी। सुनील व उसका दोस्त हरेन्द्र, दौलतराम, चतुर सिंह व एक अन्य आदमी मुझे रास्ते में मिलते थे, मुझे रोकते थे, मेरे पीछे-पीछे कालेज जाते थे, गाली देते थे, अश्लील बातें मुझे देख कर मेरे सामने करते थे। दो दिन बाद मैंने अपने घर पर बताया। मेरे पिता उनके घर गए तो चतुर सिंह व चन्दन सिंह ने मेरे पिता को मारापीटा। दिनांक 27-01-2016 को सुनील ने मुझे डाक द्वारा अश्लील ग्रीटिंग कार्ड भेजा। सुनील के घर वाले मेरे पिता से मेरी शादी सुनील से करने की कह रहे थे। कई बार वह रास्ते में मेरे फोटो खींच चुका है।

11- पी०डब्लू०-3 गोपी चन्द्र, से०नि० उ०नि० ने विवेचना सम्बन्धी बयान देते हुए कहा है कि दिनांक 15-04-2016 को मैं थाना सिरसागंज में बतौर उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या-285/2016, धारा-354, 504, 506 भा०द०सं० व धारा-11(1)/12 पोक्सो अधिनियम बनाम सुनील आदि की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। मैंने दौरान विवेचना वादी, पीड़िता एवं घटना से सम्बन्धित अन्य गवाहों के बयान अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। पीड़िता का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। दौरान विवेचना अभियुक्तगण चन्दन सिंह, हरेन्द्र, शारदा देवी, चतुर सिंह, बलवीर सिंह तथा दौलतराम की नामजदगी गलत पायी। अभियुक्त सुनील का जिला कारागार में जाकर बयान अंकित किया। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 को साबित किया है।

12- पी०डब्लू०-4 ओम प्रकाश यादव, से०नि० उ०नि० (द्वितीय विवेचक) ने विवेचना सम्बन्धी बयान देते हुए कहा है कि दिनांक 20-09-2016 को मैं थाना सिरसागंज में बतौर उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। मुकदमा अपराध संख्या-285/2016, धारा-354, 504, 506 भा०द०सं० व धारा-11(1)/12 पोक्सो अधिनियम बनाम सुनील आदि की विवेचना, पूर्व विवेचक उ०नि० गोपी चन्द के स्थानान्तरण होने के पश्चात् मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने पूर्व विवेचक द्वारा किता केस डायरी का अवलोकन किया। नामजद अभियुक्तगण दलवीर सिंह व शारदा देवी के बयान अंकित किए। पीड़िता का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया। पुनः वादी एवं घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों के बयान अंकित किये तथा तमामी विवेचना के आधार पर अभियुक्त सुनील व दलवीर के

विरुद्ध धारा-354, 504, 506 भा०द०सं० व धारा-11(1)/12 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से आरोप पत्र प्रदर्श क-4 को साबित किया है।

13- पी०डब्लू०-5 गोपाल चौधरी, सी०सी० ने कहा कि दिनांक 12-04-2016 को मैं थाना सिरसागंज पर बतौर कां० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन एस०ओ० के डाक पैड से एक किता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्राप्त हुआ था। एस०ओ० साहब के आदेश से मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-285/2016, धारा-354,504,506 भा०द०सं० व धारा-11(1)/12 पोक्सो अधिनियम बनाम सुनील कुमार आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया था, जिसका खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० सं०-31, समय 16:45 बजे, दिनांक 12-04-2016 को किया गया। चिक एफ०आई०आर० व जी०डी० पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-6 को साबित किया है।

14- पी०डब्लू०-6 शिवराम सिंह, प्रधानाचार्य, श्री गजाधर सिंह सतेन्द्र सिंह इण्टर कालेज, इटौली रोड़, माढ़ई, जिला फिरोजाबाद ने सशपथ बयान में कहा है कि वर्ष 2005 से मैं, इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में पीड़िता (जी) पुत्री श्री कुंज बिहारी, निवासी जरैला, पोस्ट धातरी, जिला फिरोजाबाद ने दिनांक 03-07-2013 को कक्षा-9 में प्रवेश लिया था। आज मैं विद्यालय का मूल एस०आर० रजिस्टर लेकर आया हूँ, जिसमें क्रमांक-3520 पर पीड़िता (जी) का नाम, माता का नाम श्रीमती गुड्डी देवी व पिता का नाम कुंज बिहारी एवं कु० गंगा की जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। पीड़िता (जी), गत विद्यालय संत रघुवीर दास जी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बूढ़ा भरतरा, फिरोजाबाद की टी०सी० साथ लाई थी, जिसमें पीड़िता (जी) की जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। इसी के आधार पर एस०आर० रजिस्टर में पीड़िता (जी) की उक्त जन्मतिथि अंकित की गयी थी। पीड़िता (जी) का मूल प्रवेश फार्म साथ लाया हूँ, जिसमें भी पीड़िता (जी) की उक्त जन्मतिथि अंकित है। कक्षा -10 की नौमीरॉल लिस्ट साथ लाया हूँ, जिसमें पीड़िता (जी) का नाम क्रम सं०-50 पर अंकित है। कक्षा-10 की क्रास लिस्ट में पीड़िता (जी) का अनुक्रमांक-0109624 व उक्त जन्मतिथि अंकित है। कक्षा -10 की उपस्थिति पंजिका में पीड़िता (जी) का नाम क्रम सं०-4 पर अंकित है। आज मैं इन

मूल रजिस्ट्ररों की प्रमाणित छाया प्रतियां पत्रावली पर दाखिल कर रहा हूं। पीड़िता (जी) का हाईस्कूल का अंकपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें पीड़िता (जी) की जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है, जिस पर विद्यालय की मोहर लगी है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। इस साक्षी ने पीड़िता (जी) की हाईस्कूल परीक्षा अंक तालिका प्रदर्शक-7 को साबित किया है।

15- पी०डब्लू०-7 फौरन सिंह ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि मैं, संत रघुवीर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बूढ़ा भरतरा में सहायक अध्यापक के रूप में जुलाई, 2008 से तैनात था। जनवरी, 2016 में स्कूल के पते पर एक ग्रीटिंग कार्ड, बंद लिफाफा में पोस्ट द्वारा आया, जिस पर पीड़िता (जी) पुत्री कुंज बिहारी लिखा था। कुंज बिहारी को हम जानते थे, इसलिए अगले दिन कुंज बिहारी को बुलाकर वह ग्रीटिंग कुंज बिहारी को दे दिया था। पीड़िता (जी) पुत्री कुंज बिहारी कक्षा-11 की कोचिंग पढ़ती थी। मुझसे पुलिस ने पूछताछ की थी।

16- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

17- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 27-06-2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को झूठा बताया और कहा कि कोई पत्र नहीं भेजा, ना ही जान से मारने की धमकी दी है। गाली गलौज भी नहीं की है। दबाव बनाने हेतु झूठा मुकदमा किया है। वादी ने झूठे व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर विधिक परामर्श से झूठी गवाही दी है। पीड़िता ने अपने पिता/वादी व पुलिस की सलाह से मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष झूठा बयान दिया है। विवेचकों ने गलत विवेचना की है। प्रधानाचार्य व साक्षी फौरन सिंह ने मुकदमा वादी से साज करके झूठा बयान दिया है। गवाहन ने मुकदमा वादी द्वारा अपनी पुत्री की शादी करने के उद्देश्य से दबाव बनाने के लिए झूठे साक्ष्य दिये हैं

18- अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

19- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार सिंह की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

20- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

21- धारा-354 भारतीय दण्ड संहिता - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते

हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

22- धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता - लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान - जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

23- धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता - आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड - जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

24- धारा-11(i) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - लैंगिक उत्पीड़न - किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया है, जब ऐसा व्यक्ति - लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित इस आशय के साथ करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए।

25- धारा-12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड - जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-: निष्कर्ष :-

26- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

27- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सुनील कुमार की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के दृष्टिगत किया जाना है।

28- अवलोकनीय यह भी है कि **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा-2(घ) में "बालक"** को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - **"बालक"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

29- विधि व्यवस्था **जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 262** एवं **गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631** के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत अपचारी किशोर मामलों का निस्तारण घटना के समय प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

30- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम -2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

31- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम विवेचक गोपीचन्द्र, उ०नि० द्वारा पहला पर्चा दिनांक 15-04-2016 को और अन्तिम पर्चा सं०-15 दिनांक 14-09-2016 किता किया गया। इसके उपरान्त उनका स्थानान्तरण होने के कारण नवीन विवेचक ओम प्रकाश यादव द्वारा कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए केस डायरी के पर्चा

सं०-16, दिनांकित 20-09-2016 लगायत पर्चा सं०-22, दिनांक 21-10-2016 किता करते हुए शेष अभियुक्तगण हरेन्द्र, श्रीमती शारदा देवी, चतुर सिंह, चन्दन सिंह और दौलत राम की नामजदगी गलत पाते हुए केवल अभियुक्तगण सुनील व दलवीर के विरुद्ध आरोपित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।

32- अभियुक्त दलवीर सिंह की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही आदेश दिनांक 26-10-2021 से उपशमित की गयी और मामले का विचारण केवल अभियुक्त सुनील के विरुद्ध किया जा रहा है।

33- यहाँ पर यह उल्लिखित किया जाना समीचीन होगा कि प्रार्थी कुंज बिहारी ने अभियुक्तगण सुनील, हरेन्द्र, श्रीमती शारदा देवी, चतुर सिंह, चन्दन सिंह, दौलतराम और दलवीर सिंह के विरुद्ध अपर जिला जज/पोक्सो कोर्ट में धारा-156(3) दं०प्र०सं० में प्रार्थनापत्र दिनांक 05-03-2016 को घटना दिनांक 27-01-2016 की बावत मुकदमा दर्ज करके थानाध्यक्ष सिरसागंज को विवेचना कराने हेतु दिया था। न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए, थाना सिरसागंज में उपरोक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12-04-2016 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया।

-: आयु निर्धारण :-

34- पी०डब्लू०-1 वादी कुंज बिहारी ने (तहरीर/प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं०) प्रदर्श क-1 के आधार पर न्यायालय में दिये बयान में पीडिता (जी) की उम्र 16 वर्ष अंकित कराई है और कहा कि मेरी पुत्री, संत रघुवीर दास इण्टर कालेज, भूड़ा भरतरा रोजाना पढ़ने जाती थी। जिरह में कहा कि मेरी पुत्री ने हाईस्कूल की परीक्षा विद्यालय संत रघुवीर दास इण्टर कालेज, भूड़ा भरतरा से पास की थी। हाईस्कूल की मार्कशीट विवेचक को स्वयं दी थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी पुत्री ने हाईस्कूल की परीक्षा गजाधर इण्टर कालेज, इटौली से पास की हो। पत्रावली में दाखिल प्रदर्श क-7 हाईस्कूल प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में पीडिता (जी) की जन्मतिथि 25-07-2001 व विद्यालय का नाम एस०जी०एस०आई०सी० इटौली रोड़, मण्डई, फिरोजाबाद अंकित है।

35- पी०डब्लू०-2 पीडिता (जी) ने न्यायालय में दिये बयान में कहा कि घटना के समय मेरी उम्र 16 वर्ष और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र नहीं बताई है। पीडिता ने

जिरह में कहा कि मैं, संत रघुवीर दास इण्टर कालेज, भूडा भरतरा में कक्षा-5 से लेकर कक्षा-12 तक पढ़ी थी, जबकि पी०डब्लू०-6 शिवराम सिंह, प्रधानाचार्य ने कहा कि पीड़िता हमारे स्कूल में कक्षा-9 से 12 तक पढ़ी है एवं पी०डब्लू०-7 फौरन सिंह, सहायक अध्यापक ने कहा कि पीड़िता हमारे विद्यालय में कक्षा-8 तक पढ़ी है। पीड़िता अलग-अलग स्कूल व क्लास में उनके विद्यालय में पढ़ी है। मुझे ध्यान नहीं कि कक्षा-5 में किस सन् में दाखिला लिया, लेकिन इण्टर इसी स्कूल से सन् 2017 में पास किया था। पीड़िता ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 के अन्त में कहा कि मैं स्कूल सुबह 07:00 बजे से 03:00 बजे तक पढ़ने जाती थी, जबकि इसके पिता/वादी ने जिरह के पृष्ठ सं०-4 के मध्य में कहा कि जाड़े के मौसम में विद्यालय का समय 10:00 बजे से 04:00 बजे तक रहता था। आयु की बावत् पीड़िता (जी) से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा और कोई प्रश्न नहीं किया गया है।

36- पी०डब्लू०-3 गोपी चन्द्र, उ०नि०/प्रथम विवेचक द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्शक-3 बनाते हुए मुख्य परीक्षा में पीड़िता की उम्र के बावत् कोई कथन नहीं किया है, लेकिन जिरह के पृष्ठ सं०-5 के अन्तिम पैरा में कहा कि पत्रावली पर पीड़िता (जी) के अंकपत्र की छायाप्रति मौजूद है, जो एस०जी०एस०आई०सी०, इटौली रोड़, माढ़ई स्कूल की है। संत रघुवीर दास इण्टर कालेज, भूडा भरतरा का कोई अंकपत्र पत्रावली पर नहीं है।

37- पी०डब्लू०-4 द्वितीय विवेचक ओम प्रकाश यादव, उ०नि० ने विवेचक को पूर्ण करते हुए पर्चा सं०-19 में अध्यापक के बयान अंकित किए, परन्तु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता की आयु के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

38- पी०डब्लू०-6 श्री शिवराम सिंह, प्रधानाचार्य, श्री गजाधर सिंह सतेन्द्र सिंह इण्टर कालेज ने कहा कि मैं इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में वर्ष 2005 से कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में पीड़िता (जी) पुत्र कुंज बिहारी ने दिनांक 03-07-2013 को कक्षा-9 में प्रवेश लिया था। विद्यालय के एस०आर० रजिस्टर में क्रम संख्या-3520 पर पीड़िता (जी) का नाम अंकित है। माता का नाम श्रीमती गुड्डी देवी व पिता का नाम श्री कुंज बिहारी एवं पीड़िता (जी) की जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। पीड़िता (जी) गत विद्यालय एस०जी०एस०आई०सी०, भूडा भरतरा की टी०सी० साथ लाई थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। इसी आधार पर पीड़िता (जी) की जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित की गयी। पीड़िता (जी) का आज मैं मूल प्रवेश फार्म व मूल एस०आर० रजिस्टर साथ लेकर आया हूँ, जिसमें पीड़िता (जी)

की जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। कक्षा-10 की नौवीं रोल लिस्ट साथ लाया हूँ, जिसमें क्रम संख्या-50 पर पीडिता (जी) का नाम तथा उसकी जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। उस पर पीडिता (जी) का फोटो भी चस्पा है। कक्षा-10 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की क्रास लिस्ट भी लाया हूँ, जिसमें पीडिता (जी) का अनुक्रमांक-0109624 व जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। कक्षा-10 की उपस्थिति पंजिका में क्रम संख्या -4 पर पीडिता (जी) का नाम और उसकी जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है। पीडिता (जी) का हाईस्कूल प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र 10 ब में जन्मतिथि 25-07-2001 अंकित है।

39- साक्षी ने जिरह में कहा कि पीडिता (जी) ने दिनांक 03-07-2013 को श्री गजाधर सिंह सतेन्द्र सिंह इण्टर कालेज, इटौली रोड़ में कक्षा-9 में प्रवेश लिया था, जबकि पीडिता ने जिरह की दूसरी पंक्ति में कहा कि वह रघुवीर दास इण्टर कालेज में कक्षा-5 से लेकर कक्षा-12 तक पढ़ी है। दोनों अभियोजन साक्षियों के कथानक में विरोधाभास है।

40- साक्षी ने जिरह में आगे कहा कि संत रघुवीर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मान्यता कक्षा-8 तक है। आगे कक्षा न होने के कारण पीडिता (जी) ने श्री गजाधर सिंह सतेन्द्र सिंह इण्टर कालेज में दाखिला कक्षा-9 में लिया था। पीडिता (जी) सन् 2013 लगायत 2017 तक हमारे यहाँ पढ़ी और कक्षा-12 पास की। विवेचक ने पीडिता (जी) की जन्मतिथि से संबंधित कोई अंकपत्र मुझसे व स्कूल से नहीं लिया था और ना ही जन्मतिथि के संबंध में कोई जानकारी ली। आज मैं पहली बार न्यायालय में मूल कागजात स्कूल से, एस०आर० रजिस्टर, टी०सी०, प्रवेश फार्म, कक्षा-10 की नोमरल लिस्ट और हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2015 की क्रास लिस्ट, छात्र की उपस्थिति पंजिका पत्रावली पर दाखिल की है। दिनांक 27-01-2016 को पीडिता (जी) मेरे विद्यालय में कक्षा-11 में पढ़ती थी। स्कूल का समय 10:00 बजे से 03:00 बजे तक था और दिनांक 27-01-2016 को पीडिता (जी) मेरे स्कूल में पढ़ने आई थी। साक्षी ने न्यायालय में कागज संख्या-38 ब लगायत 43 ब पीडिता (जी) की जन्मतिथि व शिक्षा से संबंधित लिस्ट, फार्म, टी०सी० आदि की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की है।

41- पी०डब्लू०-7 फोरन सिंह, तत्कालीन सहायक अध्यापक, संत रघुवीर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ने जिरह में कहा कि इस स्कूल की मान्यता कक्षा-8 तक थी। आगे की पढ़ाई के लिए दिनांक 03-07-2013 को पीडिता (जी) ने संत रघुवीर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, भूडा भरतरा से अपनी टी०सी० कटवा ली थी और गजाधर सिंह इण्टर

कालेज में अगली कक्षा में प्रवेश लिया।

42- पीड़िता (जी) की आयु का निर्धारण **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** लागू है जिसके अन्तर्गत **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016** बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

43 - आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी **अस्थि जाँच** या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

44- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता (जी) की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा।

45- पत्रावली में दाखिल पीड़िता (जी) के हाईस्कूल प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र प्रदर्शक -7, विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक के बयानों तथा पीड़िता के शिक्षा संबंधी प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता (जी) की जन्मतिथि 25-07-2001 है और वह घटना दिनांक 27-01-2016 को 14 वर्ष, 06 माह, 02 दिन की थी। इसके विपरीत अभियुक्त सुनील ने पीड़िता की जन्मतिथि व आयु के खण्डन में कोई शैक्षिक प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य पत्रावली में दाखिल नहीं की है। ऐसी स्थिति में पीड़िता (जी) घटना के समय पूर्णतः नाबालिग थी।

-: आरोपित अपराध का विवेचन :-

46- पी०डब्लू०-1 वादी कुंज बिहारी ने (तहरीर/प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं०) प्रदर्श क -1 में कहा कि अभियुक्तगण सुनील व हरेन्द्र, जब मेरी लड़की स्कूल पढ़ने जाती थी, तो उससे रास्ते में छेड़खानी करते थे और अश्लील हरकत करते थे और फोन पर तरह-तरह की धमकियां देते थे और पुत्री के नाम स्कूल के प्रबन्धक के पास एक रजिस्टर्ड डाक भेजी, जिसमें अन्दर पत्र में तरह-तरह की शायरी लिखी हुई थी और उसमें मोबाइल नं० -8650410886, 709699173 व 9690934293 पर बात करने के लिए कहा था। जब मैंने पत्र मिलने की शिकायत दिनांक 27-01-2016 को सुनील के घर पर की कि वह मेरी लड़की को तंग, परेशान व उसके साथ अश्लील हरकतें न करे तो नाराज होकर शारदा देवी, चतुर सिंह, चन्दन सिंह, दलवीर सिंह मेरे घर पर आये और मुझे भद्दी-भद्दी गाली देते हुए कहा कि अपनी पुत्री के साथ सुनील के साथ कर दे, नहीं तो तेरी पुत्री को उठा ले जाएंगे और जान से मार देंगे। सुनील का दोस्त दौलतराम भी उसकी मदद करता है। इससे पहले भी दिनांक 18-09-2015 को सुबह 07:00 बजे सुनील व हरेन्द्र ने मेरी पुत्री को तंग, परेशान किया था, परन्तु पुलिस ने फैसला करा दिया था।

47- वादी कुंज बिहारी ने बयान में कहा कि एक रजिस्टर्ड डाक मेरी बेटी के नाम से स्कूल प्रबन्धक के पास भेजी थी, उस सील बन्द लिफाफे को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुझे दिया था, जिसे खोल कर देखा तो उसमें गन्दी-गन्दी शायरी लिखी थीं और प्रदर्श क -1 का समर्थन करते हुए जिरह में कहा कि घटना की तारीख मुझे ध्यान नहीं है। घटना गाली गलौज, मारपीट मेरे घर की है और झगड़ा खेत पर हुआ था। इनकी मारपीट से मेरे चोट नहीं आई थी। घटना के समय चन्द्रपाल, धर्मजीत, राजू, कुंवर पाल, पप्पू, कुशल पाल, राजू डाक्टर आदि लोग मौके पर आ गये थे। सबने घटना को देखा, परन्तु वादी कुंज बिहारी ने इनमें से किसी भी तथाकथित चक्षुदर्शी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया।

48- घटना दिनांक 27-01-2016 को मेरी पुत्री सुबह 9-10 बजे घर से संत रघुवीर दास इण्टर कालेज, भूड़ा भरतरा पढ़ने गयी थी। उसके साथ मेरा पुत्र दया शंकर, मेरी पुत्री डौली और मनोरमा भी साथ पढ़ने गये थे, परन्तु अभियोजन ने इन तीनों चश्मदीद साक्षी दया शंकर, डौली और मनोरमा को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया, जो अभियोजन कथानक को आपेक्षित बल प्रदान नहीं करते हैं।

49- मुझे फोरन सिंह, अध्यापक ने स्कूल में आया हुआ लेटर दिया था। प्रबन्धक भी फोरन सिंह ही थे। फोरन सिंह मेरे पुराने मित्र हैं और मेरे साथ पढ़े हैं, उन्होंने घटना से 1-2 दिन पहले लेटर दिया था। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने लेटर को खोल कर, घर पर पढ़कर देखा था और यह लेटर दरोगा जी के मांगने पर दरोगा जी को दिया था। गवाह ने पत्रावली देखकर कहा कि मैंने जो लेटर दरोगा जी को दिया था, वह पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

50- दरोगा जी ने मुझे ले जाकर पुराने घर पर, जहाँ झगड़ा हुआ था, वहाँ का नक्शा बनाया था। मेरे दो मकान हैं। एक मकान से दूसरा दिखाई नहीं देता है। जिस समय मेरी पत्नी के साथ घटना हुई, उस समय मैं दूसरे मकान पर था। पत्नी के साथ घटना एवं झगड़ा खेत पर होने का कथन प्रदर्शक-1 व तथ्य के अन्य साक्षियों के बयानों में भी वर्णन नहीं है। फिर कहा कि लड़ाई झगड़े की घटना पुराने मकान पर मेरे सामने हुई थी, जबकि पूर्व बयान में कहा कि घटना गाली गलौज, मारपीट मेरे घर की है और झगड़ा खेत पर हुआ था। तथ्य के इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षियों के कथन में परस्पर विरोधाभास है।

51- जिरह के पृष्ठ सं०-5 के द्वितीय पैरा में कहा कि मेरी पुत्री के साथ जो छेड़छाड़ वाली घटना हुई थी, वह स्थान मैंने दरोगा जी को नहीं दिखाया था और ना ही दरोगा जी मुझे उस स्थान पर ले गये थे। यह सही है कि सुनील को छेड़छाड़ करते हुए, स्कूल जाते हुए मैंने नहीं देखा था, बच्चों ने देखा था, परन्तु तथाकथित बच्चों को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है।

52- पी०डब्लू०-2 पीडिता (जी) ने वादी के कथन का समर्थन करते हुए जिरह में कहा कि सन् 2015 में मुझे कुछ लोग घेरते थे, फोन पर धमकी देते थे, कौन लोग घेरते थे, उनके नम्बर नहीं मालूम। सुनील के दोस्त द्वारा घेरना कहा है, परन्तु उनका नाम भी नहीं बताया है। दिनांक 27-01-2016 को मेरे स्कूल में एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा था, वह ग्रीटिंग कार्ड मैंने इस मुकदमे की विवेचना कर रहे दरोगा जी को दे दिया था। यदि वह लेटर इस पत्रावली में नहीं लगा है तो उसकी कोई वजह मैं नहीं बता सकती हूँ। पीडिता (जी) ने पत्रावली देखकर कहा कि वह ग्रीटिंग कार्ड इस पत्रावली में नहीं है। वादी ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं०-4 की अन्तिम लाईन में कहा कि वह लेटर मैंने दरोगा जी के मांगने पर दरोगा जी को दे दिया था और वह पत्र आज पत्रावली में नहीं है। वादी व पीडिता (जी) दोनों ने अलग-अलग विवेचक को ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र स्वयं देना कह कर आये हैं, परन्तु पत्रावली में उक्त तथाकथित ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र मौजूद नहीं है, जबकि घटना का मुख्य आधार वादी ने प्रदर्शक-1 में,

पीडिता (जी) के स्कूल में उक्त ग्रीटिंग कार्ड /पत्र को रजिस्टर्ड डाक से पहुंचने पर उसकी बदनामी होने के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराना कहा है, परन्तु उक्त असल ग्रीटिंग कार्ड पत्रावली में नहीं है, मात्र छाया प्रति मौजूद है, जिसे तथ्य के किसी भी साक्षी ने द्वितीयक साक्ष्य के रूप में भी प्रमाणित नहीं किया है। पीडिता ने अपनी जिरह के अन्त में कहा कि यह सही है कि ग्रीटिंग कार्ड न तो पत्रावली में लगा है और न आज मैं साथ लाई हूं।

53- पीडिता (जी) ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 की आठवीं पंक्ति में कहा कि सुनील से बात कर लो, यह बात दौलतराम कहता था, सुनील नहीं कहता था, अर्थात् सुनील ने कभी उससे नहीं कहा कि पीडिता उससे बात कर ले। पृष्ठ सं०-4 की प्रथम पंक्ति में कहा कि ग्रीटिंग कार्ड छपा हुआ था, उस पर शायरी और गन्दी-गन्दी गालियां लिखी हुई थीं, मेरे घर वालों ने बताया था, परन्तु पीडिता ने स्वयं देखना व उसे पढ़ना नहीं कहा, जो अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

54- पीडिता ने कहा कि सुनील के ननिहाल और मेरे पिताजी से जो झगडा हुआ था वह मेरे खेत पर हुआ था, वह खेत मेरे बाबा के नाम से है। मेरे खेत के अलावा झगडा कहीं नहीं हुआ था, जबकि वादी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि दिनांक 27-01-2016 से पहले मुल्जिमान से उसका कभी कोई झगडा नहीं हुआ। दोनों तथ्य के साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। साक्षी ने अभियुक्त के इस सुझाव से इन्कार किया कि सुनील के ननिहाल वालों और मेरे घर वालों के बीच झगडा होने के कारण यह झूठा मुकदमा लिखवाया हो।

55- पी०डब्लू०-3 प्रथम विवेचक गोपी चन्द्र ने बयान में कहा कि दिनांक 19-07-2016 को पर्चा नं०-10 किता किया, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की, नकल केस डायरी की गयी, जबकि वादी एवं पीडिता (जी) दोनों ने स्वयं विवेचक/दरोगा जी को उक्त पत्र स्वयं देना कहा है, परन्तु विवेचक ने पत्र की मात्र छायाप्रति मिलना कहा है। असल पत्र कहाँ है, इस बावत कोई बयान, तथ्य के किसी भी साक्षी और विवेचक ने नहीं दिया है। साक्षी ने पृष्ठ सं०-4 के अन्तिम सातवीं लाइन में कहा कि वादी मुकदमा द्वारा जो ग्रीटिंग व पत्र देना बताया है, वह केस डायरी के पर्चा नं०-10 में प्रेम पत्र बन्द लिफाफा का उल्लेख कर नकल की है। पत्रावली में मूल प्रेम पत्र व ग्रीटिंग संलग्न नहीं है। मुझे वादी ने छायाप्रति दी थी, मूल नहीं दी थी। पीडिता द्वारा प्रेम पत्र दिये जाने का उल्लेख इस साक्षी ने अपने बयान में नहीं किया है। विवेचना के समय मुझे धारा-156(3) दं०प्र०सं० के आदेश व प्रार्थनापत्र के साथ अश्लील लेटर व ग्रीटिंग नहीं मिले थे, ना ही प्रार्थनापत्र धारा-156(3)

दं०प्र०सं० के साथ संलग्न थे। वादी द्वारा दिये गये लेटर की कोई रासायनिक जाँच व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट से जाँच नहीं कराई थी। मैंने पर्चा नं०-10 में किता किये गये पत्र की छायाप्रति में दिये गये फोन नम्बरों की कोई जाँच नहीं कराई थी कि वह किसके हैं और ना ही उन नम्बर की सी०डी०आर० व लोकेशन निकलवाई, जो घटना को साबित करने के लिए अहम साक्ष्य हो सकते थे। विवेचक ने स्वयं माना कि उसने लापरवाही पूर्वक त्रुटिपूर्ण विवेचना की है।

56- पी०डब्लू०-4 द्वितीय विवेचक ओम प्रकाश यादव ने दिनांक 19-10-2016 को पर्चा सं०-20 में ग्रीटिंग कार्ड देने वाले अध्यापक के कथन अंकित किये थे और जिरह में कहा कि पर्चा सं०-17 में मैंने पूर्व विवेचक की केस डायरी क्षेत्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर अवलोकन किया, जिसमें मुझे सुनील द्वारा भेजा गया प्रेम पत्र व ग्रीटिंग कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, जो इस समय भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। न्यायालय के आदेश के साथ धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसके साथ प्रेम पत्र व ग्रीटिंग प्राप्त नहीं हुए। ग्रीटिंग कार्ड देने वाले अध्यापक गौरव राजपूत पुत्र भोजराज सिंह का बयान पर्चा नं०-20 में अंकित किया। इस अध्यापक ने भी मुझे कोई प्रेम पत्र, ग्रीटिंग कार्ड न दिखाया और न दिया था। मैंने फौरन सिंह अध्यापक से फोन पर पूछताछ की थी, प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ नहीं की थी।

57- पी०डब्लू०-5 का० क्लर्क गोपाल चौधरी ने चिक एफ० आई०आर० प्रदर्शक-5 और जी०डी० नं०-31 प्रदर्शक-6 को साबित करते हुए जिरह में कहा कि मुझे दिनांक 12-04-2016 को न्यायालय का आदेश व तहरीर धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। उसके साथ अन्य कोई कागज संलग्न नहीं था।

58- पी०डब्लू०-6 शिवराम सिंह, प्रधानाचार्य ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 की अन्तिम नौवीं पंक्ति में कहा कि मेरे स्कूल में कोई अश्लील पत्र व ग्रीटिंग कार्ड, स्कूल के किसी कर्मचारी व अध्यापक एवं प्रिन्सिपल को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ था और न पीडिता (जी) के परिवारीजन व किसी पुलिस वाले को दिया गया था, जबकि यह प्रधानाचार्य के रूप में उसी विद्यालय में वर्ष 2005 से न्यायालय में बयान देने तक और घटना के दिनांक 27-01-2016 को भी कार्यरत थे। प्रधानाचार्य का उक्त बयान अभियोजन कथानक को और संदिग्ध बनाता है।

59- पी०डब्लू०-7 फोरन सिंह उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में जुलाई 2008 से तैनात हैं। इनके द्वारा जनवरी 2016 में स्कूल के पते पर एक ग्रीटिंग कार्ड बन्द लिफाफे में पोस्ट द्वारा आया, जिस पर पीडिता (जी) पुत्री कुंज बिहारी लिखा था। चूंकि हम कुंज

बिहारी को जानते थे, इसलिए अगले दिन वह ग्रीटिंग कार्ड कुंज बिहारी को बुला कर दे दिया था। साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया कि ग्रीटिंग कार्ड बन्द लिफाफे में मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, स्कूल में आया था। मैंने बन्द लिफाफा और ग्रीटिंग कार्ड को देखा भी नहीं था। मेरी और विवेचक की फोन पर कभी कोई बात नहीं हुई और ना ही मेरा बयान लिया। दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता।

60- राम दयाल और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, 2019(2) जे०आई०सी० 656 (इला०) में कहा है कि धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर सजा सम्भव नहीं है। वह सजा का एक मात्र आधार नहीं हो सकता, जबकि धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० के बयानों में पर्याप्त विरोधाभास है।

61- धर्मेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य, जे०आई०सी० 2019, पेज-831 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहा कि अभियोजन को अपनी बात पूरी सिद्ध करनी होगी, केवल परिकल्पना के आधार पर सजा नहीं हो सकती है।

62- प्रश्नगत अपराध, एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

63- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

64- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की

अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

65- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

66- तथ्य के दोनों साक्षी एवं प्रधान अध्यापक, साक्षियों के बयान में परस्पर विरोधाभास है। इन साक्षियों के बयान कतई विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि तथ्य के दोनों साक्षियों ने एक-दूसरे के बयान को समर्थित नहीं किया है। शेष साक्षीगण औपचारिक हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए अपने-अपने द्वारा तैयार किये गये प्रपत्रों को न्यायालय में आकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है। विवेचक ने स्वयं माना कि उसने अत्यन्त लापरवाही पूर्ण विवेचना की है। वादी कुंज बिहारी ने केस का मुख्य आधार पीड़िता के स्कूल में प्राप्त मूल ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र को पत्रावली में दाखिल नहीं किया है और पी०डब्लू०-6 शिवराम सिंह ने कहा कि उक्त तथाकथित ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र कभी विद्यालय नहीं आया, ना मिला और ना ही वादी व पुलिस को दिया। पी०डब्लू०-7 फौरन सिंह, जो वादी के मित्र हैं, साथ पढ़े हैं, ने कहा कि उन्होंने उक्त ग्रीटिंग कार्ड ना देखा, ना पढ़ा और ना ही उन्हें कभी मिला है, केवल पत्रावली में छायाप्रति दाखिल की है, जिसे किसी भी साक्षी ने मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित नहीं किया है।

67- वादी कुंज बिहारी ने अपनी पुत्री/पीड़िता (जी) के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत जब सुनील के घर पर की तो उसके घर वालों ने वादी के घर पर आकर मारपीट व गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देना कहा है, परन्तु गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप, अभियुक्त सुनील के साथ-साथ दलवीर के विरुद्ध

भी विरचित किया गया है। चूंकि अभियुक्त दलवीर सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है और अभियुक्त सुनील के विरुद्ध, तथ्य के किसी भी साक्षी ने पीडिता (जी) अथवा उसके परिवारीजन के साथ गाली गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने का कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मैं अभियुक्त सुनील के विरुद्ध गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

68- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी कुंज बिहारी ने अपनी पुत्री/पीडिता (जी) के साथ छेड़छाड़ करने का मुख्य आधार, अपनी पुत्री/पीडिता (जी) के विद्यालय संत रघुवीर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र का रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुंचना और उसमें पीडिता (जी) के लिए गन्दी-गन्दी शायरी लिखा होना कहा है, जबकि दोनों विद्यालय के अध्यापकों की साक्ष्य से स्पष्ट है कि ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र किसी भी विद्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। जिस स्कूल में मिलना कहा, उसमें पी०डब्लू०-7 फोरन सिंह अध्यापक ही नहीं थे, बल्कि पी०डब्लू०-6 शिवराम सिंह, प्रधानाचार्य थे, उन्होंने कभी भी प्रेम पत्र मिलना/प्राप्त होना नहीं कहा। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि फोरन सिंह उसके मित्र थे और उसके साथ पढ़े थे। फोरन सिंह ने कहा कि वह रघुवीर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो कक्षा-8 तक मान्यता प्राप्त था, में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त थे और पीडिता उस स्कूल में केवल कक्षा-8 तक ही पढ़ी थी, उसके बाद पीडिता ने अपनी टी०सी० कटवा कर, गजाधर सिंह सतेन्द्र सिंह इण्टर कालेज, इटौली रोड, माढ़ई में कक्षा-9 में प्रवेश लिया था और फोरन सिंह उक्त स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि जब स्कूल के पते पर बन्द लिफाफा वाली पोस्ट आई, जिस पर पीडिता (जी) पुत्री कुंज बिहारी लिखा था, उस समय पीडिता (जी) कक्षा-11 में पढ़ रही थी, अर्थात् प्रेम पत्र, गजाधर सिंह सत्येन्द्र सिंह स्कूल में प्राप्त होना कहा गया है, उस स्कूल में उस समय श्री फोरन सिंह, अध्यापक नियुक्त नहीं थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वह संत रघुवीर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो कक्षा-8 तक मान्यता प्राप्त है और वह घटना की तिथि को सहायक अध्यापक के रूप में, उसी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त थे। इससे स्पष्ट है कि साक्षी फोरन सिंह, वादी कुंज बिहारी से अपनी मित्रता निभाते हुए उक्त मिथ्या साक्ष्य न्यायालय में दिया है, क्योंकि गजाधर सिंह सतेन्द्र सिंह इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री शिवराम सिंह, जो वर्ष 2005 से, न्यायालय में बयान देने एवं घटना की तिथि को प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे हैं। पीडिता (जी) जो उनके

विद्यालय में, घटना की दिनांक को कक्षा-11 में अध्यनरत थी। प्रधानाचार्य को कोई ग्रीटिंग कार्ड अथवा प्रेम पत्र प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उन्होंने देखा है। उपरोक्त साक्षियों के बयान से अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक संदेह से परे साबित न होने के कारण, मिथ्या साबित होता है।

69- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क लिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग ढाई माह विलम्ब से सोच समझ कर व विधिक राय लेकर दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में पूरी कहानी का उल्लेख किया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

70- गोपाल सिंह गोरखा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1991 इलाहाबाद दण्ड निर्णय 219 एवं बबलू बनाम छत्तीसगढ राज्य, ए०आई०आर० 2012 सु०को० 2621 तथा मलखान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य-1990 सी० आर०एल०जे० 2763 में कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक सारवान साक्ष्य नहीं है। अतः इस पर दोषसिद्धि को आधारित नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल अपराध की सूचना देने वाले अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले के बयान को खण्डित अथवा सम्पुष्ट करने के लिए किया जा सकता है।

71- माननीय उच्च न्यायालय ने धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० क्रि० अपील अन्तर्गत धारा-374 दं०प्र०सं० नं० 3126 सन 1982 दिनांक 26.09.2012 ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था त्रिलोकी नाथ बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०ए० आई०आर०-2006 सु०को० 321 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्व ज्ञानकोष नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का सिर्फ एक आशय होता है कि घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त होने पर अपराध की विवेचना पुलिस द्वारा तीव्र गति से आरम्भ की जा सके। इसके विपरीत कोई भी समझदार व्यक्ति, अचानक उसके समक्ष घटना घटित होने पर, अपना सन्तुलन नहीं बना पायेगा। उसके द्वारा घटना के प्रत्येक मिनट की जानकारी तथा अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने का सम्पूर्ण विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया जा सकता। यदि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता से सम्बन्धित पत्रावली पर सशक्त एवं सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने में हुए विलम्ब मात्र के आधार पर अभियोजन का कथानक अविश्वसनीय नहीं हो जाता है।

72- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उ०प्र० राज्य बनाम जगदेश आदि ए०आई०आर० 2003 (एस०सी०) 666 में यह कहा गया है कि यदि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता से संबंधित पत्रावली पर सशक्त एवं सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 23

जाने में विलम्ब और प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करने में हुए विलम्ब मात्र के आधार पर अभियोजन का कथानक अविश्वसनीय नहीं हो जाता है।

73- माननीय न्यायालयों द्वारा विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के संदर्भ में विभिन्न निर्णयों में यह कहा है कि महज प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब से दर्ज होने पर अभियोजन के कथानक को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब, जबकि मामला महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित हो और अति विशिष्ट रूप से तब मामला बलात्कार एवं लैंगिक हमले से संबंधित हो तथा अन्यथा भी साबित हो।

74- अजय चौधरी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 2022 सी०आर०एल०जे० 152, अरविन्द कुमार उर्फ नेमीचन्द्र बनाम राजस्थान राज्य, 2022 सी०आर०एल०जे० 374 एवं रनवीर बनाम पंजाब राज्य, ए०आई०आर० 1973 सुप्रीम कोर्ट 1409 में यह प्रतिपादित किया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब को सन्तोषजनक रूप से स्पष्ट कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में विलम्ब का मर्पण किया जा सकता है, लेकिन जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब को सन्तोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सके, वहाँ घटना की शुरुआत ही संदेह के घेरे में आ जाती है।

75- दीपक बनाम हरियाणा राज्य, 2015 सी०आर०एल०जे० 2049 (सुप्रीम कोर्ट) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विलम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट, बलात्कार के मामले में पीड़िता, जो कि जवान एवं अनपढ़ महिला थी, उसने अपनी माँ को घटना का खुलासा दो सप्ताह बाद किया और उसकी माँ ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त ने उसके फोटोग्राफ लिए थे और उसकी बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विलम्ब से घटना को बताने को न्यायोचित माना, क्योंकि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि यदि किसी से कुछ कहा तो उसे गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे।

76- बल्देव सिंह बनाम पंजाब राज्य 1996 सुप्रीम कोर्ट 372 में यह कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विशेष साक्ष्य नहीं है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के हरेक मिनट की जानकारी निहित करना आवश्यक नहीं है। अगर वादी द्वारा कुछ तथ्यों की जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं की गयी तो उसके साक्ष्य को संदेह से नहीं देखा जाना चाहिए।

77- हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चन्द्र (2001) 6 एस०सी०सी० 71 एवं दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007) 12

एस०सी०सी० 641 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि किसी मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब हुआ है अथवा नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में यदि विलम्ब हुआ है तो यह हमेशा अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा, बल्कि यह देखा जायेगा कि क्या विलम्ब का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है अथवा नहीं?

78- वादी कुंज बिहारी की रिपोर्ट थाना सिरसागंज में न लिखे जाने पर उसने अभियुक्तगण सुनील व छः अन्य के विरुद्ध धारा-156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र पर आख्या आहूत करके न्यायालय ने उपरोक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष सिरसागंज को मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने हेतु आदेश किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करने में जो भी विलम्ब हुआ है, वह प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण हुआ है। उक्त विलम्ब होने में वादी की कोई भूमिका नहीं है। अतः अभियुक्त का उक्त तर्क सन्धार्य है।

79- बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क लिया कि अभियोजन को अपना **केस सिद्ध करने का भार** धारा-101 से 106 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं सिद्ध करना होगा। जैसा कि **मंगू सिंह बनाम धर्मेन्द्र, जे०आई०सी० 2016, पेज-631** में अवधारित किया गया है। यहाँ पर यह तथ्य उल्लिखित कर देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत प्रकरण पोक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित है, जिसमें अभियोजन को प्रथम दृष्टया यह साबित करना होता है कि घटना के दिनांक को बालक/बालिका, नाबालिग था। पीड़ित बालक के नाबालिग/अवयस्क (18 वर्ष से आयु कम) साबित होने पर, सबूत का भार धारा-29, 30 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त पर अधिरोपित हो जाता है, जैसा कि पोक्सो अधिनियम में उपबन्ध है, परन्तु अभियोजन अपना केस प्रथम दृष्टया संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त का उक्त तर्क सन्धार्य है।

80- पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन पक्ष के वादी कुंज बिहारी ने अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा अपनी पुत्री/पीड़िता (जी) के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी, छेड़खानी करना तथा पीड़िता (जी) के विद्यालय में रजिस्टर्ड डाक से ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र, जिसमें भद्वी-भद्वी शायरी लिखा होना कहा, प्राप्त हुआ, परन्तु अभियोजन उक्त तथाकथित ग्रीटिंग कार्ड/प्रेम पत्र को पत्रावली में दाखिल करने में असमर्थ रहा है, जबकि अभियोजन ने वादी एवं पीड़िता (जी) को परीक्षित कराया है। तथ्य के दोनों साक्षियों एवं पीड़िता के स्कूल से आहूत किए गये

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 25

प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। दोनों विवेचकों ने तथाकथित ग्रीटिंग कार्ड /प्रेम पत्र को वादी अथवा पीडिता (जी) द्वारा उन्हें सौंपना नहीं कहा है, केवल पत्रावली में उक्त प्रेम पत्र की छाया प्रति संलग्न है, जो अप्रमाणित है। उक्त प्रेम पत्र, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर न्यायालय के आदेश के साथ प्राप्त नहीं हुआ है। समस्त साक्षियों के बयान से अभियोजन पक्ष, अभियुक्त सुनील कुमार के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-354, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-11(i)/12 पोक्सो अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त अपराध में दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सुनील कुमार को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-354, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-11(i)/12 पोक्सो अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त सुनील कुमार धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक: 28-08-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 28-08-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।